Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

बुधवार, २६ मार्च, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.१३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

बगड़ी में घटित आत्महत्या की घटना

८६९. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि गत मास में थाना बगड़ी के ग्राम बगड़ी में एक व्यक्ति और एक महिला ने आत्महत्या की थी ! उस दिन क्या तिथि थी !

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे, और वे दोनों कौन थे ?

(ग) क्या यह सत्य है कि इस घटना के समय सबइन्सपेक्टर पुलिस बगड़ी घटना-स्थल पर मौजूद थे ?

(घ) यदि हां, तो उनको किसने सूचना दी थी ?

(ङ) व्यक्ति तथा महिला के बीच क्या सम्बन्ध था !

(च) क्या यह सच है कि उक्त महिला को उस व्यक्ति के पास एस. डी. ओ. सोजत ने ५.००) रु० की जमानत पर सौंपी थी ? यदि हां, तो कौन-कौन सी तिथि को, और घटना कौन सी तिथि को हुई थी ?

(छ) क्या यह सत्य है कि उन दोनों का पोस्टमॉर्टम किया गया था ? यदि हां, तो क्या रिज़ल्ट रहा ?

(ज) क्या यह सत्य है कि उक्त महिला को जलाने का एस. डी. ओ. सोजत ने हुक्म दिया था ?

(झ) वह महिला किस जाति की थी, उस जाति में रिवाज गाड़ने का है, तो जलाने के क्या कारण थे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्वमंत्री, गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (क) जी हां। ता० ६-१०-५७ को।

(ख) महाजन धीरमल और नोजाई नामक स्त्री में जो जाति से सिरवी थी नाजायज सम्बन्ध थे। सामाजिक दबाव के कारण उन्होंने आत्महत्या की।

(ग) और (घ) सब इन्सपेक्टर, बगड़ी आत्महत्या के समय घटनास्थल पर नहीं था। वह पुलिस ड्राइवर इब्राहिम के उन दोनों के बेहोश हो जाने की सूचना देने पर मौके पर पहुँचे थे।

Page No.2

(श्री दामोदरलाल व्यास)

(ङ) नाजायज सम्बन्ध थे ।

(च) धीरजमल महाजन के ५००) रु० की जमानत देने पर एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट, सोजत, ने नौजाई को १५-९-५७ को आजाद किया । यह घटना ता० ६-१०-५७ को हुई ।

(छ) दोनों का पोस्टमॉर्टम किया गया । जहर के बारे में कोई डेफिनिट राय कायम न होने के कारण बिसेरा, केमिकल एनेलाइज़र जयपुर के पास भेजे गये ।

(ज) जी नहीं ।

(झ) नौजाई सिखी जाति की थी । इस जाति में कुछ लोग मृत शरीर को जलाते हैं और कुछ गाड़ते हैं । नौजाई के रिश्तेदार उसका मृत शरीर लेने नहीं आये, अतः दोनों मृत शरीर धीरजमल के सम्बन्धियों के सुपुर्द कर दिये गये जिन्होंने रिवाज के अनुसार दोनों को जला दिया ।

श्री बेनाराम गहलोत : जब सरकार को यह मालूम था कि धीरजमल और नौजाई के नाजायज ताल्लुक थे, तो फिर एस. डी. ओ. ने ५००) रु० की जमानत का क्यों कहा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मजिस्ट्रेट ने जुडीशियल केस में जो जमानत ली थी उसके बारे में सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं था ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या उनका संबंध प्रेमी और प्रेमिका का नहीं था ? वह लड़की कितने वर्ष की थी ? नाजायज सम्बन्ध कैसे हुआ ? जब कि हिन्दू मैरिज़ एक्ट मौजूद है तो नाजायज सम्बन्ध कैसे है ?

श्री बेनाराम गहलोत : क्या यह सही है कि नौजाई को पॉइज़न दिया गया था और उसने अपने आप नहीं लिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अर्ज किया कि पॉइज़न के बारे में डेफिनिट राय कायम नहीं की गई, इसलिये बिसेरा डेफिनिट राय कायम करने के लिए केमिकल एनेलाइज़र, जयपुर के पास भेजे गये हैं ।

श्री बेनाराम गहलोत : क्या इसके लिए इन्क्वायरी की जा रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वह अपने आप हो रही है । उसके बिसेरा केमिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए भेजे गये हैं । वह जाच के लिए भेजे गये हैं कि आया उनमें प्वॉइज़न था या नहीं ?

श्री बेनाराम गहलोत : कब भेजे गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पोस्टमॉर्टम होने के बाद ।

श्री बेनाराम गहलोत : क्या अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, अभी तक नहीं आया ।

क्षय रोग अस्पताल, जयपुर

८७०. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): Will the Minister for Medical & Public Health be pleased to state:

(1) How many patients have been operated in T. B. Hospital, Jaipur, how many of such operations have been successful and how many cases of sepsis and deaths.

Page No.3

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

occured on account of failure and negligence of the doctors ?

(2) What were the reasons leading to the death of two patients namely Tikku and Sohan Lal and is it not a fact that the same resulted on account of neglect and lack of sufficient experience in the art of thore-coplesty ?

(3) Why the services of Nanak Ram a technician in the T. B. Hosiptal were continued when the incharge of the hosiptal reported against him that he was a cheat, and why charge of the Laboratory was not taken ? When the resignation of the said technician was accepted ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जनवरी सन् १६५८ तक २४ रोगियों का लंग ऑपरेशन किया जिनमें २१ ऑपरेशन्स कामयाब हुए तथा ३ की मृत्यु हुई। कुछ रोगियों की छाती में, बावजूद हर सम्भव कोशिश के सैप्सिस हो गया था जो बाद में ठीक हो गये। रोगियों की मृत्यु किसी की लापरवाही या नातजुर्बेकारी से नहीं हुई।

(२) श्री टिक्कू व सोहनलाल की मृत्यु के कारण निम्नलिखित हैं:

श्री टिक्कू : अस्थमा व एडवान्स्ड टी० बी० ऑपरेशन्स के २४ दिन बाद मृत्यु हुई।

श्री सोहनलाल : एडवान्स टी० बी० ऑपरेशन के एक सप्ताह बाद मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु किसी की लापरवाही या नातजुर्बेकारी से नहीं हुई।

(३) नानगराम टेक्नीशियन अस्थायी कर्मचारी था। वह हमेशा बिना छुट्टी के गैर हाजिर रहने का आदि था। उसने स्वयं एक माह का नोटिस देते हुए इस्तीफा दिया था तथा उस नोटिस की अवधि में भी वह गायब रहा और लेबोरेटरी की चाभी अपने किसी मित्र के साथ भेज दी और लेबोरेटरी का चार्ज देने नहीं आया। यह कहना गलत है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट टी० बी० सेनेटोरियम ने उसके लिए 'चीट' शब्द का प्रयोग किया था। एम्प्लॉईज स्टेट इन्श्योरेन्स डिपार्टमेंट वालों ने उसके बारे में कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट मांगी थी जिसके जवाब में यह लिख दिया गया था कि इसके खिलाफ एडवर्स रिपोर्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिन २१ ऑपरेशन्स का जिक्र किया गया है उनमें से कुछ की मृत्यु फरवरी और मार्च के महीने में हो चुकी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री) : तीन की मृत्यु हुई है, बाकी सब ठीक हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इन तीन की मृत्यु तो जनवरी, सन् १६५८ में बताई गई है, लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूं कि फरवरी और मार्च के महीने की।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई जानकारी मुझे अभी नहीं है। ऑपरेशन्स कामयाब रहे, और किसी वजह से मृत्यु हुई हो तो मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सतीशचद्र अग्रवाल : २१ ऑपरेशन्स में सेप्सिस कितने आदमियों के डेवलप हुआ है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑपरेशन के बाद मरहम पट्टी बान्धकर पट्टी लगाते हैं।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कुछ केसेज़ में हुआ था, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई कि डेथ हुई हो। सब क्योर हो गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा निवेदन यह था और क्वेश्चन मेरा यह था कि सेप्सिस कितनों को हुआ ? How many cases of sepsis and death occured ? सेप्सिस के केसेज़ अलग हैं और डेथ के अलग।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सब केसेज़ लिखे हुए हैं। कुछ थोड़े से केसेज़ में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। "How many cases of sepsis and death occured on account of negligence of doctors."

मेरा क्वेश्चन यह था तो उत्तर में आपने बताया कि तीन की मृत्यु हुई। मैं चाहता हूँ कि इन २१ ऑपरेशन्स में सेप्सिस कितनों को डेवलप हुआ and whether that rasulted in death or not, that is immaterial. I want to know how many patients developed sepsis ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अभी फैक्टस मेरे पास नहीं हैं, दुबारा दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो क्या यह समझा जाय कि इस प्रश्न का उत्तर दुबारा देने के लिए रख दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उन सब में सेप्सिस डेवलप हुआ हो, ऐसी बात नहीं है। मैं डेफिनिट करके बता सकता हूँ कि फैक्टस क्या हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको मालूम नहीं हैं फैक्ट्स, आप जानकारी कर लें। मैंने फैक्ट्स दे दिये हैं कि सबको सेप्सिस डेवलप हुआ है।

कृषि अधिकारी भूतपूर्व अजमेर राज्य

८७१. श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या डी. ए. ओ. श्री सी. एल. ओ. नागर और श्री एम. सी. जोशी भूतपूर्व ए. अजमेर के विरुद्ध अजमेर राज्य के ऑडिटर्स ने अगस्त ५६ की ऑडिट रिपोर्ट में गम्भीर गोलमाल के केसेज़ प्रकट किये थे ?

(२) यदि हां, तो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई तथा उसका क्या नतीजा रहा ?

(३) यदि नहीं, तो क्या इस ऑडिट पार्टी ने कृषि विभाग में किसी प्रकार का घोटाला नहीं बताया ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा): (१) नहीं।

(२) सवाल ही नहीं उठता।

(३) ऑडिट पार्टी ने कोई घोटाला नहीं बताया।

श्री मूलचन्द डागा : यह शब्द 'घोटाला' है या गुटाला, क्या है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा ठीक समझें वैसा प्रोनाउन्स कर लें।

श्री मूलचन्द डागा : हिन्दी कोष में तो ऐसा कोई शब्द नहीं है।

Page No.5

श्री अध्यक्ष : ऊपर गोलमाल भी लिखा हुआ है।

जन सम्पर्क कार्यालय

८७२. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : Will the Home Minister be pleased to state : Is it correct that the Director Public Relations had given undue publicity to Rajasthan Canals Scheme which was at one time used to be considered a secret scheme by the Government of India ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में): The Director of Public Relations had been over cautious in regard to the publicity for the Rajasthan Canal. No publicity was given by him without the approval of the Government as also prior to the official announcement made by the Government of India in this regard. The Government of India made the announcement on the 4th April, 1957, while the first story prepared by the Director of Public Relations and approved by the Government appeared after April 16.

श्री पी. के. चौधरी Is it correct that this was a secret scheme of the Government of India ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I told you, the Government of India announced regarding this canal on 4th April and publicity actually started after 16th April.

श्री पी. के. चौधरी : Is it correct that the Director was censured by the Central Government for giving undue publicity to it ?

श्री दामोदरलाल व्यास : No, not to my knowledge.

श्री अध्यक्ष : Next.

जिला बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय

८७३. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जिला बोर्ड के स्कूलों का निरीक्षण राजस्थान सरकार के शिक्षा विभागीय निरीक्षक के अधिकार में दिये जाने में सरकार को क्या आपत्ति है ?

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मास्टर जिला बोर्ड के स्कूलों में कभी कभी जाते हैं, वरना महीने में २० दिन अपने घर में आराम करते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जिला बोर्ड में स्कूलों के निरीक्षणार्थ बोर्डों के ही निरीक्षक हैं जो कि स्कूलों का निरीक्षण कार्य करते हैं। जिला बोर्डों के स्कूलों का निरीक्षण राजस्थान सरकार के शिक्षा विभागीय निरीक्षक भी एडेड स्कूलों की तरह निरीक्षण कर सकते हैं।

(ख) कोई आपत्ति नहीं है।

(ग) सरकार के सामने ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। यदि पूरे पते से कोई आवेगी तो सरकार अवश्य ध्यान देगी।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मिनिस्टर महोदय ने सुन लिया और समझ गये होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राज्य सरकार शीघ्र ही कदम उठायगी कि जिला बोर्डों की स्कूलों का निरीक्षण भी सरकारी निरीक्षकों के अंतर्गत हो ? आपने कहा कि इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट से कंसर्न रखता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिला बोर्ड आपसे संबंध रखते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जहां तक जिला बोर्डों की स्कूलों का ताल्लुक है उनके अपने निरीक्षक हैं। यदि एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट वाले भी निरीक्षण करना चाहें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष, प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि जिला बोर्ड के स्कूलों का निरीक्षण राजस्थान सरकार के शिक्षा विभागीय निरीक्षक के अधिकार में दिए जाने में सरकार को क्या आपत्ति है ? इसके उत्तर में आपने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है; तो क्या आप सरकार के शिक्षा विभाग को लिखेंगे कि जिला बोर्ड की स्कूलों के निरीक्षण का कार्य भी शिक्षा विभाग के निरीक्षकों द्वारा किया जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे यहां कार्य ठीक तरह से हो रहा है। यदि शिक्षा विभाग वाले भी निरीक्षण करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें उनको लिखने की कोई बात नहीं है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग व यातायात विभाग के कर्मचारियों की मांगों पर दिया गया निर्णय

८७४. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : क्या निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे : पी० डब्ल्यू० डी० व यातायात कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : निम्न प्रकार निर्णय लिया गया है :

(१) रविवार की सवेतन छुट्टी दी गई है।

(२) एक साल में १० दिन का सवेतन अवकाश सामाजिक त्योहारों व राष्ट्रीय त्योहारों पर दिया गया है।

(३) कुलियों का वेतन ३० रुपए से ३५ रुपए व बेलदारों का वेतन ३५ से ४० रुपए बढ़ा दिया है।

(४) प्रत्येक कर्मचारी जिसे १०० रुपए से कम वेतन मिलता है उसे ५ रुपए की वृद्धि की गई है।

(५) साधारण समय से अधिक तक कार्य करने पर ड्योढ़ा कार्य भत्ता दिया गया है।

(६) सरकारी कार्य हेतु यात्रा करने वाले कर्मचारियों को यात्रा-व्यय भत्ता दिया गया है।

(७) ३६ दिन कार्य करने पर १ दिन का उपार्जित अवकाश दिया गया है।

(८) अस्थाई मोटर वाहक को वर्दी देना स्वीकार किया गया है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह साप्ताहिक छुट्टी देना कब से प्रारम्भ किया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह डिसीजन कब लिया गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इस फैसले की तारीख अभी मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या ८७५

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री पी० के० चौधरी।

सरकारी रकम का गबन

८७६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister for Civil Supplies be pleased to state:--

(a) Is it correct that the Assistant Commissioner, Civil Supplies, Kota, wrote a letter marked T. Secret No 7805/EU dated 9-2-55 to Shri Vishnu Dutt Sharma, Director, Civil Supplies, Rajasthan, regarding misappropriation of Government money by Shri Moolchand, Ex. Clerk, District Supply Office, Baran ?

(b) Is it correct that a D. O. letter marked Secret D. O. letter No. 5/NF/F.M. dated 12 1-55 was written by the then Finance Minister Shri Brij Sunder Sharma to the then Civil Supplies Minister, Shri Bhogi Lal Pandya, regarding the misappropriation of huge amount of Government money by Shri Mool chand Ex. Clerk, D. S. O., Baran ?

(c) Is it correct that the Accounts Officer, Civil Supplies Kota, wrote a letter No. 133/A-O dated 6-4-56 to the Administrative Officer, Civil Supplies, Jaipur to the effect that Shri Moolchand, Ex. Clerk, D S. O. Baran did not maintain account for a sum of Rs. 7,28,305/-?

(d) Is it correct that Shri Moolchand, Ex. clerk, D. S. O. Baran misappropriated an amount of Rs. 49-13-3 from the salary of Shivo Narain clerk, D. S. O. Baran ?

(e) Is it Correct that Shri Moolchand, Ex. Clerk D. S. O. Baran, misappropriated an amount of Rs. 787/-received on account of 'Jao' received from Bikaner ?

(f) Is it correct that Shri Moolchand, Ex. Clerk D. S. O. Baran, misappropriated an amount of Rs. 6370 drawn as excess through the Labour Agent in 1951 ?

(g) Is it correct that Shri Moolchand has been reinstated as Jagir Accountant in the office of Tehsildar, Chhipa Barcd, under a confidential order issued by Director of Civil Supplies Rajasthan, Jaipur, vide his letter No. 14386/G/ Confidential dated 9-11-55 to Assistant Commissioner Civil Supplies, Kotah?

उप रसद मन्त्री (श्री खिवचन्द धारीवाल) : (a) Yes.

(b) Yes. D. O. letter No. Conf./ F. M. dated 12-1-1955 from the than Finance Minister on this subject was received.

(c) Yes. Accounts officer Supplies, Kotah, letter No. 142/AO dated 5/10-4-56 on this subject was received. Out of Rs. 7,28, 305/-

Page No.8

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

only a sum of Rs. 1, 17, 501/6/- is still to be cleared and the matter is being persued.

(d) Yes. In all the three cases, case recovery proceedings (f) under P.D.R. Act are pending against Shri Mool chand.

(g) Yes.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : When the notice under P. D. R. Act was given to Shri Mool chand?

श्री रिखबचन्द धारीवाल I do not know the particular date on which the case was sent for P. D. R. but it has actually been sent.

श्री पी. के. चौधरी : The Hon Minister has confirmed all the querries that have been raised in the question. I would like to know what action the Government has taken in such an old case which is pending with them.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : So far as is known to me the man has been suspended. The date of suspension is not with me at present because the man is in Revenue Department. It can be enquired and than the answer can be given.

श्री पी. के. चौधरी : I would also like to know. when all these cases mentioned from (a) to (f) were pending against the man, why he was reinstated with confidential D. O. letter?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : It is also enquired into as to why he was reiustated when these were pending against him.

श्री पी. के. चौधरी : Hon. Speaker. Sir, I am not satisfied with the reply. This very question, I had put in the last budget session and at that time the Hon. Minister had stated that there wree no such cases and I should give further details. So this time I have given all the details. Last time I only mentioned the embezzlement case by this clerk of D. S. O. and the Hon. Minister in charge said that there was no such case and asked me to give further details. Then I received one letter from one Mr. Ghura, Assistant Finance Secretary, to give further details. I have collected all the information and after that now the hon. Minister says that he has no information in the matter to give me except confirmimg the querries which I have raised. So I am not satisfied and I would like that some action should be taken and an enquiry instituted and people who are found guilty about it, action should be taken against them.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I think whatever the Hon. Member has enquired into the information has been given.

श्री पी. के चौधरी : I put a simple question, as to what action has

Page No.9

(श्री पी० के० चौधरी)

been taken in this particular case of embezzlement indulged into by this clerk, and to nonplus me I was asked to give further details, though you will appreciate that it is very difficult for a private Member to collect all these details, and now when the Government is faced with all the details, they are only confirming whatever I have stated. I wish that a definite reply may be given by the Hon. Minister and he should inform the House what action has been taken in this case.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I have stated that the man has beeen suspended and action is being taken against Him. The Hon. Member should feel satisfied.

श्री श्रीमानसिंह : Is the Hon. Member in a position to assure the House that the case will be handed over to the police ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : If the facts warrant the case can be handed to the police.

श्री श्रीमानसिंह : But the facts have been admitted and he has been suspended after a departmental enquiry.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : But the question is about accounting for certain amounts. If he gives proper account, everything will depend upon facts of the case.

श्री अध्यक्ष : The thing is, why he was reinstated when such serious charges were pending and any recovery was pending against him.

श्री अध्यक्ष : रीइन्सटेटमेंट के आर्डर्स सिविल सप्लाइज़ विभाग द्वारा जारी हुए थे।

श्री पी. के. चौधरी : Hon. Speaker, Sir, you can see from question (b) that on a letter from the Finance Minister, regarding this man, action was taken and he was suspended.

श्री अध्यक्ष : Yes, that is clear and it may not be repeated.

श्री पी. के. चौधरी : Then, what was the cause of his reinstatement?

श्री अध्यक्ष : That he will enquire into.

(विराम)

श्री तनसिंह ।

श्री श्रीमानसिंह : Who gave the reinstatement order, Sir ?

श्री अध्यक्ष : Director of Civil supplies.

श्री पी. के. चौधरी : What prompted him to give this...

श्री अध्यक्ष : Next, I say next. That he does not know, you asked more than twice.

सरकारी जीप द्वारा डिप्टी कलेक्टर, जागीर विभाग, बाड़मेर के किसी लेखक का दुर्घटनाग्रस्त होना

८७७. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.10

(श्री तनसिंह)

(१) क्या डिप्टी कलेक्टर जागीर, बाड़मेर के दफ्तर के एक क्लर्क, श्री अजीतप्रसाद, सरकारी जीप से दुर्घटनाग्रस्त हुए ?

(२) यदि हां, तो वह जीप किस डिपार्टमेंट की थी और उसे कौन चला रहा था तथा उसमें कौन बैठे हुए थे ?

(३) क्या सम्बन्धित अपराधी का चालान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री, गृह मन्त्री की अनुपस्थिति में) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) यह भी प्रश्न नहीं उठता।

श्री तनसिंह : यह आपने जागीर के कलेक्टर से पता लगाया है या पुलिस के एस. पी. से पता लगाया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पता लगाने का ज़रिया सरकार के देखने का है। आपने जो सवाल पूछा, उसका जवाब मैंने अर्ज किया है।

श्री तनसिंह : मुझे खुद को मालूम है, मैंने मुकदमा देखा है एस. पी. की जीप एक व्यक्ति से टकराई, उसको एस. पी. का भाई चला रहा था, उसके भी फेक्ट्स मालूम हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एस. पी. का ऑफिस है या कलेक्टर से इन्फॉर्मेशन ली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने मुकदमा देखा होगा, एलीगेशन जो लगाये, वे भी देखे होंगे। लेकिन जो वाकया हुआ, वह मैंने अर्ज किया है।

श्री तनसिंह : मुझे मालूम है कि क्या वाकया हुआ है, वह व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है। लेकिन आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने अस्पताल में देखा होगा, कम्पलेंट भी देखी होगी, जो फाइल हुई है। लेकिन वह कम्पलेंट डिसमिस हुई, इन्क्वायरी करने पर यह बात गलत मालूम हुई।

श्री तनसिंह : कम्पलेंट जो हुई वह मैंने देखी है। वह २४७ में हुई, यह भी मुझे मालूम है।

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्क्वायरी जब कम्पलीट हुई तब गलत साबित हुई।

श्री तनसिंह : सरकारी जीप को दूसरा आदमी चला रहा था और वह टकराई है या नहीं ? अगर टकराई है तो कौन जिम्मेदार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात ठीक है कि दूसरे व्यक्ति से ड्राइव हुई। मैं आपको बताऊं कि सरकारी जीप खड़ी हुई थी, जो व्यक्ति उसमें बैठा था, उसका एक्सीलेटर पर पांव पड़ गया और वह चल गई, लेकिन वह चार पांच कदम ही गई होगी।

(हंसी)

श्री श्रीभानसिंह : Was the jeep at that time in gear ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Perhaps.

श्री तनसिंह : वह जीप खड़ी हुई थी, वह एक्सीलेटर पर पांव रखने से कैसे चल

Page No.11

(श्री तनसिंह)

सकती है। खड़ी हुई जीप को स्टार्ट किया होगा, तभी एक्सीडेन्ट हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्सीडेन्ट नहीं हुआ, मुश्किल से पांच सात कदम चली होगी।

श्री चन्दनमल वेद : क्या उसमें चाभी थी ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने इन्क्वायरी से यह पता लगाया कि क्या उसमें चाभी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चाभी के लिए अर्ज नहीं कर सकता।

श्री तनसिंह : यह फेक्ट्स को मडल करने का तरीका है। मैं जानना चाहूंगा, मन्त्री महोदय फेक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सीधे ढंग से वे बता दें कि कैसे गाड़ी चल गई, किसके पैर रखने से गाड़ी चल गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जीप खड़ी थी और उसमें एस० पी० बाड़मेर भगतसिंह और कलेक्टर दोनों मौजूद नहीं थे। गाड़ी खड़ी हुई थी और उस पर अजीत प्रसाद नाम का व्यक्ति, I am soory, बृजलाल का रिलेशन ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, उसका पैर सेल्फ स्टार्टर पर पड़ गया The vehicle was in geer and switch on, and so it started with a push and automatically stopped at a distance of 4-5 yards. It met with no accident nor struck anybody or any wall. No damage is reported to have been caused to the vehicle or to anybody.

श्री तनसिंह : आपने क्या नाम बताया, अजीतप्रसाद का या बृजलाल का भाई, डिप्टी एस. पी. का भाई है, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? सरकारी जीप में बैठ कर स्टार्ट करने पर उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, डेमेज नहीं हुआ, इत्तफाक से उनका पांव सेल्फ स्टार्टर पर पड़ गया।

श्री तनसिंह : क्या यह माना जाय कि अगर कोई ऐक्सीडेंट न हो और सरकारी गाड़ी में बैठ कर कोई १०० मील चला जाय तो कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : गाड़ी स्टार्ट करने की नीयत नहीं थी। इत्तफाक से सेल्फ स्टार्टर पर उनका पांव पड़ गया और गाड़ी चल गई।

श्री चन्दनमल वेद : क्या आपने पता लगाने की कोशिश की कि किसकी गलती से ऐसा हुआ ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री तनसिंह : क्या सेल्फ स्टार्टर पर पैर रखने से पांच-सात कदम चल जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्विच ऑन हो तो चल जाती है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या डिस्पेन्सरी का रिकॉर्ड देखा गया कि फलां व्यक्ति वहां रहा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री श्रीभानसिंह : यह गाड़ी किस इयर की है, किस मॉडल की है जो स्टार्ट हुई।

Page No.12

श्री दामोदरलाल व्यास : That is not known to me. you can put a separate question.

श्री श्रीभानसिंह : This is very relevant. Sir, It depends upon the acclerator in the Jeep.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्योंकि उसके स्विच में चाभी होती है....

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

ग्राम पंचायत अलीगढ़ (टोंक)

८७८. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि माह दिसम्बर सन् १९५७ में ग्राम पंचायत अलीगढ़ के किसी ने ताला लगा दिया था ?

(ख) अगर हां, तो किसने और किन कारणों से तथा कितने अर्से तक ताला बन्द रहा और कब खोला गया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) निरीक्षक, जिला टोंक द्वारा जनता द्वारा हुल्लड़ करने पर रेकॉर्ड को सुरक्षित रखने के ख्याल से १, २ दिन ताला लगा दिया था, तत्पश्चात् स्थिति ठीक होने पर खोल दिया गया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मन्त्री महोदय ने बताया कि रिकॉर्ड का निरीक्षण करने के लिए ताला लगा दिया गया। तब क्या इन्सपेक्टर पचायत के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने जाते हैं तो वहां ताला लगा दिया जाता है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां इन्सपेक्टर गये थे, वहां शोरगुल हुआ, तो रिकॉर्ड की सेफ्टी के लिए ताला बन्द कर दिया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अर्ज करता हूं कि निरीक्षण करने के समय ताला लगाने की पद्धति है क्या ? क्या निरीक्षण करने के लिए ताला लगाते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अगर रिकॉर्ड के डेमेज होने का खतरा हो तो ताला लगाने में क्या गलत काम किया ? उस समय सरपंच वहां थे नहीं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जब सरपंच नहीं थे तो वहां ताला क्यों लगाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया, एक आदमी के खिलाफ कम्पलेंट थी, इन्सपेक्टर उसकी जांच कर रहे थे। वहां लोगों ने शोर-गुल किया, पंचायत के रिकार्ड में गड़बड़ न हो जाय, इसलिये उन्होंने ताला लगाया।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सही है कि जब सरपंच आये तो वह ताला खोला गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरपंच के आने के बाद उन्हें समझाया गया। ताला इसीलिये लगाया गया कि सरपंच वहां नहीं थे।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह करप्ट प्रेक्टिस में नहीं आता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : थोड़ा आता है, थोड़ा नहीं आता है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

Page No.13

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी० के० चौधरी।

पानरवा जंगल का ठेका

८७६. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Minister-in-charge of Forest be pleased to state:—

(a) Is it correct that the Forest contract given to Shri Gulam Akbar Ali of Udaipur by Jagirdar Panarwa, which was expiring on 30-9-54 was extended upto 30-9-57 by the Government of Rajasthan at a price of Rs. 18000 per year, without putting up the Forest for auction ?

(b) Is it also correct that one year before the expiry of the contract the Government by an order issued on 31-10-56 extended the contract on the same terms for another 5 years without putting it up for auction sale ?

(c) Is it a fact that another contractor was prepared to pay Rs. 1,50,000 per year for the same forest ? If so, why a loss of Rs. 9,06,000 was caused to the State treasury ?

वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) यह सही है कि एक आदमी डेढ़ लाख रुपए देने को तैयार था।

श्री पी० के० चौधरी : मिस्टर स्पीकर, सर, रिप्लाई में कहा गया है, जो एक्सप्लेनेटरी नोट दिया गया है, उस एक्सप्लेनेटरी नोट में डेढ़ लाख का कोई जिक्र नहीं है। जो व्यक्ति डेढ़ लाख रुपया देना चाहता है उसे ठेका क्यों नहीं दिया गया, यह एक्सप्लेनेटरी नोट में है नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रेट की जो बात है, वह मैंने मंजूर की है; नोट में नहीं है तो क्या हुआ ?

श्री श्रीभानसिंह : जो डेढ़ लाख देना चाहता है उसको ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो अलग से प्रश्न है कि क्यों नहीं दिया गया। मैंने कारण बताया था, सड़क वगैरह बनाने की बात थी। इसके बारे में मैं पहले स्टेटमेंट दे चुका हूँ। इस मामले को रख दिया गया है, फिर भी जांच-पड़ताल कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए।

श्री पी० के० चौधरी : इसके ऊपर फाइनल एक्शन क्या लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मामला विचाराधीन है।

श्री पी० के० चौधरी : कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वाजिब समय तक।

श्री पी० के० चौधरी : ऐं।

श्री नाथूराम मिर्धा : वाजिब समय तक।

श्री मुरलीधर व्यास : वाजिब समय क्या हो सकता है ? कुछ तो सीमा होगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हमारा काम है।

Page No.14

श्री चन्दनमल वेद : क्या यह विश्वास देने के लिए तैयार हैं कि डेढ़ लाख से कम में ठेका नहीं दिया जायगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह मान कर चल सकते हैं। अगर भाव गिर गए, ठेके की बोली कम आने लगी तो मेरे हाथ की बात नहीं है।

श्री श्योपतसिंह : जब भाव गिरने का डर है तो जल्दी फैसला क्यों नहीं करते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जल्दी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कई झगड़े आते हैं पार्टीज़ की तरफ से।

श्री श्रीभानसिंह : क्या इस ठेकेदार ने २४ हजार अर्नेस्ट मनी के रूप में देने को कहा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चेक दिया है।

श्री चन्दनमल वेद : जब तक डेढ़ लाख की ऑफर मौजूद है तब तक उससे कम में नहीं दिया जायगा; यह आप कह सकते हैं कि जब तक डेढ़ लाख की ऑफर है तब तक डेढ़ लाख से कम में नहीं दिया जायगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : भाव घट भी सकते हैं।

श्री चन्दनमल वेद : फिर आपको जल्दी करनी चाहिए ?

श्री श्योपतसिंह : आपने कहा कि झगड़े बहुत हैं, इसलिए देरी लगेगी। आप देरी झगड़ों को देख कर रहे हैं या कानून को देख कर करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कानूनी झगड़ा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : झगड़े भी देखने पड़ेंगे और कानूनी पोज़ीशन भी देखनी पड़ेगी।

श्री चन्दनमल वेद : क्या यह सही है कि मेवाड़ स्टेट के जमाने में यह काम अपने हाथ में रखते थे, १९४७-४८ में ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह खोटी बात है।

श्री श्रीभानसिंह : इस कीमत पर पहले ठेका किसके ऑर्डर से दिया गया था ? अपने निज के हुक्म से दिया गया था या फोरेस्ट सेक्रेटरी के हुक्म से दिया गया था या कन्ज़र्वेटर के हुक्म से दिया गया था ?

श्री अध्यक्ष : Government orders are the Government orders.

श्री चन्दनमल वेद : Who was the final authority in the order ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फोरेस्ट मिनिस्टर, फोरेस्ट सेक्रेटरी...

श्री चन्दनमल वेद : प्रेज़ेन्ट फोरेस्ट मिनिस्टर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फोरेस्ट डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी।

श्री पी. के. चौधरी : टाइम खत्म होने से पहिले टाइम एक्सटेन्ड करने की क्या वजह है ? आपके पास डेढ़ लाख रुपये की ऑफर है; फिर १० महीने पहिले, टाइम खत्म होने के पहिले इसको एक्सटेन्ड करने की क्या वजह है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वजह बताऊं कि सर्टेन टर्म्स हैं। उसने कहा था कि ४० मील लम्बी सड़क बनायेगा और पांच साल पहले

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की सड़कें हैं उनको मेन्टेन करेगा। पहले १० हज़ार था, फिर १५ हजार किया और अब १८ हजार किया है। इन शर्तों को मंजूर कर लिया। फिर शिकायत आई तो इसको ठीक नहीं समझा और रोक दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सेक्रेटरी ने राजस्थान सरकार को लिखा है कि डेढ़ साल का अर्नेस्ट मनी मुनाफे का लेकर उसको दे दिया जाय ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह बिल्कुल गलत बात है।

श्री अध्यक्ष : आपने जो बात कही कि दूसरे डेढ़ लाख के ऊपर फाइनल आॅर्डर्स नहीं हुए; वहस वह की वही दुबारा चल रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : ५४ में भी ऐसा ही हुआ था। खान मोहम्मद ने एक लाख रुपया दिया तो बगैर उसका फैसला किये ही मोहम्मद अब्बास को १८ हजार में दिया था। तीन साल बाद रिन्यु कराने का टाइम आता है, लीज़ पीरियड खत्म होने से पहले आॅर्डर दे दिया जाता है, इसकी वजह क्या थी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह वजह थी, मैं समझा दूं। यह ठेका उसी ठेकेदार के पास चला आ रहा था, शुरू हुआ ८ हजार में, फिर १० हजार, १२ हजार, १५ हजार हुए और १८ हज़ार हुए। एक दफा जब यह जागीर रिज़्यूम होने वाली थी तो एक दूसरे ठेकेदार ने एप्रोच किया जागीरदार को कि वह तुम्हें १८ हजार ही देता है, मैं तुमको ६० हज़ार रुपया देता हूं। जागीरदार लालच में आकर पट्टा उसके नाम लिख दिया....

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह नोट में लिखा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : Please do not disturb him.

श्री नाथूराम मिर्धा : इस पर दोनों पार्टीज़ कोर्ट्स में गईं। हाई कोर्ट से फैसला हुआ इस दर्म्यान में काम बन्द रहा। हाई कोर्ट ने गुलाम अब्बास अली के पास ही रहेगा, ऐसा फैसला दे दिया; फिर उसको पज़ेशन मिला। फिर उसने एक्स्टेन्शन मांगी, इसके बाद उसने रीज़नेबल टर्म्स एन्ड कन्डीशन्स लिख दीं, फिर उसकी शिकायत आई और हमने रोक दिया।

श्री श्रीमानसिंह : (अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो खोटी बात है।

श्री श्रीमानसिंह : (अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : यह भी गलत बात है।

श्री पी. के. चौधरी : ८४ हजार की, डेढ़ लाख की बात कही, उसको गलत बताया, उनका नोट है वह पढ़ कर सुनाता हूं :

(अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : यह कवेश्चन आवर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें काफी सूचना दे दी गई है। इससे संतोष नहीं हो तो आधा घंटा और बाद में डिस्कशन कर लें, दूसरों के भी सवाल हैं, उनको उत्तर सुनने का मौका मिलना चाहिये।

Page No.16

श्री मुरलीधर व्यास : यह प्रश्न बड़े भारी भ्रष्टाचार का है, इसलिये इस पर आधा घंटा दिया जाना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस भ्रष्टाचार को ४ दफा तो इस सेशन में गा लिया है, और चाहें तो गा लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र मोहिल।

चम्बल योजना

८८०. **श्री जयचन्द्र मोहिल** (कपासन) : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) अब तक चम्बल योजना तथा चम्बल बांध पर कितनी रकम खर्च हुई है तथा इस खर्च के आधार पर जनता और सरकार को कितना लाभ किस किस प्रकार से होगा ?

(२) चम्बल योजना व बांध को तैयार करने में आज तक कितनी सफलता मिल पाई है और कितनी नहीं ? इस सफलता के निमित्त क्या कोई और प्रगतिशील कदम उठाया जायगा ?

(३) चम्बल योजना में अब तक कुल कितना समय लग चुका है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) ३१ दिसम्बर, १९५७ तक राजस्थान में चम्बल योजना पर ४९.१६६ लाख की धन-राशि खर्च हुई है। इस योजना से राजस्थान, मध्यप्रदेश दोनों की सात-सात लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होगी व १,६०,००० किलोवाट बिजली प्राप्त होगी।

(२) चम्बल योजना का कार्य सुचारू रूप से हो रहा है, कोटा बेराज के मिट्टी के बांध के फाउन्डेशन में कुछ कठिनाई आ रही है और उसको भी हल किया जा रहा है।

(३) लगभग ४ वर्ष जब से कार्य राज्य के सिंचाई विभाग द्वारा शुरू किया गया है।

श्री रामचन्द्र : निश्चित अवधि काम समाप्त करने की क्या रखी है और कब तक यह काम समाप्त हो जायगा ?

श्री भीखाभाई : उम्मीद यह की जाती है कि ५९-६० तक, ५९ के अन्त तक और ६० के आरम्भ तक काम समाप्त हो जायगा।

श्री दयाकृष्ण विजय : यह योजना कितनी धन-राशि की योजना है ?

श्री भीखाभाई : ४६,००,००,००० रूपये की।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

हरिजन पंचों की नियुक्ति

८८१. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ग्राम पंचायतों में हरिजन पंचों की नियुक्ति किस आधार पर की जाती है ?

(२) क्या पंचायत विभाग ने अपने मासिक "पंचायत पत्र" माह जून-जुलाई १९५५ में यह विज्ञप्ति प्रकाशित की थी कि हरिजन सदस्यों की नियुक्ति ग्राम पंचायतों की सिफारिश पर की जावेगी ?

(३) क्या इस विज्ञप्ति का पालन किया गया ?

(४) क्या राजगढ़ तहसील की ढोकवा, चतारण, मिट्टी, रतनपुरा, बैरासर, छोटा आदि पंचायतों ने ऐसी सिफारिशें भेजी थीं।

(श्री मोहरसिंह)

(५) यदि हां, तो क्या उनकी सिफारिशों के अनुसार हरिजन सदस्यों की नियुक्ति की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की नामजदगी बतौर पंच राजस्थान पंचायत अधिनियम, १९५३ की धारा ९ के अन्तर्गत की जाती है ।

(२) जी नहीं । इस मासिक पत्र में अनुसूचित जाति के पंचों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति अवश्य प्रकाशित की गई थी ।

(३) जी हां । अनुसूचित जाति के पंचों के लिए उपरोक्त विज्ञप्ति का करीब करीब पालन किया गया है ।

(४) बैरासर पंचायत में तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वहां पहले ही अनुसूचित जाति का पंच निर्वाचित हो चुका है । डोकवा, मिट्टी और चन्दना में नामजदगी पंचायतों की सिफारिश पर की गई । रतनपुरा पंचायत में अनुसूचित जाति के पंच की नियुक्ति वहां की अनुसूचित जाति की जनता द्वारा चुनाव अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर और निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सिफारिश करने पर मनोनीत किया गया ।

(५) भाग चार में उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री मोहरसिंह : क्या यह सही नहीं है कि पंचायत विभागीय विज्ञप्ति प्रकाशित हो, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा है न कि अखबार में ऐसी विज्ञप्ति निकली है । पंचायत विभाग की ऐसी विज्ञप्ति जरूर छापा की गई है ।

श्री मोहरसिंह : तो उसको मानते नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मानते तो हैं, मैंने मान लिया है कि ऐसी विज्ञप्ति निकली है । वह तो खाली रिकमन्डेशन मांगते हैं उनमें से सिलेक्ट करके मुकर्रर करते हैं ।

श्री मोहरसिंह : उस विज्ञप्ति में साफ लिखा हुआ है कि जिनको पंचायत नामजद करेगी उन्हीं को सिलेक्ट किया जायगा ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा नहीं है । वह मेरे पास है, कहें तो पढ़ कर सुना दूं ।

श्री मोहरसिंह : पढ़ कर सुना दें तो अच्छा होगा ?

(कोई उत्तर नहीं)

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

कृषि उन्नति हेतु किया गया प्रचार-कार्य

८८२. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) मशीनों तथा उत्तम साधनों द्वारा खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सन् १९५१ से अब तक प्रतिवर्ष कृषि विभाग द्वारा कितना रुपया प्रचार-कार्य में खर्च किया गया ?

(२) इसमें चलते-फिरते सिनेमा पर और उसकी मोटर गाड़ियों पर कितना खर्च हुआ ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सन् १९५०–५१ से १९५५–५६ तक इस कार्य में इस प्रकार से व्यय किया गया :

(श्री नाथूराम मिर्धा)

साल	धन राशि व्यय
१९५०–५१	५६७८८
१९५१–५२	२२२३०
१९५२–५३	३८१३
१९५३–५४	२२६०५
१९५४–५५	२०३१३
१९५५–५६	४७१२८
१९५६–५७	४४९६६
१९५७–५८ (१५ मार्च तक)	४००००
	प्लस ३७६४६

(२) सिनेमा वान पर निम्न खर्च हुआ :

साल	धन राशि व्यय
१९५०–५१	अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं
१९५१–५२	१८००
१९५२–५३	१०८०
१९५३–५४	१३९०
१९५४–५५	६०
१९५५–५६	३१०

इसके बाद वह गाड़ी खराब हो गई।

बीकानेर में बिजली का बन्द रहना

८८३. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :

बीकानेर शहर के किन किन फीडरों पर अक्टूबर १९५७ में बिजली किस तारीख को कितने अर्से तक बन्द रही और उसका क्या कारण था ?

उप विद्युत मंत्री (श्री भीखाभाई) : कब कब बन्द रही है, इसकी तालिका सदन की मेज़ पर रख दी गई है। कभी कभी बिजली बन्द हो जाने का कारण यह है कि वहां पर पुराने एंजिन काम कर रहे हैं।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री मुरलीधर व्यास : जो तालिका रखी है उसमें स्टीम की कमी के कारण, आठ आठ घंटे में दो दो घंटे बन्द रही है; इसमें यह लिखा है कि स्टीम की कमी की वजह से।

श्री अध्यक्ष : स्टीम बॉयलर के अन्दर ही होता है, उसकी कमी है।

श्री मुरलीधर व्यास : पर पुराने एंजिन होना कारण बताया है ?

श्री भीखाभाई : कई कारण बताये हैं, स्टीम की कमी के कारण; कभी फ्यूज़ उड़ जाता है, वह भी एक कारण है, पर खास कारण तो यह है कि इंजिन ठीक नहीं है और इसके लिये यह कोशिश की जा रही है कि अगले वर्ष तक भाखरा की बिजली वहां पहुंचा दी जाय।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या दूसरा अच्छा एंजिन लगाने का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री भीखाभाई : नहीं, ऐसा हो रहा है कि जल्दी ही भाखरा के बांध से बिजली आ रही है, ऐसी आशा है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या अगले वर्ष आ जावेगी ?

श्री भीखाभाई : ऐसी कोशिश की जा रही है।

मिलों और फैक्ट्रियों में घटित दुर्घटनायें

८८४. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या श्रम मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.19

(श्री तनसिंह)

(१) राजस्थान की मिलों व फैक्ट्रियों में सन् १९५०-५१ से अब तक प्रति वर्ष कितनी दुर्घटनायें हुईं ?

(२) इनमें कितने व्यक्ति मारे गये और कितने स्थाई रूप से अंग-हीन हो गए ?

(३) उपरोक्त दुर्घटनाओं पर कितने केसेज़ का चालान हुआ ?

(४) दुर्घटनाओं के फलस्वरूप क्या पीड़ित मजदूरों को क्षति पूर्ति दी गई ? यदि हां, तो कितनी ?

श्रम मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) राजस्थान की मिलों व कारखानों में प्रतिवर्ष निम्न प्रकार से दुर्घटनायें हुईं :

१९५०-५१	३३५
१९५१-५२	६०३
१९५२-५३	१५३
१९५३-५४	९८
१९५४-५५	८११
१९५५-५६	७१४
१९५६-५७	११२१

एवं अप्रेल सन् १९५७ से दिसम्बर सन् १९५७ तक ४५७८ । कुल संख्या ८४१३ है ।

(२) इन दुर्घटनाओं में ४६ व्यक्ति मारे गये एवं १९१ व्यक्ति स्थाई रूप से अंगहीन हुए ।

(३) इन दुर्घटनाओं में ४ मिल मालिकों का चालान हुआ ।

(४) हां । पीड़ित मजदूरों को १,९४,०८९ रुपये ७९ नये पैसे कंपेन्सेशन के दिये गये ।

श्री पी० के० चौधरी : ये फिगर्स कम्पेरेटिवली बढ़ रहे हैं; ये एक्सीडेन्ट के केसेज़ बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, कभी कम हो जाते हैं और कभी ज्यादा । लेकिन फिर भी बढ़े जरूर हैं ।

श्री पी. के. चौधरी : क्या सरकार ने इस इन्क्रीज़िंग ट्रेन्ड की जांच की है कि यह क्यों हो रहा है ? मजदूरों की गल्ती से होता है या मालिकों की लापरवाही से ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एक्सिडेन्ट दोनों तरफ से होते हैं । कभी मजदूरों की तरफ से होते हैं और कभी दूसरी तरफ से ।

श्री पी. के. चौधरी : इन एक्सिडेन्ट्स में वृद्धि क्यों हो रही है, कारणों की जांच की ?

श्री अध्यक्ष : कारखानों में वृद्धि हो रही है ।

श्री पी. के. चौधरी : इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : चालान भी किये गये हैं और इसको रोकने के लिये काफी प्रबन्ध किया गया ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

रफीअहमद किदवई के मकबरे के लिये संगमरमर पत्थरों का दिया जाना

८८५. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने रफीअहमद किदवई

Page No.20

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

के मकबरे के लिये संगमरमर पत्थर देने का यदा किया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या पत्थर दे दिये गये ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री नाथू राम मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बांध निर्माण रूपनगढ़ (किशनगढ़)

८८६. **पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार तहसील रूपनगढ़ में रूपन नदी पर रूपनगढ़ के आस-पास बांध बांधने की योजना बनाने को तैयार है ?

(ख) अगर हां, तो कब तक यह योजना तैयार हो जायगी ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) रूपन नदी पर बन्ध बनाने की अभी तक कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या सरकार इसके लिए अब विचार करेगी ?

श्री भीखाभाई : इसके लिए जांच कराई जावेगी ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : कब तक ।

श्री भीखाभाई : तो मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन जैसा आपको मालूम है कि रूपनगढ़ सांभर लेक के कैचमेंट एरिया में है और बगैर साल्ट डिपार्टमेंट की राय के बंध नहीं बनाया जा सकता । इसके बारे में जांच कराई जावेगी कि पानी को रोकने से साल्ट पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या उदड़ा बांध बांधते वक्त सॉल्ट डिपार्टमेंट से पूछा गया था ?

श्री भीखाभाई : इसकी जांच की गई, सॉल्ट डिपार्टमेंट से पूछा गया । एम. डी. मित्तल, एक्स मेम्बर सी. डब्ल्यू. पी. डी. ने मौका देखने के बाद बताया कि पानी रेत में जज्ब हो जाता है इसलिए सॉल्ट प्रोडक्ट पर असर नहीं होता । इसलिए सांभर लेक पर इसका असर नहीं पड़ता ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ८८७

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित)

जो जो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं, उनके प्रश्न बाद में लेंगे । नेक्स्ट ।

राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक

८८८. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या मन्त्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० की स्थापना कब हुई ?

(२) उक्त बैंक ने आज तक कितना ऋण अल्प-कालीन तथा दीर्घ-कालीन वितरण किया ?

(श्री बेनाराम गहलोत)

(३) उपरोक्त ऋण कौन कौन से सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक को कितना कितना दिया गया है ?

सहकारी मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) दिनांक १४-१०-५३ को।

(२) इस बैंक ने अपने पंजीयन से दिनांक १२-२-५८ तक अल्पकालीन ऋण १,८५,६४,७२६ रु० दिये हैं। मध्य-कालीन ऋण कोई नहीं दिया गया।

(३) ब्योरा निम्न प्रकार है :

		रुपया
१.	दी बांसवाड़ा सेन्ट्रल को० बैंक लि०	१०,४२,०००
२.	दी जोधपुर ,,	२०,११,५००
३.	दी भरतपुर ,,	४०,५०,०००
४.	दी जयपुर ,,	३८,२४,६००
५.	भीलवाड़ा ,,	१८,३०,०००
६.	श्री गंगानगर ,,	३,००,०००
७.	दी अलवर ,,	७,०२,०००
८.	कोटा लि० ,,	१३,६७,०००
९.	दी उदयपुर सेन्ट्रल को० बैंक लि०	१२,४६,८७६
१०.	दी पाली ,,	५,५०,०००
११.	दी सवाईमाधोपुर ,,	१३,००,०००
१२.	दी नागौर ,,	१,००,०००
१३.	सीकर ब्रांच ऑफ अपेक्स बैंक	२,१०,७५०
	योग	१,८४,६४,७२६

रावराजा श्री सरदारसिंह : टोंक को आप कैसे भूल गये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : टोंक तो अभी शुरू हुआ है।

श्री बेनाराम गहलोत : मध्कालीन और दीर्घकालीन ऋण नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : इतने दिन व्यवस्था नहीं थी, अब चालू करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

रायपुर (दीपावास) बांध (जिला पाली)

८८६. श्री शंकरलाल (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला पाली के रायपुर (दीपावास) बांध की योजना कितने समय से सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) उक्त योजना की स्वीकृति होने व निर्माण कार्य प्रारंभ होने में देरी क्यों हो रही है ?

(ग) उक्त बांध के निर्माण में कितना रुपया व्यय होगा और कितनी भूमि की सिंचाई होने की संभावना है ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) रायपुर बांध की योजना करीब २ वर्ष से मुख्य अभियंता, सिंचाई के विचाराधीन है।

(ख) योजना का अन्वेक्षण सम्पूर्ण हो गया है और उसके खर्चे का तखमीना बनाया जा रहा है। तखमीने की जांच-पड़ताल के व स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जायगा।

(ग) उक्त बांध के निर्माण पर करीब साढ़े छ लाख रुपये का व्यय और चार हजार एकड़ भूमि की सिंचाई का अन्दाजा है।

श्री शंकरलाल : यह तखमीना कब तक पूरा हो जायगा ?

Page No.22

श्री भीखाभाई : मेरा ख़याल है, एक आध महीने में सारा तख़मीना पूरा हो जावेगा।

प्रश्न संख्या ८६०

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८६१

श्री रामधन।

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट, श्रीमती सतवन्त कौर।

गंगनहर से दिया जाने वाला जल

८६२. **श्रीमति सतवन्तकौर** (करनपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जिला गंगानगर के गंग कैनाल क्षेत्र में गंगनहर से कितना ऐसा पानी है, जो विशेष दरों से दिया जा रहा है ?

(ख) गंगनहर से कितना पानी शहरों को दिया जा रहा है और उससे कितनी आय आ रही है ? शहर-वार ब्योरा दिया जावे।

(ग) यदि इतना पानी किसी सिंचाई क्षेत्र को दिया जावे तो उससे कितनी लगभग आय हो सकती है ?

(घ) क्या शहरों से आय कम होती है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा क्या सरकार इसकी जांच करवाएगी ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जिला श्री गंगानगर के गंग केनाल क्षेत्र में गंग नहर से ६. २४ क्युसिक पानी विशेष दरों से दिया जा रहा है।

(ख) गंगनहर से ६. २४ क्युसिक पानी शहरों को दिया जा रहा है। उसकी आय और पानी के ब्योरे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ग) यदि इतना पानी सिचाई क्षेत्र को दिया जावे तो उससे लगभग २२,००० रु० की आय की आशा की जा सकती है।

(घ) शहरों को दिये जा रहे पानी की आय सिंचाई के लिये दिये जाने से अधिक है। इसलिए जांच कराने का प्रश्न नहीं उठाता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सही है कि जो पानी दिया जाता है ज्यादातर कोठियों और बगीचों को दिया जाता है और उसमें खर्च होता है ?

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जालोर में बिजली लगाने की व्यवस्था

८६३. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : क्या सरकार की जालोर नगर में बिजली लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसे कार्यरूप में परिणत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) : जी हां। अभी कार्यरूप में परिणत नहीं हो पाई। पहले सिविल वर्क पूरा होना आवश्यक है।

श्री तनसिंह : यह कब कार्यरूप में परिणत हो रही है ?

Page No.23

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बिजली विभाग में कार्यवाही हो रही है ।

श्री तनसिंह : नगरपालिका द्वारा जो व्यवस्था है, क्या उसको सरकार अपने चार्ज में लेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वहां नगरपालिका का, गवर्नमेंट का पॉवर हाउस लगाया जा रहा है, वही रहेगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या सरकार ने एंजिन खरीद लिया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि दो एंजिन आये हैं और उनको लगाने के लिये फॉउन्डेशन वगैरह बनाई जा रही है । इसके लिये टेन्डर मांगे; ठेका दिया नहीं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : वे जालोर कब पहुंचे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑर्डर दिया गया है, जल्दी आ जावेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सहकारी समितियां, पाली

८६४. मूलचन्द डागा (पाली) : क्या कृषि तथा सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पाली तहसील में आज तक कुल कितनी सहकारी समितियां बन चुकी हैं और किस किस को कितना कितना लोन दिया जा चुका है ?

(ख) किन किन समितियों को अभी तक देना है ? कृपया इसकी सूची दीजियेगा ।

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : पैंतीस समितियां बन चुकी हैं जिन समितियों को ऋण दिया जा चुका है ।

(ख) अभी जो देना है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : इन समितियों ने ऋण के लिये दरख्वास्तें कब दीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री मूलचन्द डागा : उनको अभी तक ऋण नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उन्होंने लेट दरख्वास्तें दीं होंगी या उनके मामले कहीं अटके पड़े होंगे । कई मामले किसी जगह अटक जाते हैं ।

श्री पी. के. चौधरी : उसका रिकमन्डेशन को इम्पलीमेंट कब करते हैं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कौन से प्रश्न पर पूछते हैं ?

श्री अध्यक्ष : कभी कभी वे भी ऐसा कर सकते हैं ।

(हंसी)

माही नदी (बांसवाड़ा) पर बांध बांधने की योजना

८६५. नाथूराम (बागीडोरा) : क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के सामने बांसवाड़ा जिले में, माही नदी पर, कोई बांध बांधने की योजना विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

Page No.24

(श्री नाथूराम)

(ग) क्या राज्य सरकार ने उक्त योजना का प्रतिवेदन योजना आयोग के पास भेजा है ?

(घ) यदि हां, तो कब ?

उप सिंचाई मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (क) हां।

(ख) योजना भारत सरकार को मंजूरी के लिये भेजी गई है।

(ग) माही योजना राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक एफ. ३।१६७। प्लान। ए-५६, दिनांक १५-५-५७ को योजना आयोग के पास भेजी गई है।

श्री नाथूराम : क्या राज्य सरकार की ओर से पुनः याद-दाहिनी भेजी जावेगी।

श्री भीखाभाई : याददाहिनी भेज दी गई है, एक-दो।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

टैक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट

८६६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या श्रम मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टैक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी, जो श्री देशपांडे की अध्यक्षता में स्थापित की गई थी, ने कोई रिपोर्ट दी है ? अगर हां, तो क्या उसका प्रकाशन हुआ है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(ख) क्या सरकार द्वारा उन सिफारिशों (रिकमेन्डेशन्स) को कार्यान्वित करने के लिए आज तक कोई कदम उठाये गये हैं ? अगर हां, तो क्या-क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) टैक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक ३१ जुलाई, १६५६ को सरकार को प्रस्तुत करदी थी। उस रिपोर्ट का प्रकाशन भी अक्टूबर १६५७ को किया जा चुका है।

(ख) उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए मजदूरों और मालिकों का समझौता कराने की कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही मालिकों व मजदूरों के प्रतिनिधियों को समझौते के लिए बुलाया जा रहा है।

श्री पी० के० चौधरी : यह रिपोर्ट आपको प्राप्त कब हुई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास ३१ जुलाई, १६५६ लिखा हुआ है।

श्री पी० के० चौधरी : कौनसी तारीख को रिपोर्ट सरकार को मिली ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने बताया कि यह लिखा हुआ है कि रिपोर्ट ३१ जुलाई, १६५६ को प्रस्तुत कर दी।

श्री मूलचन्द डागा : मजदूरों और मालिकों की मीटिंग कब बुलाई गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपस में समझौता करा कर उसको इम्पलीमेन्ट करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने एक वेज बोर्ड भी और मुकर्रर कर दिया, इस लिए उसको देखते हुए भी कोई कॉन्फ्लिक्ट दोनों में न हो इस दृष्टि से आपस में समझौता कराने का प्रयत्न किया जा रहा है।

Page No.25

श्री पी० के० चौधरी : जुलाई ५६ से मार्च ५८ तक इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेन्ट करने के लिए क्या एक्शन लिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टैक्सटाइल के लिए यह कमेटी की रिपोर्ट थी और दूसरा जैसा मैंने बताया कि भारत सरकार ने वेज़ बोर्ड नियुक्त कर दिया इसलिये दोनों की रिकमन्डेशन्स से कोई कॉन्फ्लिक्ट न हो जाय इस दृष्टि से आपस में समझौता कराने का प्रयत्न किया जा रहा है, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया।

श्री पी० के० चौधरी : तो क्या इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेन्ट नहीं करावेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दोनों की रज़ामन्दी से इम्प्लीमेन्ट कराने की कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

मोटर स्टैन्ड, लालसोट

८९७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कस्बा लालसोट के मौजूदा मोटर स्टेन्ड को हटाया जाकर ग्रेन गोदाम के पास ले जाया जायगा, जहां कि जगह काफी है और आबादी से भी नजदीक पड़ता है और जहां एक्सीडेन्ट का अन्देशा भी नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :

(क) जब तक जनता द्वारा इस प्रकार की कोई मांग न आए, ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ८९८

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ८९९

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री।

(अनुपस्थित)

श्री प्रभुलाल पुरोहित।

कांस्टेबिलों व सब-इन्सपेक्टरों के लिए आवास की व्यवस्था

९००. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कांस्टेबिल व सब-इन्सपेक्टर पुलिस को रहने के लिए सरकार क्वार्टर देती है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, गृह मंत्री की अनुपस्थिति में) :

(क) राजस्थान सर्विस रूल्स की धारा ४२ के अनुसार सब-इन्सपेक्टर व कांस्टेबिल, जहां सरकारी मकान प्राप्त हो वहां, बिना किराये के मकान के अधिकारी हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह।

चिकित्सालय-कोटपुतली

९०१. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्री रामकरणसिंह)

(क) कोटपुतली में 'ए' श्रेणी का अस्पताल कब से हुआ ?

(ख) क्या स्टाफ और बजट में 'ए' श्रेणी के अस्पताल होने पर वृद्धि की गई है ?

(ग) यदि हां, तो कितनी और किन-किन पोस्ट्स की ?

(घ) क्या वृद्धि किया हुआ स्टाफ व बजट की पूर्ति हो गई है ?

(ङ) यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों नहीं ?

(च) क्या फीमेल व मेल अस्पताल में नर्स भेजे जाने के ऑर्डर हुए थे ?

(छ) यदि हां, तो आज तक क्यों नहीं पहुंची ।

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(क) ऐसा नहीं हुआ ।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(घ) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(ङ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(च) जी नहीं ।

(छ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

(हंसी)

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि कोटपुतली में 'ए' श्रेणी का अस्पताल नहीं खोला गया ?

श्री भीखाभाई : पहले से ही मौजूद है ।

श्री रामकरणसिंह : सुनाई नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष : पहले से ही मौजूद है ।

श्री भीखाभाई : ठिकाने के वक्त में इस अस्पताल का 'अस्पताल' नाम था और 'ए' श्रेणी का यह नहीं था । राजस्थान बना तो यह तीसरी श्रेणी में आया ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि दूसरा डॉक्टर वहां थोड़े दिनों पहले ही भेजा गया था ।

श्री भीखाभाई : ठिकाने के बाद काफी स्टाफ बढ़ाया गया ।

श्री रामकरणसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान बनने के तीन साल बाद में वहां दूसरा डॉक्टर भेजा गया है ?

श्री भीखाभाई : यह सही नहीं है । हमारी इत्तला है वह यह कि प्री-मर्जर स्टाफ में राजस्थान बनने के बाद वृद्धि हुई है । डॉक्टरों की कमी को आप जानते ही हैं और १० सितम्बर को डॉक्टर वहां भेजा गया । दाई को भी भेजा गया है और मिडवाइफ की कमी है ।

श्री रामकरणसिंह : ठिकाने के टाइम में और अब चल रहा है, वह उसी श्रेणी और केटेगरी का था, क्या यह सही नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३०० बेड्स और उससे ज्यादा हों तब ही वह अस्पताल 'ए' श्रेणी में आता है । वहां स्टाफ जरूर बढ़ाया गया है ।

प्रश्न संख्या ६०२

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री ।

(अनुपस्थित)

Page No.27

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ६०३

श्री होतीलाल

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास

सिविल एसिस्टेन्ट सर्जन (प्रथम श्रेणी) का चुनाव

६०४. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी): क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सिविल एसिस्टेन्ट सर्जन, श्रेणी प्रथम, के चुनाव के बारे में उम्मीदवारों की क्या क्या योग्यता देखी जाती है ?

(२) क्या इस पद के लिए किन्हीं प्रमाण पत्राधारियों को चुना जाता है ?

(३) क्या राज्य सरकार ने पी. एस. सी. को किन्हीं डॉक्टरों की सूची अपने परीक्षाफल में शामिल करने के लिए दी थी ?

(४) क्या राज्य सरकार ने कन्डेन्स्ड कोर्स (condensed course) पास डॉक्टरों को एम. बी. बी. एस. के सिविल एसिस्टेन्ट सर्जन, प्रथम श्रेणी, के पदों पर काम करने का मौका दिया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सिविल एसिस्टेन्ट सर्जन, प्रथम श्रेणी, के चुनाव के लिए निम्नलिखित योग्यतायें देखी जाती हैं :

मैडिकल ग्रेजुएट, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा एम. एस. या एम. डी. आदि प्राप्त किये हुए हैं अथवा मैडिकल ग्रेजुएट जिन्हें तीन साल का अनुभव राजस्थान सरकार के आधीन कार्य का हो अथवा लाइसेन्सियेट जो राजस्थान सरकार के आधीन २० वर्ष से कम कर रहे हों ।

(२) प्रमाण-पत्रधारियों (डिप्लोमा होल्डर्स) को चुनाव में सम्मिलित किया जाता है ।

(३) जी नहीं । परीक्षाफल में शामिल करने के लिए कोई सूची जन सेवा आयोग को नहीं भेजी गई ।

(४) जी हां । प्रश्न का उत्तरार्द्ध भाग नहीं उठता ।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न ४ का उत्तर समझ में नहीं आया । क्या उत्तर दिया, यह पुनः बता दीजिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां । उनको मौका दिया गया है ऐसा ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(अवशेषी प्रश्नोत्तर (६०५ से ६१४) के लिए परिशिष्ट ४ देखिए ।)

सदन के माननीय नेता एक प्रस्ताव करेंगे ।

१२.८ म० प०

प्रक्रिया की नियमावली हेतु प्रवर समिति की स्थापना

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

Page No.28

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

"That the House may proceed to make rules for regulating its procedure and the conduct of its business as contemplated by clause (1) of Article 208 of the Constitution of India and for that purpose may appoint a Select Committee of this House consisting of the following to examine the existing Rules of Procedure and suggest the Draft Rules for the considera tion of the House. The Select Committee shall submit its report to the House by the first week of the commencement of the next session of the Assembly:—

1. Shri Badri Prasad Gupta.
2. Shri Ram Kishore Vays.
3. Shri Sajjan Singh.
4. Shri Barkatulla Khan.
5. Shri Hari Deo Joshi.
6. Shri Moti Lal Chaudhary.
7. Shri Abid Ali.
8. Shri Ram Prasad Ladha.
9. Shri Laxmi Chand.
10. Shri Bhairon Singh (14).
11. Raja Man Singh.
12. Shri Raghubir Singh.
13. Shri Narain Singh of Masuda.
14. Shri Hari Shanker Sidhant Shastri.
15. Shrimati Sumitra Devi.

The general rules in respect of Select Committees on Bills shall also apply to this Committee."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (जौहरी बाजार, जयपुर) On a point of order, Sir. यह प्रस्ताव जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने रखा है इसके सम्बन्ध में मैं श्रीमान् का ध्यान इन रूल्स की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। कॉन्स्टिट्युशन के आर्टिकल २०८ के अन्तर्गत रूल्स ऑफ प्रोसिजर बनाने के बारे में जो प्रस्ताव माननीय सदन के नेता ने रखा है, माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इसमें मुझे बड़ी आपत्ति है। जो रूल्स ऑफ प्रोसिजर विधान सभा ने पास किये हैं, जिनके तहत काम होता है उसमें चेप्टर १६ है: 'Amendment of Rules Rules Committee.' माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल १३६ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं :

'There shall be a Committee on Rules to consider matters of procedure and conduct of business in the Assembly and to recommend any amendment or additions to these rules that may be deemed necessary."

Further more, Sir.

'The Committee on Rules shall be nominated by the Speaker and shall consist of ten members including the Chairman of the Committee. The Speaker shall be ex officio Chairman of the Committee."

Then, Sir,

"The Committee shall hold office until a new Committee is nominated."

Then, Sir,

"If the Speaker is for any reason unable to act as Chairman of the Committee he may appoint

Page No.29

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

another Chairman of the Committee."

and furthermore, Sir, 'Quorum':

'The quorum to constitute a sitting of the Committee shall be four."

Then with regard to rules 140, 141, 142 and 143, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे ये रूल्स ऑफ प्रोसिजर विधान सभा ने पास किये हैं। यदि रूल्स ऑफ प्रोसिजर में कोई अमेन्डमेन्ट करना चाहें, कोई एडीशन करना चाहें, कोई तब्दीली करना चाहें, कोई संशोधन करना चाहें तो उनके लिए एक प्रोसिजर इन रूल्स में दिया हुआ है। इन रूल्स को ओवरराइड करके यहां पर इस प्रकार का रिज़ोल्युशन, जो कि सदन के नेता ने हमारे सामने रखा है, इसमें यह है कि :

"That the House may proceed to make rules for regulating its procedure and the conduct of its business as contemplated by clause (1) of Article 208 of the Constitution of India and for that purpose may appoint a Select Committee of this House consisting of the following......"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में यह लिखा गया है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को तैयार करने के लिये संविधान की धारा २०८ के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि इस प्रकार के रूल्स ड्राफ्ट करने के लिये, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को तय करने के लिए एक सिलेक्ट कमेटी का निर्माण के लिये रखा है, जिसमें पन्द्रह लोगों के नाम रखे गये हैं। मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा ने संविधान की धारा २०८ के तहत रूल्स ऑफ प्रोसीजर एन्ड कंडक्ट ऑफ बिज़नेस अपना बना रखा है। उन रूल्स के अन्तर्गत यह भी व्यवस्था दी गई है, चेप्टर १६ के तहत धारा १३६,१४१ जिसके तहत किसी प्रकार का संशोधन रूल्स में करना हो, तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार दिया गया है कि वे रूल्स कमेटी अपोइन्ट कर सकते हैं और उस रूल्स कमेटी में दस सदस्य होंगे। जब कि इस प्रस्ताव में यह रखा गया है कि इस कमेटी के पन्द्रह सदस्य होंगे जब कि रूल्स के अन्तर्गत स्पीकर महोदय को दस आदमियों को नोमीनेट करने का अधिकार दिया है। उसके अलावा जो रूल्स के तहत कोरम की संख्या रखी गई है उसमें चार का प्रोवीज़न है। जब कि इस प्रस्ताव द्वारा हम यह करने जा रहे हैं जो रूल्स या प्रोसीजर जनरल कमेटीज़ के बारे में हैं, वह इसमें भी लागू होगा यानी पांच सदस्यों की उपस्थित पर्याप्त मानी जायगी। एक तरफ तो हमारे रूल्स यह कहते हैं कि चार आदमियों का कोरम होगा, दूसरी तरफ प्रस्ताव आता है, जो प्रोसीज़र सिलेक्ट कमेटीज़ में रहता है यानी वन थर्ड का कोरम रहेगा। इस सम्बन्ध में सूक्ष्म से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान की धारा २०८ के अन्तर्गत स्पीकर महोदय को यह अधिकार दिया गया है, रूल्स में अगर वे किसी प्रकार तरमीम या संशोधन चाहते हैं तो उन संशोधनों को वे रूल्स कमेटी द्वारा करवा सकते हैं। रूल्स कमेटी किस प्रकार होगी, कौन उसका चेयरमेन होगा, मैं समझता हूं, इन सब बातों को लेकर यह प्रस्ताव हमारे सामने आया है इस पर मुझे वैधानिक आपत्ति

Page No.30

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है। हम इस तरह के प्रस्ताव पर विचार नहीं कर सकते, इस प्रकार का प्रस्ताव इन्ट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता क्योंकि रूल्स की तहत में अध्यक्ष महोदय को अधिकार दिया गया है, उन अधिकारों का भी हनन इस प्रस्ताव द्वारा होता है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव पर इतने भाषण की आवश्यकता नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रूल्स के इन्टरप्रिटेशन के बारे में है. रूल्स में प्रोवीज़न दिया हुआ है रूल्स ऑफ बिजनेस के अमेन्डमेन्ट के बारे में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष, रूल्स हैं ही नहीं इस हाउस के। मैं यह निवेदन कर दूं, जब राजस्थान में अजमेर का विलीनीकरण हुआ, उसके बाद सदन ने कोई रूल्स नहीं बनाये। यह कमेटी इसीलिए बनायी गई है कि वह रूल्स ऑफ प्रोसीजर तय करे और उसी के अनुसार काम हो सके।

श्री अध्यक्ष : मैं और स्पष्टीकरण कर दूं। जिस धारा की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है, रूल्स कमेटी के विषय में, वह कमेटी ऐसी कमेटी है जो एक दफा रूल्स बना दिये जाए तो उसके बाद ऐसी कमेटी कायम हो सकती है, लेकिन इस सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति इस प्रकार से है। स्टेट्स के रिऑर्गेनाइज़ेशन के बाद सेक्शन ३२ के मुताबिक, जो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, स्थिति इस प्रकार है :

"Until rules are made under clause (1) of Article 208 by the Legislative Assembly of new State the rules as to the procedure and conduct of business in force immediately before the appointed day with respect to the Legislative Assembly of the corresponding State shall have effect in relation to the Legislative Assembly of the new State, subject to such modifications and adaptations as may be made therein by the Speaker."

इसलिये इन परिस्थितियों में दो बातें थीं जो हम कर सकते थे, एक तो यह थी कि नई कमेटी का निर्माण किया जाय जो रूल्स बनाकर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे और उसके बाद हाउस उसको स्वीकृति दे।

दूसरी बात यह हो सकती थी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अन्तर्गत रूल्स कमेटी बनायी जाय, यानि स्पीकर द्वारा कमेटी बनायी जाय जो रूल्स में चाहे जैसे हेर फेर करे। इन दोनों बातों में यह बेहतर समझा गया कि अभी तक हाउस के रूल्स नहीं हैं इसलिए इन्टरिम काल के लिए पहले जो रूल्स चले आ रहे थे उसी के मुताबिक कार्य हो रहा है इसलिये ज्यादा उपयुक्त यह समझा गया कि सदन द्वारा एक कमेटी बना दी जाय जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर को देखे, उन पर विचार करे और उसके बाद उसको हाउस के सामने रखे और फिर हाउस उनको एडॉप्ट करे। इसलिये यह कार्यवाही की गई है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, माननीय सदन के नेता ने इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of information; Sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझ सका हूँ, हमारे संविधान में इससे रिलेवेन्ट एक अनुच्छेद

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

११८ भी है, जिसमें लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाये जांय, उसमें जो प्रोसीजर दिया हुआ है, उसमें लिखा गया है कि कोई नये रूल्स न बनाये जांय बल्कि जो पुराने रूल्स बने हुए हैं उन्हीं को एडोप्ट कर लिया जावे। मेरी जहां तक जानकारी है जो संविधान की कमेन्टरी दी हुई है, उससे ऐसा विदित होता है कि, हमारी भारतीय संसद ने भी गजट में नोटिफिकेशन निकाल कर जो पार्लियामेंट के पहले से रूल्स बने हुए थे, उनको स्वीकार किया है। मैं समझता हूं, जब भारतीय संसद के लिये यह नियम है तो हमारी राजस्थान विधान सभा के लिये भी यह होना चाहिये कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर इस विधान सभा का बना हुआ है उसी को राजस्थान विधान सभा एडोप्ट कर ले। इसके अलावा पर्टीकुलर प्रोसीजर दिया हुआ है, रूल्स कमेटी के लिए उसके अन्तर्गत नोमीनेशन कर सकते हैं। ऐसी हालत में बिना नये रूल्स बनाये, जो पहले से रूल्स चले आ रहे हैं, उन्हीं को एडोप्ट किया जा सकता है, इस प्रकार के रिज़ोल्युशन की आवश्यकता नहीं। अगर किसी प्रकार से रूल्स में अमेन्डमेंट करना हो तो उसके लिये भी प्रोसीजर प्रेसक्राइब्ड है, उसके अनुसार रूल्स में अमेन्डमेंट हो जाय।

श्री अध्यक्ष : इसमें कोई खास आपत्ति नहीं है। मैंने जिस प्रकार से स्थिति का स्पष्टीकरण किया, उससे माननीय सदस्य को सन्तुष्ट हो जाना चाहिये। यह सही है कि रूल्स में हेर फेर मैं खुद कर सकता हूं किन्तु अभी तक जो इन्टेरिम रूल्स चले आ रहे हैं, उसके लिए ऐसी व्यवस्था करना उचित समझा गया कि एक दफा हाउस द्वारा निर्मित कमेटी उस पर विचार करे। मैं किसी कमेटी को नोमीनेट करूं उसके बजाय हाउस खुद ही किसी कमेटी को स्वीकार करे और इस पर विचार करे। उसके बाद रूल्स को हाउस के सामने लाया जाय और वे औपचारिक रूप से स्वीकार किये जायं। इसमें किसी के अधिकार का हनन नहीं होता, इसलिये यह प्रस्ताव काफी उचित है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of information, sir, जो रूल्स हमको दिये गये हैं उनमें लिखा हुआ है :

'Made by the Rajasthan Legislative Assembly in persuance of the provisions of Article 208 (1) of the Constitution of India.'

तो वैसी हालत में, माननीय अध्यक्ष, क्या मैं यह समझूं कि जो रूल्स राजस्थान विधान सभा ने बनाये हैं, क्या वे रूल्स संविधान की धारा २०८ के अन्तर्गत नहीं बनाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : स्टेट्स के रिऑर्गेनाइज़ेशन के बाद में स्थिति और हो गई है।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जो रूल्स आज तक प्रीविलेन्ट हैं क्या वे....

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, कुछ समझ में फर्क हो रहा है, वे रूल्स तो पुरानी असेम्बली द्वारा बनाये हुए हैं। इस असेम्बली के लिये तो नये रूल्स बनाने होंगे। इस छोटी सी बात के लिए लम्बी बहस करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव सदन के नेता ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

डॉ० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है, वह यह कि जब नियम मूल रूप में बनाये जांय तो वे हिन्दी में बनाये जांय और उसका आवश्यकतानुसार अंग्रेजी में अनुवाद करा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं, कमेटी इस बात को ध्यान में रखेगी ।

१२:२० म०प०

अनुदान की मांगों पर मतदान मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा

(पूर्व क्रम से)

कल मांग संख्या १६ पर बहस चल रही थी, अब स्वास्थ्य मंत्री उसका उत्तर देंगे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्तावों के जरिये अपने सुझाव रखे हैं और बहुत सी बातें जो उन्होंने फरमाई हैं और जैसा उन्होंने कष्ट किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । खास तौर से इसलिए कि इस विभाग की ओर और इसकी आवश्यकताओं और शिकायतों पर माननीय सदस्यों ने इतना ध्यान दिया है । अध्यक्ष महोदय, जो बातें माननीय सदस्यों ने फरमाई हैं, वे उनके अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों की बातें हैं और वहां जो कमियां हैं, उनकी ओर उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है । उनकी इन्डीविजुअल बातों में न जाकर, सबसे पहले जो कुछ मुद्दे की बातें कही गई हैं और खास तौर से आयुर्वेद के लिए माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है उसके बारे में कहूंगा । आयुर्वेद के बारे में बोलते हुए सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि मैंने सदन में भी और सदन के बाहर भी यह अर्ज किया है कि सरकार की यह पॉलिसी है कि आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाय और सरकार भी इस बात की कोशिश में है और जो मेरे पास आंकड़े हैं उनके द्वारा मैं सदन को बताऊंगा कि सरकार ने आयुर्वेद के प्रसार के लिए क्या किया है । इसके बारे में मैं अर्ज करूं कि इसके लिए हमारा निश्चित प्लान है और वह पहले से ही बना हुआ है और तीन साल पहले यह प्लान बना था, उस समय यह विभाग मेरे पास नहीं था लेकिन प्लान के अन्तर्गत जो कुछ हम आयुर्वेद के प्रसार के लिए कर सकते हैं, उसको करने की जरूर कोशिश करते हैं । आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय हमारे यहां आयुर्वेद कॉलेज में पांच साल का कोर्स कर रखा है और मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान के जितने भी आयुर्वेदिक कॉलेज़ हैं उनमें हमारे यहां का कोर्स किसी के भी पीछे नहीं है । एक बात अवश्य कही गई कि आयुर्वेद के रिसर्च के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, इसके बारे में मैं अर्ज करूं कि अब तक हमारे यहां रिसर्च का मामला नहीं था लेकिन हमने इसकी शुरुआत डाल रखी है और भारत सरकार ने इसके लिए जितना रुपया मंजूर किया है, वह जामनगर को छोड़कर सबसे ज्यादा हमें किया है और इसके अन्तर्गत हमें ४०,००० रुपया मिला है । मैं यह नहीं कहता कि इसमें हमने सब कुछ किया है, इसमें बहुत कुछ कमियां हैं और आगे बहुत कुछ करना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिलना चाहिए और जो कुछ हमने शुरू किया है वह कम नहीं है और आयन्दा भी इस संबंध

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

में ज्यादा से ज्यादा इसके प्रसार करने की कोशिश करेंगे।

एक बात जो नजर आती है, वह यह है कि कुछ इस तरह की बातें हैं कि जब कभी डिमान्ड्स में बातें होती हैं तो आयुर्वेद आदि की डिस्पेन्सरी के लिए सब लोग मांग करते हैं। मैं यह मानता हूं कि आयुर्वेद में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है, लेकिन जब तक जनता का विश्वास और माननीय सदस्यों का विश्वास उसमें नहीं होगा, तब तक इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हो सकती। मैं तो इस बात का हामी हू कि बड़े बड़े अस्पतालों को बन्द कर के छोटे छोटे आयुर्वेदिक औषधालय खोल देने चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि सब को यह मान्य नहीं होगा और यह जो कट मोशन्स हाउस के सामने आये हैं उनमें भी इस बात की काफी चर्चा की गई है और बाहर भी होती है, लेकिन यह नहीं कहते कि आयुर्वेद को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। जितना भी हमारा इसके लिए प्लान है उसमें करने की कोशिश करते हैं और इसके लिए आयन्दा भी ध्यान दिया जायेगा कि आयुर्वेद को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन मिले। इसके बारे में जो विशेष आपत्ति की गई वह यह है कि इसमें दवाइयां बहुत कम हैं और आयुर्वेद में लोगों को तनख्वाहें बहुत कम हैं। मैं अर्ज करूं कि राजस्थान जैसा इन्टीग्रेशन के पहले था, उसमें यह सौभाग्य की बात है कि जो राजधानियां थीं उनमें, इसके लिए काफी सहायता मिली। राजस्थान की परिस्थिति को देखते हुए हमारे यहां जितने भी बड़े-बड़े अस्पताल हैं, वह काफी हैं। हमारे यहां एक बात की कमी रही है और वह यह है कि हमारे यहां के लोग देहात की जनता के लिये इतना काम नहीं कर सके हैं जितना कि होना चाहिए था और जिसकी आजकल मांग है। मैं अर्ज करूं कि राजस्थान में आयुर्वेद की डिस्पेन्सरियां जिस समय राजस्थान बना, उसके पहले बहुत कम थीं और जहां तक दवाइयों की बात है, वह तो एक साल में एक औषधालय के लिए जो कि 'सी' ग्रेड का होता था, उसको २०० रुपये दिये जाते थे। मैं आपको इसके बारे में आंकड़े बताऊं, सन ५४-५५ में एक साल में एक औषधालय को २०० रु. दवाइयों के लिए दिये जाते थे, वह सन् ५५-५६ में २५० रु० हुये और ५६-५७ में ३०० रुपये हुए और ५७-५८ में ४०० रुपये हो गए और अब ५८-५९ में ६०० रु० हो गये। तो इस तरह से अब हम औषधालयों को ६०० रुपये सालाना की दवाइयां देने की कोशिश कर रहे हैं यानी २०० के बजाय ६०० रुपये देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम उनको अब तिगुना दे रहे हैं......

श्री शोभानसिंह : पॉइन्ट ऑफ़ ऑर्डर, सर, एक तो माननीय मन्त्री महोदय पहले ही ऐसा बोल रहे हैं और फिर दूसरे मन्त्री महोदय इसी तरह बात कर रहे हैं, इसलिये ऐसा प्रबन्ध किया जाय कि हम रिप्लाई सुन लें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि पहले हम जहां २०० रुपये की दवाइयां औषधालयों को देते थे वहां अब ६०० रुपये देने की व्यवस्था कर रहे हैं और इससे हमारे यहां कई लाख रुपयों का फर्क पड़ा है।

अब जो औषधालय हम खोल रहे हैं, उसमें भी काफी प्रगति हो रही है और इसमें

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

हमारी इस तरह की योजना है कि पहले तो ऐसा था कि हर ३ पंचायतों के पीछे एक औषधालय होना चाहिए । लेकिन चूंकि प्लान में काफी कमियां हो गई हैं, इसलिए अब ऐसी व्यवस्था है कि हर ४ पंचायतों के पीछे एक औषधालय जरूर होना चाहिए और अभी तो हमारे प्लान के तीन साल बाकी हैं, इनमें हम २२५ नये आयुर्वेदिक औषधालय खोलने जा रहे हैं और इससे आशा है कि देहात की काफी कमी पूरी हो जायेगी । इसी तरह एलॉपेथी और दूसरी डिस्पेन्सरीज़ खोलने की बात है, मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करूं कि पहले तो भारत सरकार और सारे हिन्दुस्तान में इस तरह की पॉलिसी थी कि ३००० से ऊपर की आबादी के जितने भी कस्बे हैं, उनमें एक डिस्पेन्सरी होनी चाहिए । इसके बाद में भारत सरकार ने एक हैल्थ कॉन्फ्रेन्स में यह बातें निश्चित कीं कि हर कस्बे में खोलने के बजाय हर एक कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लॉक में एक प्राइमरी हैल्थ सेन्टर होना चाहिए और इसके अन्तर्गत ८० इस तरह के सेन्टर खोलने की योजना है जिसमें से कुछ खुल भी चुके हैं और बाकी के ३ साल में पूरे किये जायेंगे । यह खास तौर से हमारे जो कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट एरिया हैं, उनमें खोलने की व्यवस्था है । इसके बाद, मैं माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूं कि यह खास तौर से रूरल एरियाज के लिए हैं और यह प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स रूरल एरियाज़ के लिए ही खोलने की व्यवस्था है । इन प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स के अन्दर डॉक्टर्स होंगे, मिडवाइफ होंगी, नर्सेज होंगी । इसके अलावा कल एक माननीय सदस्य ने एक बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया था कि गांवों में मिडवाइव्स और जच्चा–बच्चा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए । मैं आपको बताऊं कि इस तरह की भी व्यवस्था इन प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स में की है । इस तरह से ज्यों–ज्यों हमारे यहां ब्लॉक्स खुलते जायेंगे और जितने भी हमारे यहां कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट ब्लॉक्स होंगे, उनमें यह सेन्टर्स हो जायें । इससे हमारे गांवों की समस्या का हल हो जाना स्वाभाविक है । इस तरह का एक प्लॉन बना हुआ है और उसके अन्तर्गत काम करते हैं । बहुत से लोगों ने ऐसी मांग की है कि हमारे यहां गांवों में डिस्पेन्सरी नहीं है, मैं अर्ज करूं कि उसकी वजह से हमारे यहां दिक्कतें आ रही हैं । लेकिन एक बात और है कि जहां प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोलने जा रहे हैं और जिन रूरल एरियाज़ में और भी डिस्पेन्सरी हमारा खोलने का प्रोग्राम है । एक साल में १४ सेन्टर्स खोलने का हमारा प्रोग्राम है और जहां ऑलरेडी हैं, उनको वहां से हटा कर रूरल एरियाज़ में डिस्पेन्सरी खोलने की व्यवस्था हम कर रहे हैं ।

अब इसके अलावा दूसरी शिकायत इस संबंध में डाक्टरों की है, मैं बताऊं कि डाक्टर नहीं हैं, नर्सेज़ और कम्पाउन्डर्स की कमी है । साथ ही यह भी बात है कि, मैंने कई बार निवेदन किया कि, डॉक्टर लोग रूरल एरियाज़ में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और खास तौर से लेडी डॉक्टरों का तो जब तबादला करते हैं तो वह अपने साथ इस्तीफा लिखा हुआ लाती हैं और वह तुरन्त इन्कार करती हैं । मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए कहूं कि कल ही जैसे एक माननीय सदस्य ने जालोर के लिए पूछा । तो इस प्रकार की दिक्कतें हमारे सामने आती हैं । लेकिन फिर भी हम इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स और मिडवाइफस हों उसके लिए इस

Page No.35

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

साल सबसे पहले राजस्थान ने कदम उठाया है वह यह है कि हमारे रूरल एरिया में हमारे डॉक्टर्स जाते हैं, उनके लिए एलाउन्स स्वीकार किया गया है और जो डाक्टर वहां पर काम करेंगे, रूरल एरिया में काम करने के लिए जायेंगे उनको ७५) रु० मिलेगा। उसके लिए सवा लाख रुपया इस बजट के अन्दर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, स्वीकार करने के लिए। मैं समझता हूँ कि हम डॉक्टरों को मजबूर नहीं कर सकते हैं गांवों में जाने के लिए, क्योंकि पहले ही डॉक्टर कम हैं। लेकिन जो डॉक्टर रूरल एरिया में काम करेंगे, उनको ७५) रु० ज्यादा देने के लिए व्यवस्था करी है, ताकि रूरल एरिया में जो इन्कन्वीनियन्स होती हैं, दिक्कत होती है, उसको कम्पेन्शेट करने के लिए और बैकवर्ड एरियाज़ जो हैं उनके लिए भी वही एलॉउन्स रखा गया है ताकि बैकवर्ड एरिया में डॉक्टर जायें। मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि डॉक्टरों से इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि वे रूरल एरिया में जाकर काम करें और उनको इस बात के लिए प्रेस करते हैं तो कई डॉक्टर नौकरी छोड़ कर चले गये। लेडी डॉक्टर की तो और भी ज्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी हमने व्यवस्था की है। बंगाल गवर्नमेंट को लिखा पढ़ी की है कि डॉक्टर भेजने की कोशिश करें। अभी पी. एस. सी. में भी हमने एडवर्टाइज़ किया है। हाल ही में बंगाल गवर्नमेंट को, जहां कि डॉक्टर ज्यादा हैं, उनको फिर लिखा है कि डॉक्टर हमको फौरन देवें। अब तो रूरल एलॉउन्स भी मन्जूर हो गया है, इसलिए उम्मीद है कि डॉक्टर ज्यादा उपलब्ध हो सकेंगे।

जहां तक दाइयों, मिडवाइफ, हैल्थ वर्कर और सेनिटरी इन्सपेक्टर की कमी के बारे में सवाल है, मैं अर्ज करूं कि राजस्थान में इनकी ट्रेनिंग के लिए बहुत से सेन्टर्स खोले गये हैं। मिडवाइफ की ट्रेनिंग के लिए हमने जयपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर में सेन्टर खोले हैं। हरेक सेन्टर में ३० विद्यार्थी लिये जाते हैं। उनको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। इसके बावजूद भी मैं निवेदन करूंगा कि उन सेन्टर्स में जितनी विद्यार्थिनियां, लड़कियां होनी चाहिए उनकी रिक्विज़िट क्वालिफिकेशन्स को रिलेक्स करने के बाद में भी नहीं आती हैं। पहले और जगह मेट्रीक्युलेट्स ली जाती थीं और अब मिडिल पास लेने की व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी जितनी चाहिए उतनी उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जिनके यहां मिडवाइफ, नर्सेज़ की कमी हो उनसे मैं अर्ज करूंगा कि आप थोड़ा सा मुझे सहयोग देंगे...

श्रीमती गंगादेवी डाटा : आपकी आवाज़ साफ सुनाई नहीं देती है। आप अपना मुंह माइक से दूर रखें तो हम सुनने वालों को फायदा होगा या एक माइक का और इन्तजाम हो जाय तो अच्छा रहे।

श्री पी. के. चौधरी : Keep your mouth away from the mike.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जो मिडवाइफ नर्सेज़ हैं और हैल्थ वर्कर्स की कमी है शहरों में और रूरल एरिया में, तमाम में, उसके बारे में निवेदन करता हूं कि कुछ सेन्टर्स चल रहे हैं। उन सेन्टर्स में जो विद्यार्थी होने चाहिए, जितने ट्रेनिंग के लिए केन्डीडेट्स मिलने चाहिए, वहां पर जिस क्वालिफिकेशन की लड़कियों को हम चाहते हैं उस क्वालिफिकेशन की उपलब्ध नहीं होती हैं, हमने जोर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

लगाकर कोशिश की है और कुछ स्टुडेन्ट्स को एडमिट किया है, लेकिन फिर भी कमी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा था कि ट्रेनिंग सेन्टर्स में ज्यादा लड़कियां अपने वहां की भेजें। दिल्ली और बड़े बड़े शहरों की जो लड़कियां आती हैं वे लड़कियां ट्रेनिंग पाने के बाद वहां चली जाती हैं और रूरल एरिया में दो साल की ट्रेनिंग पाने के बाद जाने को तैयार नहीं होती हैं। अर्बन एरिया में जब तक कमी है तब तक यह समस्या बनी रहेगी। इसलिए मेरा यह सुझाव माननीय सदस्यों को है कि वे लड़कियां भेज दें तो उनको फ्री ट्रेनिंग दिलाने का मैं इन्तजाम कर दूंगा, ताकि वे महिलाएं अपने गांव में जाकर काम कर सकेंगी। लेकिन फिर भी ऐसी बात है कि नर्सेज़, मिडवाइफ के प्रोफेशन को यूरोप और अमेरिका और जो मुल्क हैं, उनमें रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन गिना जाता है, लेकिन हमारे मुल्क में वह सम्मान प्राप्त नहीं है। लड़कियां जो मेट्रिक पास करती हैं, उनमें बहुत सी लड़कियां मैं निवेदन करता हूं कि ट्रेनिंग पास करने के बाद स्कूलों में टीचर होना पसन्द करेंगी या और डिपार्टमेंटस् में जाना पसन्द करेंगी और मिडवाइफ नर्सेज़ की ट्रेनिंग देना चाहे तो लड़कियां बहुत कम आना पसन्द करती हैं। इसमें थोड़ा सा वातावरण होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग दी जाती हैं, उसका ज्यादे से ज्यादा फायदा उठा सकती हैं। उनको जो फ्री ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग का ज्यादे से ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। उस वजह से नहीं की लड़कियां मिलती नहीं हैं, लेकिन जो लड़कियां मिलती हैं, वे शहरों की मिलती हैं। कई बाहर से आती हैं और टाइम हो गया तो फिर बाहर चली गईं, हमको उससे लाभ नहीं होगा। तो मैं निवेदन करता हूं कि सरकार तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करूंगा कि इस बारे में थोड़ा सहयोग प्रदान करें तो इसमें सरकार की भी भलाई होगी और इसमें ज्यादा कोशिश की जायगी कि विलेज़ एरिया में ज्यादे से ज्यादा सहूलियत दी जाय। वहां से आप ज्यादे से ज्यादा लड़कियां भेज दें तो वे वहां जाकर काम करेंगी। जयपुर में ट्रेनिंग सेन्टर है तो यहां की लड़कियां जो उसमें भरती होंगीं, वे यहीं रहना पसन्द करेंगी और यदि उनका बाहर ट्रान्सफर कर देंगे तो वे छोड़कर फौरन चली जायंगी। जो बात लेडी डॉक्टर्स के लिए है, वही बात इसके लिए भी है। मैं समझता हूं कि जो मैंने अर्ज की है, वह उपयुक्त होगी ...

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : दाइयों के लिए भी क्या स्कूल खोले गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दाइयों के लिए भी तीन सेन्टर्स हैं। अभी ये तीन सेन्टर्स हमारे यहां पर काम कर रहे हैं; सीकर, प्रतापगढ़ और दौसा में है। हमारा और बढ़ाने का भी प्रोग्राम है। विलेज दाइयों को भी बुलाकर स्कॉलरशिप देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको खर्चा कुछ नहीं करना पड़ता है उसके लिए। दाइयों की भी कमी जरूर है। गांवों की दाइयां अशिक्षित हैं। ट्रेनिंग के लिए कुछ शिक्षा जरूर चाहिए। अब ट्रेनिंग में हम अशिक्षित दाइयों को भी एडमिट कर रहे हैं। उनकी भी कमी मालूम देती है।

नर्सेज़ और मिडवाइफरी के लिए इस वक्त पांच सेन्टर्स चल रहे हैं और दाइयों के लिए तीन सेन्टर्स हैं। मैंने निवेदन किया है कि हैल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग के लिए भी जयपुर

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

में इस तरह का सेन्टर है, जिसमें ५० केन्डीडेट्स लिये जाते हैं। ट्रेनिंग ऑफ कम्पाउन्डर्स जयपुर और जोधपुर में चल रही है। जिसमें हम स्कॉलरशिप देते हैं। यह तीन साल का कोर्स है। इस समय एक ट्रेनिंग सेन्टर सेनिटरी इन्सपेक्टर्स का हमारे पास ५० लड़कों का चल रहा है। एक टी. बी. ट्रेनिंग सेन्टर जयपुर में है जिसमें हर एक में ३० कन्डीडेट्स लिये जाते हैं।

तो यह परेशानी डिपार्टमेंट के सामने है जिसके बारे में मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया। तो यह जो कमी महसूस करते हैं तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम इनसे वाकिफ नहीं हैं। प्रयास हमारा लगातार इस संबंध में जारी है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप भी हमें इस संबंध में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि अड़चनें कम आएं...

डॉ० चन्द्रकला : नेचर क्योर के बारे में भी जवाब दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह मैं आगे बता देता हूं। एक बात अभी नेचर क्योर के बारे में अर्ज करता हूं। नेचर क्योर और योग व्यायाम के संबंध में आपने फरमाया था। तो नेचर क्योर के बारे में मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि नेचर क्योर बहुत अच्छी व्यवस्था है और क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ के लिए तो मैं आपसे निवेदन करूं कि मेरे ख्याल से शायद इतनी और कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है जितनी कि नेचर क्योर है। नेचर क्योर हमारे आयुर्वेदिक में शामिल है, अलबत्ता यह अभी पश्चिम से आई है। इसके ऊपर अमेरिका, इङ्गलेण्ड और जर्मनी में काफी रिसर्च हुई है। लोगों ने काफी तपस्या की है। एक डॉक्टर ने ११२ रोज़ का उपवास किया है और बदन पर जख्म लगा कर अनुभव किया है कि उपवास करता हूं तो जख्म कितने दिन में भरता है। आधे रोज़ का उपवास करता हूं तो क्या फायदा होता है तो उससे क्या लाभ होने वाला है। इसके ऊपर बड़ा भारी लिट्रेचर भी है, लेकिन आयुर्वेदिक के अन्तर्गत, हमारे शास्त्रों के अन्तर्गत यह बात शामिल है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर इसका लाभ देखना है तो यह तो एक तरह से जीवन की प्रणाली है, जीवन की क्रिया है, लेकिन वह कठिन भी जरूर है। आयुर्वेद की पुरानी शिक्षा के बारे में कई बातें सामने आई हैं। उपवास की बात सामने आई है। बहुत से माननीय सदस्य इसका उपयोग करना चाहें तो इसका एक सेन्टर चल रहा है, उसको एड दी जाती है लेकिन अब उपवास की बात आती तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी हिम्मत छोड़ देते हैं, वे कहते हैं कि उपवास कौन करेगा....

श्री पुरुषोत्तमलाल : दूध और फल भी तो मिलते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) सब लोग यह चाहते हैं कि खाने–पीने की छूट हो और हमको दवा मिलती रहे और उससे फायदा हो जाय। लेकिन मैं कहूंगा कि आयुर्वेदिक उपचार में या दूसरे उपचार में जब तक डाइट को रेगुलेट नहीं करेंगे, तब तक बहुत सी बीमारियां का मिटना और फायदा होना मुमकिन नहीं है। इसलिए लोग इससे घबराते हैं। मैंने इसका बहुत चमत्कार देखा है और बहुत से बीमार देखे हैं तथा मैंने

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

खुद ने इलाज कराया है । उदयपुर में सरकार की ओर से प्राकृतिक चिकित्सालय कायम किया गया है और उसके जो आंकड़े आये हैं वे बहुत ही अच्छे हैं, यदि कोई क्रोनिक बीमार हो तो आप उसको मेरे पास भेजिये तो मैं उसका वहां इलाज कराने की कोशिश करूंगा। जहां तक मेरा ज्ञान है, मैंने काफी पुस्तकें इसकी पढ़ी हैं......

श्री पी० के० चौधरी : खुद का तो इलाज कराइये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) वह काम कितना अच्छा है, बिना खाने के, २ महीनों तक दूध पर मरीजों को रखा, उसका अनुभव पुस्तक में दिखाया है । यदि सब लोगों की इस प्रकार के चिकित्सालयों की मांग होगी तो ज्यादा से ज्यादा खोलने की कोशिश करेंगे ।

श्री भीमसेन : आपने चिकित्सा करवाई, उसका क्या अनुभव हुआ ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मुझे बहुत फायदा हुआ ।

डॉ० चन्द्रकला : सरकार की योजना क्या है इसके बारे में ? आप तो अपने विचार प्रकट कर रहे हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सेकन्ड फाइव इयर प्लॉन में भारत सरकार ने चिकित्सा के सम्बन्ध में आयुर्वेदिक, एलोपेथिक वगैरह चिकित्सा प्रणाली हैं, उनके अलावा दूसरी जितनी प्रणाली हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार ने १ करोड़ रुपये रखे है, जिनमें से हमने ४०,००० रु० आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए दिये, उसी तरह दूसरे भी इसले फायदा उठा सकते हैं । यहां जो प्राकृतिक चिकित्सालय की संस्था चलती हैं उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि आप लोग अपनी स्कीम भेजें तो हम भारत सरकार को लिख कर ज्यादा से ज्यादा सहायता दिलाने की कोशिश करेंगे ।

आपने योगिक व्यायाम के बारे में भी फरमाया था । उसके बारे में मैं अर्ज करूंगा कि अब योगिक व्यायाम का चलन ज्यादा हुआ है । माननीय सदस्यों को याद होगा कि पूना में हमारे प्रधान मन्त्री पंडित नेहरू जी ने जिक्र किया था कि मैं रोज व्यायाम करता हूं । मैं पिछले महीने दिल्ली गया था तो मैंने देखा कि इसका बहुत ज्यादा प्रचार हुआ है । वहां पर एक सेन्टर हाल ही में कायम हुआ है और नई दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की तरफ से फ्री मकान दिया गया है, वहां पर सेन्टर के मिनिस्टर्स और एम्बेसीज़ के लोग रोज जाकर समय देते हैं और स्वयं पंडितजी रोज ४० मिनिट देते हैं ...

श्री पुरुषोत्तमलाल : इसे यहां भी खोलेंगे क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं वहां के संचालकजी जो हैं, उनसे मिला था और मेरे पास इसके बारे में एक पुस्तक भी है, जो माननीय सदस्य इसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनको पढ़ने के लिए दे सकता हूं । वह एक सुन्दर पुस्तक है । उसमें लेखक के गुरू जी का चित्र भी दिया गया है जिनकी उम्र ३५० वर्ष की है ! योगिक अभ्यास के जरिये इतने समय तक जिन्दा रह सकते हैं । मैंने उनसे अपनी बीमारी के बारे में अर्ज किया था, मेरे साथ में एक दूसरे साथी थे, उन्होंने उनसे कहा था कि ये राजस्थान के स्वास्थ्य मिनिस्टर साहब आये हैं, ये अपने यहां खोलना चाहते हैं........

Page No.39

श्री भीमसेन : यहां सिविल लाइन्स में इसकी शाखा खोल रहे हैं, क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रेन्ड आदमी नहीं हैं। यदि आप योग शास्त्र का अभ्यास करें और उसका पालन करें तो बीमारी तो क्या मृत्यु भी रोकी जा सकती है, लेकिन कार्यवाही बहुत पुरानी है, इसके लिए सबसे बड़ी बात है ब्रह्मचर्य पालन करने की ... .

श्री पुरुषोत्तमलाल : गृहस्थाश्रम तो नहीं छोड़ना पड़ेगा !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) पुराने जमाने में हमारे ऋषि मुनी जंगलों में रहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए योग साधन करते थे और लम्बी आयु पाते थे। उस जमाने में इतनी व्यवस्था नहीं थी जितनी कि आजकल है। बड़े-बड़े अस्पताल आदि खुल रहे हैं .. ....

श्री पी० के० चौधरी : उनके लिए बीमार भी बढ़ रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (जारी) यह जो योग शक्ति थी, उसी के कारण ऋषि मुनियों ने इतनी लम्बी लम्बी उम्र पाई थी। मैं समझता हूँ, आजकल के जमाने में इन बातों पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। मैं तो विश्वास करता हूं, लेकिन आम लोग विश्वास नहीं करते हैं और इनको पुरानी बातें मानते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था कि अपने शिष्यों को हमारे यहां भेजें तो राजस्थान में भी एक शाखा खोली जा सकती है। तब उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप भी अपने यहां से ब्रह्मचारी भेज दीजिए, लेकिन वह बाल ब्रह्मचारी होना चाहिये.......

श्री पुरुषोत्तमलाल : बीमार भी ऐसे ही चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह : On a point of information, Sir, whether it is a reply to the Medical demand or a statement on upnishad ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कटौती प्रस्ताव का जवाब दे रहा हूँ। इसके बारे में एक कटौती प्रस्ताव रखा गया था, उसका जवाब दे रहा था।

दूसरे माननीय सदस्यों ने और बातें कही हैं, उनमें से एक बात यह भी है कि मैडिकल डिपार्टमेन्ट में अनियमिततायें हुई हैं, फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज़ के बारे में माननीय सदस्यों ने कल प्रकाश डाला था और यह भी कहा था कि डाइरेक्टर इस प्रकार की इर्रेगुलेरिटीज़ करने के आदी हैं और ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से बहुत सी बातें कही गईं। इस बारे में मैं निवेदन करना उचित समझूंगा कि ऑडिट रिपोर्ट सरकार के पास भी आई है और सरकार के विचाराधीन है और उस पर सरकार विचार करके जैसी भी मुनासिब कार्यवाही होगी वैसी कार्यवाही करेगी। दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है, उसको पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी भी डील विद् कर रही है। उस सम्बन्ध में डाइरेक्टर और अन्य विभागीय आदमियों से जानकारी करके कायवाही की जा रही है। पी. ए. सी. की रिपोर्ट और विभागीय कार्यवाही सरकार की है उसके बारे में जो निर्णय होगा, अगर आवश्यकता होगी, तो, सदन को उससे अवगत कराया जायगा, इस स्टेज पर इतना ही कहना काफी है। इस सारे मामले को मैंने भी देखा है, उसमें कुछ फाइनेन्शियल इर्रेगुलेरिटीज़ जरूर हैं और वे इस वजह से हुईं कि साल खत्म हो रहा था और फरवरी के महीने में शायद १४ या १५ फरवरी को सैंक्शन हुई इसलिए कोटेशन्स कॉल किये गये और टेन्डर कॉल नहीं किये गये। लेकिन फिर भी कोई

Page No.40

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

चीज़ रूल्स के खिलाफ नहीं हुई। टेन्डर कॉल नहीं हो सके और सामान नहीं आया था इसलिए रुपये भी ड्रॉ कर लिये गये थे और एक बैंक में डिपोजिट कर दिये गये थे, यह इरेंगुलेरिटी जरूर है। मैं नहीं कह सकता कि इसमें मेलाफाइडी है या नहीं, लेकिन अब तक जो बातें सामने आई हैं उनके अनुसार मेलाफाइडी नजर नहीं आती। मैंने एक साल पहले भी कहा था कि इस तरह की बात नहीं पाई गई यदि पाई जायगी तो जरूर उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

इसके अलावा कांकरोली की बात को लेकर एक माननीय सदस्य ने फरमाया था कि वहां पर पंडित नेहरूजी आये थे, तब तक अस्पताल चालू करने का फाउन्डेशन स्टोन रखा गया था। जहां तक जानकारी है यह प्राइवेट व्यवस्था थी, गवर्नमेन्ट की ओर से नहीं थी। वहां के दो सज्जन हैं उनको पूछा गया था लेकिन उन्होंने इन्कार किया है। फिर भी माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है तो दुबारा और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन गवर्नमेन्ट की ओर से ऐसी कोई बात नहीं थी।

बाड़मेर के बारे में मैं और बता दूं। बाड़मेर के बारे में मैंने पहले स्टेटमेन्ट भी दिया था, उस समय यह निवेदन किया था कि अगले साल का बजट पास हो जाने के बाद, बाड़मेर के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए उचित व्यवस्था करने की कोशिश करेंगी। जो बाड़मेर के लिए, जालौर के लिए बातें कहीं गई हैं, वहां जो कमियां हैं, हमारे बजट को देखते हुए, उन कमियों को पूरा करने की व्यवस्था विभाग की ओर से करने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन कर चुका हूं कि कहीं स्टाफ की कमी है, और हमारी दूसरी कमी है फाइनेन्स की। लेकिन फाइनेन्स को देख कर जहां कमियां हैं, कहीं किसी डिस्पेन्सरी की हालत खराब है, कहीं दवाइयों की कमी है, कई जगह दवा की कमी है, और और कमियां हैं, उन कमियों को ज्यादा से ज्यादा पूरा करने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में एक बात और अर्ज कर दूं कि दवा की कमी के बारे में आम शिकायत थी, उसके लिए एक लाख रुपया पहले हमने रखा था, इस साल सवा दो लाख, हमने इस बजट में दवाइयों के पेटे में और बढ़ाया है ताकि ज्यादा से ज्यादा दवा देने की व्यवस्था हो सके। इसी सम्बन्ध में, दवाओं के बारे में, मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि जितने डी. एम. एच. ओ. हैड क्वाटर हैं और उनके अन्दर में जितनी डिस्पेन्सरी हैं, वहां बेड्स के लिहाज से, उपस्थिति के लिहाज से हमने दवायें देने की व्यवस्था की है और इस साल इसके लिए सवा दो लाख का बजट रखा है। इस बजट को हम और बढाने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा अन्दाज है कि छोटी डिस्पेन्सरी हैं जहां पर, अब तक ७५, सौ रुपये साल में दवा के लिए देते थे, उसको बढ़ा कर ३ हजार कर दिया जायगा। यह भी व्यवस्था की गई है कि पी. एच. ओ के अन्डर में जितने अस्पताल हैं, वे अपने यहां दवा की व्यवस्था, खर्चे की व्यवस्था कर सकेंगे। अगर किसी स्थान पर दवाओं की कमी है तो उस कमी को पूरा करने की व्यवस्था की जायगी....

श्री जनार्दनराय नागर : आयुर्वेदिक औषधालयों के लिए कितना रुपया बढ़ाया गया है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं अर्ज कर दूं कि पहले जहां २०० रुपये दिये जाते थे, वहां

Page No.41

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

अब ६०० रु० दिये जाते हैं। २०० रु० से ४०० रुपये किये और अब इस साल ४०० रु० से बढ़ा कर हम ६०० रु० कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो इस प्रकार की डिस्पेन्सरीज़ हैं, उनके लिए और ज्यादा रकम रखी जाय........

श्री जनार्दनराय नागर : ३ लाख रुपये रखे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस साल में....

श्री बहादुरसिंह : आपने वैद्यों के बारे में कुछ नहीं कहा !

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वैद्यों के बारे में मैं बताऊं....

श्री मनोहर कोठारी : मैंने कांकरोली के बारे में कहा था कि वहां जो डिस्पेन्सरी का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिलान्यास किया था, उसकी पूर्ति की जाय। गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया या नहीं, यह दूसरी बात है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने डिस्पेन्सरी खोलने की बात कही, उसकी व्यवस्था की जा रही है। वैसे बात यह थी कि उस डिस्पेन्सरी का शिलान्यास हुआ, रुपया भी इकट्ठा किया गया। मैंने निवेदन किया कि अब तक हमने जानकारी की तो उन्होंने इन्कार कर दिया। अब हम दुबारा जानकारी करें कि वहां रुपया इकट्ठा किया गया है या नहीं तो रुपये को प्राप्त करने की कोशिश की जायगी।

श्री बहादुरसिंह : वैद्यों के वेतन के बारे में बताइये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं निवेदन करूं कि पहले वैद्य का वेतन ६० से १२० तक था। उसके बाद जब रेशनलाइज़ेशन ऑफ पे स्केल्स हुआ, उसमें १२० से बढ़ा कर १४० कर दिया गया और जो क्वालिफाइड वैद्य हैं, जो भिषगाचार्य हैं......

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचारी हैं!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो भिषगाचार्य वैद्य हैं, संस्कृत और हिन्दी में यह फर्क है। तो जो क्वालिफाइड वैद्य हैं, उनकी स्टार्टिंग पे जो रखी है वह ६० से रखी है। बहुत से अनक्वालिफाइड वैद्य हैं, पुराने वैद्यों के लिए ६० से १४० कर दिया गया है, लेकिन स्टार्टिंग ज्यादा नहीं है। क्वालिफाइड वैद्य की पे हम ६० रु० से स्टार्ट करते हैं.......

श्री बहादुरसिंह : क्वालिफाइड वैद्य और डाक्टर की पे में कितना अन्तर है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डॉक्टर के लिए मैंने निवेदन किया कि क्लास टू के डॉक्टर को पहले १५० रुपये मिलते थे, अब स्टार्टिंग पे २०० मिलती है........

श्री बहादुरसिंह : क्या तीन रुपये रोज पर्याप्त समझते हैं एक गृहस्थी के लिए?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हम डीअरनेस अलॉउन्स २० रुपये और देते हैं। मैं मानता हूं कि वैद्य की ग्रेड कम है और ज्यादा बढ़नी चाहिए। लेकिन मैंने निवेदन किया कि हमने ६० रु० के बजाय ६० रुपये किये हैं.......

श्री बहादुरसिंह : उसमें योग्यता उतनी है, जितनी एक डाक्टर को ?, जितना डॉक्टर दवा पर खर्च करता है, टाइम लगाता है, उतना ही वह खर्च करता है और टाइम लगाता है, फिर भी आप उसे ६० रुपये देते हैं!

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सप्लाई और डिमाण्ड की बात है। डाक्टर इतनी

Page No.42

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

तनख्वाह पर नहीं मिलते हैं। सारे हिन्दुस्तान में डॉक्टरों की कमी है। रूरल एरिया में डाक्टरों को भेजने की बात है, उसके लिए कुछ और अलॉउन्स देना पड़ता है, तब भी कोटा पूरा नहीं हो सकता....

श्री बहादुरसिंह : क्या आपकी मन्शा यह है कि वैद्यों की तरफ से भी एजीटेशन हो कि ६० रुपये पर काम नहीं कर सकते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं सदन को इस बात से अवगत करूं कि सरकार को यह बात मालूम है और जो कमी है उसको बढ़ाने की कोशिश की गई और आयन्दा भी प्रयत्न किया जायगा....

श्री बहादुरसिंह : वैद्यों को भी रूरल अलॉउन्स दिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रूरल एरिया में वे पहले से हैं, अगर शहर में आयेंगे तो दिया जायगा।

श्री भीमसेन : मेडिकल कॉलेज के बारे में कुछ कहें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सबको यह मालूम है कि एक कमेटी अपॉइन्ट की गई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और जैसा कि कई बार अर्ज किया गया है, मैडीकल कॉलेज के बारे में रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है और भारत सरकार को इस बात के लिए निवेदन किया गया है कि बीकानेर मैडिकल कॉलेज के बारे में जल्दी से जल्दी स्वीकृति दी जाय। हमने यह भी कह दिया है कि हम कॉलेज जुलाई में स्टार्ट करना चाहते हैं। मुझे बात करने के लिए अभी हाल ही बुलाया भी है और मैं बहुत जल्दी दिल्ली जा रहा हूं, दो-तीन रोज के बाद, मैं जा रहा हूं। जैसे ही वहां से स्वीकृति मिलेगी, कॉलेज स्टार्ट कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में सरकार सजग रही है और जल्दी ही स्टार्ट करने का प्रयास है......

श्री मुरलीधर व्यास : जुलाई में प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एँ जी !

श्री मुरलीधर व्यास : जुलाई में प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : भारत सरकार को निवेदन किया है, क्योंकि ७५ परसेंट खर्चा भारत सरकार का है। बिल्डिंग के बारे में भी मैं निवेदन कर दूं कि हमने एग्ज़ामिन कर लिया है। इस कॉलेज के लिए सामान खरीदने में, एपरेटस आदि खरीदने में, बिल्डिंग को तरमीम करने में, स्टाफ को नियुक्त करने में दिक्कत है लेकिन फिर भी हम तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। मैं खुद बात करने के लिए जा रहा हूं और वहां प्लानिंग डिपार्टमेंट से और हैल्थ डिपार्टमेंट से बात करूंगा। हमारे सामने कुछ कठिनाइयां ऐसी हैं, जिनकी वजह से कुछ दिक्कत है लेकिन हम जल्दी से जल्दी सब काम करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि इन्डीविजुअल बातें, जो हर जिले के बारे में कही गईं, जो शिकायतें की गईं, उनके बारे में मैंने निवेदन किया........

डॉ० चन्द्रकला : स्वास्थ्य कोष के बारे में, जिसके लिए पांच लाख रुपया इकट्ठा हो गया है, कुछ कहें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जानकारी प्राप्त की थी, स्वास्थ्य-कोष जैसा गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड नहीं है।

Page No.43

डॉ० चन्द्रकला : राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा कि पांच लाख रुपया इकट्ठा हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के भाषण में इसका उल्लेख है कि एक स्वास्थ्य-कोष स्थापित किया गया है और उसके लिए पांच लाख रुपया इकट्ठा हो गया है।

श्री चन्दनमल वेद : मिनिस्टर से पूछे बिना कह दिया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेंट का यह फंड नहीं है, मैंने निवेदन किया.......

डॉ० चन्द्रकला : फंड किसका है, स्वास्थ्य-कोष क्या है, इसकी जानकारी, उपयोगिता के बारे में आपको मालूम होना चाहिये।

श्री जनार्दनराय नागर : अभिभाषण में जिक्र किया है तो सरकार का कोष होना चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं और जानकारी करके अर्ज कर देता हूं। स्वास्थ्य-कोष के बारे में जो जानकारी है वह बता देता हूं। मेरी अभी तक की जानकारी है कि यह गवर्नमेंट का फंड नहीं है, लेकिन फिर भी यह फंड जिस वास्ते है, उसी काम में लिया जायगा, इसमें दिक्कत नहीं है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जितनी इन्डीविजुअल बातें थीं, हर जगह की अलग-अलग शिकायतें थीं.......

श्री जनार्दनराय नागर : शिकायत नहीं, अभाव और अभियोग हैं।

श्री बहादुरसिंह : मुझे निवेदन करना है कि आयुर्वेद की जो परीक्षायें आपकी तरफ से होंगी, उनकी इंडियन मैडीसिन बोर्ड या किसके द्वारा व्यवस्था की गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमने उसके लिए युनीवर्सिटी को लिखा है कि ये परीक्षायें अपने अन्डर में ले ले। इस पर जो निर्णय होगा, वह कर दिया जायगा। सरकार इस सम्बन्ध में प्रयत्न कर रही है और युनीवर्सिटी को लिख दिया गया है.......

एक माननीय सदस्य : नाहरू की बीमारी को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उसके लिए एक स्पेशल हकीम लगाया हुआ है, और रिसर्च के लिए, नाहरू के लिए अच्छे सेन्टर्स में खोज की जा रही है....

श्री जनार्दनराय नागर : अच्छे नाहरू का क्या मतलब है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : नाहरू के लिए व्यवस्था की जा रही है। मैं अर्ज कर रहा था कि आखिर में मैं फिर निवेदन कर दूं कि जो कमियां हैं, उन कमियों के प्रति सरकार सजग है और उन कमियों को मिटाने के लिए, आगे प्रगति करने के लिए हम सजग हैं और प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कमी इतनी बड़ी है कि राजस्थान में समुचित व्यवस्था हो, इसमें थोड़ा समय लगने की बात जरूर है। लेकिन फिर भी हम प्रयत्नशील हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्यों के सहयोग से हम ज्यादा से ज्यादा प्रगति कर सकेंगे।

एक माननीय सदस्य ने लेबर के सम्बन्ध में दो बातें अर्ज कीं। मैं उन्हें बतला दूं कि ये हैल्थ डिपार्टमेंट के अन्डर में नहीं हैं। एक तो उन्होंने टाइम के बारे में अर्ज किया था। मैं उन्हें अर्ज करूं कि लेबर के अन्डर में अस्पताल चलता है, हैल्थ डिपार्टमेंट के अन्डर में नहीं। लेकिन लेबर

Page No.44

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

डिपार्टमेंट भी मेरे पास में है, इसलिए मैं इसे देखने की कोशिश करूंगा और जो कमी है उसको ठीक करने का प्रयास किया जायगा।

१ म० प०

फंड्स के बारे में जो कहा गया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो फंड्स कलेक्ट हुए हैं वे कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट में बी. डी. ओज़. ने कलेक्ट किये हैं और वे जहां-जहां से कलेक्ट हुए हैं, उसी एरिया में खर्च किये जायेंगे। डेवलपमेंट कमिश्नर इसके चेअरमेन हैं और जिन ब्लॉक्स से ये फंड्स कलेक्ट किये गये हैं, उन्हीं इलाकों में खर्च किये जायंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जितने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार की ओर से काफी प्रयास किया गया है, इसलिये अर्ज करूंगा कि वे उन कटौती प्रस्तावों को वापिस लेने की कोशिश करेंगे।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : आपने इस पर प्रकाश नहीं डाला कि दूनी के अन्दर सेंक्शन हो गई थी, मेरे पास इत्तिला भी आ गई, १८ जुलाई, १९५६ को कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना में वहां डिस्पेन्सरी खोल दी जायगी, तो अब ३ वर्ष हो गये हैं, अब इस पर प्रकाश डालें कि ४०००० जनता के रोग-निवारण के वास्ते न वहां कोई डिस्पेन्सरी है और न कोई औषधालय है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री) : यह ठीक है कि तहसील हैड क्वार्टर्स में एक डिस्पेन्सरी खोलने का प्लॉन था, पर वहां प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोलने की वजह से वह प्लॉन बदल दिया गया। फिर भी कोशिश की जायगी। मैं यह निवेदन कर रहा था कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करके अपने कटौती प्रस्तावों को वापिस लें।

रावराजा श्री सरदारसिंह : प्लान में तो आपने फरमाया कि जहां कॉम्युनिटी ब्लॉक्स हैं वहां चार चार पांच-पांच पंचायतों में एक एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर खोला जायगा कोई एक पंचायत ऐसी है कि ५०, ६० माइल का एरिया है, उसके लिये क्या होगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : प्राइमरी हैल्थ सेंटर के अलावा जहां डिस्पेन्सरीज़ हैं, उनको शिफ्ट किया जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : प्रायोरिटी उन स्थानों को देंगे जिनके लिये खोलने को कह चुके हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कोशिश करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उन्हें वापिस लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के जवाब से मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि सिर्फ लीपा-पोती की है, उनका जवाब ऐसा नहीं था कि उससे संतोष हो। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीजी यह सोचते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो जनता का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिये मैं मेरे कटौती प्रस्तावों को जनता के प्रतिनिधियों की जांच के लिये रखता हूं, वापिस लेना आवश्यक नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती के प्रस्ताव (संख्या १११ व ११२)

(श्री अध्यक्ष)

श्री लक्ष्मीचन्द ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री जनार्दनराय नागर।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे कटौती प्रस्ताव लेते हुए जो उत्तर दिया है उस उत्तर से न मुझे पूर्ण संतोष ही हुआ और न ही पूर्ण संतुष्ट होने की मानसिक स्थिति में हूं। यह कार्य अभी प्रारम्भ ही हुआ है ४० हजार रुपया रिसर्च में हमें मिल गया, उससे हम मान लें कि हम धन्ना सेठ हो गये, यह मान्यता हो सकती है; पर मेरा कटौती का प्रस्ताव था उसकी मूल भावना यह थी कि आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहन देने की राज्य की जो नीति है उसको अपने उत्तर में उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। मेरे कटौती प्रस्ताव में मैंने कहा था कि एक नीति राज्य सरकार की बननी चाहिये और मांग की थी कि आधारभूत तरीके से आयुर्वेद के महत्व को ध्यान में रखते हुए, काफी धन राशि देनी चाहिये। फिर भी मुझे मालूम है कि हमारे मन्त्री महोदय आयुर्वेद को माता मानते हैं और वे आयुर्वेद माता के सुपुत्र हैं, इसलिये मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री जनार्दनराय नागर को उनका कटौती प्रस्ताव (संख्या १३३) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह का कटौती प्रस्ताव (संख्या १३४) को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया उससे मुझे पूरा सन्तोष नहीं हुआ है, बावजूद आश्वासन देने के यही फरमाया कि हो जायगा। लेकिन हो कब जायगा! परन्तु क्योंकि मन्त्री महोदय का स्वास्थ्य पहले से ही ठीक नहीं है और अगर मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस नहीं लूंगा तो उनको सदमा पहुंचेगा और उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वापिस मत लीजिये मुझे कोई सदमा नहीं पहुंचेगा, मैं तो बहुत खुश हूं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जल्दी ही डिस्पेन्सरी खोल दी जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रावराजा श्री सरदारसिंह को उन्हें अपना प्रस्ताव (संख्या १३५) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह।

(अनुपस्थिति)

(विराम)

श्री रामकरणसिंह।

प्रश्न यह है कि दोनों कटौती प्रस्तावों (१३६ व १३७) को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

दोनों प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

श्री बहादुरसिंह।

श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने आयुर्वेद के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये कहा, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। पर साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि मौजूदा सचिवालय से आयुर्वेद का उद्धार नहीं होगा। आयुर्वेद के लिये एक अलग सचिवालय में प्रथक सचिव रखा जाय। आयुर्वेद के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया, इसके लिये उनको धन्यवाद देते हुए मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री बहादुरसिंह को अपने कटौती (संख्या १४४ से १४६ व ३०२) प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बहादुरसिंह : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्दनमल वेद।

श्री चन्दनमल वेद : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री चन्दनमल वेद को अपने कटौती प्रस्ताव (संख्या १४७–१४९) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल वेद : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम : मैं अपने कटौती प्रस्ताव (संख्या १५०) वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री नाथूराम को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत।

प्रश्न यह है कि श्री तेजाराम गहलोत का कटौती प्रस्ताव (संख्या १५१) स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

श्री शिवचरणदास।

श्री शिवचरणदास : माननीय अध्यक्ष मेरे कटौती प्रस्ताव के उत्तर में मन्त्री महोदय ने नहीं कहा कि गरीबों की सुविधा के लिये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं । जन-गणना के अनुसार १००० से १५०० कर दिया, यह ठीक नहीं है, इससे कोई मतलब हल नहीं होता, वहां ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इससे मैं सन्तुष्ट नहीं हूं और अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री शिवचरणदास का कटौती प्रस्ताव (संख्या १५२) स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

(विराम)

श्री बालमुकुन्द ।

श्री बालमुकुन्द : माननीय अध्यक्ष, मैंने इस आशय से कटौती प्रस्ताव रखा था कि आदिवासी क्षेत्र जो उदयपुर डिवीजन में बहुत बड़ा है, आयुर्वेदिक चिकित्सा की दृष्टि से वहां पर काफी सुविधा दी जाय, छोटी-छोटी बीमारियां हैं, जैसे चेचक है, फोड़े, फुन्सी हैं, नाहरु, बुखार आदि इन इलाकों में इनको पूर्णतया नष्ट किया जाय। इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कोई निश्चित प्लान नहीं बताया और वहां की गरीब जनता को इस सम्बन्ध में कोई राहत नहीं मिल रही है, इसलिए मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने में मजबूर हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री बालमुकुन्द का कटौती का प्रस्ताव (संख्या १५३) स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

श्री विद्यासागर ।

(विराम)

श्री विद्यासागर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव (संख्या १५४) वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री विद्यासागर को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री विद्यासागर : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री भीमसेन के कटौती प्रस्ताव (संख्या १५७-१५८ व १५९) स्वीकार किये जायें ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय अध्यक्ष, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की अनुमति चाहती हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कटौती प्रस्ताव (संख्या १६० व १६१) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

डॉ० चन्द्रकला : मैं अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेती हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि श्री दयाकृष्ण विजय का कटौती प्रस्ताव (संख्या १६२) स्वीकार किया जावे ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह आश्वासन दिया गया है कि कांकरोली कमला नेहरू होस्पिटल के सम्बन्ध में आवश्यक इन्क्वायरी की जावेगी इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे अपना कट मोशन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री मनोहर कोठारी को अपने कटौती प्रस्ताव (१६३ व १६४) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : In view of the assurance given by the Hon. Minister to proceed against those officers responsible for irregularities, I beg leave of the House to withdraw my cut motion.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री श्रीभानसिंह को अपना कटौती प्रस्ताव (संख्या १६७ ए) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(विराम)

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्रीभानसिंह : I withdraw my cut motion.

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी : I beg leave of the House to withdraw my cut motions.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी. के. चौधरी को अपने कटौती प्रस्ताव (संख्या २७७ व २७८) वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my cut motions,

श्री अध्यक्ष : श्री धन्नालाल हरित।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि श्री धन्नालाल हरित के कटौती प्रस्ताव (संख्या २६१–२६५) स्वीकार किये जायें ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्री लक्ष्मण हीरात : माननीय अध्यक्ष, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने जो जवाब दिया है उसके बारे में मुझे मामूली सन्तोष है। मैंने एक बात की ओर उनका ध्यान दिलाया था कि हमारे गांव में डिस्पेन्सरी है, उसमें ६ महीनों तक साल भर में डॉक्टर नहीं रहता, उस ओर ध्यान नहीं दिया दिया। उन्होंने दो बातें बताईं कि ३००० की आबादी पर डिस्पेन्सरी कायम की जावेगी और दूसरी बात यह बताई कि डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर अन्य राज्यों से आ जावेंगे तब भेज दिया जावेगा। मैं फिर ६ महीनों तक इसके लिए सन्तोष करूं। इसलिए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाजत सदन से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री लक्ष्मण हीरात को अपने कटौती प्रस्ताव (संख्या २६६) को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री लक्ष्मण हीरात : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है, कि "मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८—चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,३३,७३,००० रुपया तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग संख्या १६ स्वीकार गई।

१.१५ म. प.

श्री अध्यक्ष : मांग संख्या २१.

मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६४,४०,००० रुपया तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

[कटौती प्रस्ताव निम्नलिखित हैं :

डॉ० चन्द्रकला :

१७१. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में १) रु० तक की कटौती की जाय (खादी को अधिकाधिक बढ़ावा देने के सम्बन्ध में वाद-विवाद करने हेतु)।"

३०८. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में १) रु० तक की कटौती की जाय (सरकार की कोई स्पष्ट और निश्चित औद्योगिक नीति नहीं है इस संबंध में वाद-विवाद करने के लिये)।"

३२२. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३ उद्योग और प्रदाय में १) रु० की कटौती की जाय (ग्रामोद्योगों और गृह-उद्योगों की ओर सरकार को ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है, इस सम्बन्ध में वाद-विवाद करने के लिये)।"

रावराजा श्री सरदारसिंह :

181. "That the Demand No. XXI, Major head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/-(To discuss lack of industries in Tonk District)."

श्री बहादुरसिंह :

१७२. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में १००) रु० कम कर दिये जायें (धौलपुर में स्थापित उद्योगों को सहायता देने पर विचार करने के लिये)।"

३१६. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग एवं प्रदाय में १००) रु० कम कर दिये जायें (धौलपुर में मैच फैक्ट्री को चलाने की व्यवस्था की जाय इस पर विचार करने के लिये)।"

३१७. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग एवं प्रदाय में १००) रु० कम कर दिये जायें (उदयभानु इन्डस्ट्रीज़ लि० धौलपुर के संचालन की व्यवस्था की जावे इस पर विचार करने के लिये)।"

श्री बालमुकुन्द :

१७४. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३—उद्योग और प्रदाय में १) रु० कम कर

Page No.50

(श्री बहादुरसिंह)

दिया जाय (बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिलों में आदिवासी के उत्थान के लिए कोई छोटे २ उद्योग-धन्धे नहीं खोले जाने पर विचार करने के लिए) ।"

श्री भीमसेन :

176. "That the Demand No. 21. Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Rs. 100/- (To discuss restarting of Glass Factory at Bikaner City)."

177. "That the Demand No. 21, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Rs. 100/- (To discuss starting of wool carding-spinning and finishing centre at Bikaner City)."

178. "That the Demand No. 21, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Rs. 100/- (To Discuss starting of Plaster of paris plant at Lunkaransar, District Bikaner)."

179. "That Demand No. 21, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Rs. 100/- (To discuss salt manufacturing at Lunkaransar, District Bikaner)."

श्री पुरूषोत्तमलाल शर्मा :

१८३. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३– उद्योग और प्रदाय में से १) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान की कपड़े की मीलें जो बन्द पड़ी हैं उन पर विचार करने के लिये) ।

३३६. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३– उद्योग एवं प्रदाय में से १) रु० कम कर दिया जाय (बाबत किशनगढ़ की महाराजा किशन मील बन्द पड़ी है उसको चालू करने की व्यवस्था के हेतु विचार करने के लिये)"

श्री रामेश्वरदयाल :

१७३. "मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ४३– उद्योग और प्रदाय में १००) रु० कम कर जाये (डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ कार्यालय कोटा में स्थानान्तरित किए जाने पर विचार करने के लिये) ।"

१७४. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३– उद्योग और प्रदाय में १००) रु० कम कर दिये जायें (औद्योगिक शिक्षण संस्थान महाविद्यालय कोटा में प्रारम्भ करने पर विचार करने के लिये) ।

३२६. "मांग संख्या २१ मुख्य शीर्षक ४३– उद्योग एवं प्रदाय में १) रु० कम कर दिया जाय (कोटा डिवीज़न में सरकार की असफल औद्योगिक नीति पर विचार करने के लिये) ।"

श्री मुरलीधर व्यास :

१६०. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३– उद्योग तथा प्रदाय में १) रु० कम कर दिया जाय (सरकार की असफल औद्योगिक नीति पर प्रकाश डालने के लिये) ।"

श्री पी. के. चौधरी :

311. "That Demand No. XXI, Major head 43-Industries and supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the Government's present policy of organisation of Exhibition and sale of Rural Handicrafts)."

312. "That Demand No. XXI, Major head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the failurl of the Govt. to make adequate efforts for development of cottage industries)."

Page No.51

(श्री पी० के० चौधरी)

313. "That Demand No. XXI, Major head 43-Industries & Supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the quility of the common facility centre at Kanota)."

314. "That Dema nd No. XXI, Major head 43-Industries & Supplies be reduced by Rs. 1/- (To disscuss the failure of the Govt. to open an Industrial Estate at Sambhar)."

315. "That the Demand No. XXI, Major head 43-Industries and Supplies be reduesd by Rs. 100/- (To discuss the sale of kapasan ginning Factory)."

330. "That Demaad No. XXI, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Rs. 100/- (To discuss the abolition of Toy making Industry Scheme)."

331. "That Demand No. XXI, Major Head 43-Industries and Supplies be reduced by Re. 1/- (To discuss the Government's failure to develop small and other Industries in Community Development Blocks)."

श्री भैरवलाल कालाबादल :

३२७. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग एवं प्रदाय में से १) रु० कम कर दिया जाय (मनोहर थाना-जि० झालावाड़ में आदिवासी जातियों के उत्थान के लिए छोटे-छोटे उद्योग खोले जाने पर विचार करने के लिये) ।"

श्री अनूपसिंह :

319. "That Demand N. XXI, Major head 43-Industries and supplies be reduced by Rs. 1/-(To disscuss the failure of the Govt. to develop small and big industries in District Barmer)."

श्री लच्छूराम :

३२८. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग एवं प्रदाय में से १) रु० कम कर दिया जाय (जिला झुंझुनू में कुटीर उद्योग के अभाव पर विचार करने के लिये) ।"

श्री मनरूपराम परिहार :

३३२. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय में से १) रु० कम कर दिया जाय (शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों के उद्योग धन्धों में subsidy देने पर विचार करने के लिये) ।"

श्री मोहरसिंह :

३३३. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग और प्रदाय में १) कम कर दिया जाय (कुटीर उद्योग को ज्यादा प्रोत्साहन देने हेतु विचार करने के लिए) ।"

श्री धन्नालाल हरित :

३३४. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग एवं प्रदाय में १) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिला में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा उचित सहायता व ध्यान न देने पर विचार करने के लिये) ।"

३३५. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३–उद्योग एवं प्रदाय में १००) रु० कम कर दिये जायें (बारां की चमड़ा उद्योग ट्रेनिंग सेन्टर को दुबारा चालू करने पर विचार करने के लिये) ।"

श्री गिरधारीलाल :

३३७. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक

(श्री गिरधारीलाल)

४३-उद्योग और प्रदाय में १) की कटौती की जाय (बीकानेर शहर में गलीचों की फैक्ट्री खोले जाने के विषय पर वाद विवाद करने हेतु) ।"

३३८. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १) रुपये की कटौती की जाय (ऊन उद्योग को उन्नत करने पर वाद-विवाद करने हेतु) ।"

श्री दयाकृष्ण विजय :

१८२. "मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय में १००) रुपये की कटौती की जाय (कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने पर विचार करने हेतु) ।"

डॉ० चन्द्रकला (किशनपोल बाजार, जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांगसंख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय के संबन्ध में मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं । एक मेरा प्रस्ताव है सरकार की उद्योग के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट और निश्चित औद्योगिक नीति नहीं है, इस सम्बन्ध में जैसा कि वित्त मंत्री महोदय के भाषण से मालूम होता है कि हमारी उद्योग के विषय में कोई विशेष योजना मालूम नहीं होती । उस भाषण में यह तो बताया गया है कि हमारे राज्य में खनिज पदार्थों का प्रचुर भंडार है लेकिन कुछ कारणों से उनकी उन्नति अभी तक संभव नहीं हो पाई है । यह हम सभी जानते हैं और मानते हैं कि हमारे प्रान्त में खनिज पदार्थों का प्रचुर भंडार है । इसके साथ-साथ हम यह भी मानते हैं कि हमारे राजस्थान के व्यवसायियों को ईश्वर का वरदान मिला हुआ है क्योंकि राजस्थान का ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान का सारा व्यवसाय राजस्थानियों के हाथ से विकसित हुआ है और हो रहा है । तो कोई कारण नहीं कि हमारे यहां प्रचुर खनिज पदार्थों का भंडार होते हुए, उसका पूरा लाभ न हो सके । उसका कारण यही हो सकता है कि सरकार और व्यापारियों के बीच में सम्पर्क न हो या व्यापारिक प्रतिभा का उपयोग करने में कमी रही हो या हमारी सरकार उसको करना नहीं चाहती हो । श्रीमान राज्यपाल ने भी अपने भाषण में बताया है कि हमारे पास खनिज पदार्थों की कमी नहीं है । हमारे उद्योग के विकास के लिए दो बातों की आवश्यकता है और उसके लिये प्रयत्न किये जावें तो हमें काफी सफलता मिल सकती है ।

पहली चीज है इसके लिये शक्ति, जो बिजली से मिलती है । मगर इसके लिये हमें बहुत कुछ विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है । क्योंकि ज्यों-ज्यों जरूरत होगी हमको विदेशों से उसके लिये सामान मंगाना पड़ेगा । मगर इसमें मेरा एक छोटा सा सुझाव है । वह यह कि हम बांध बना रहे हैं, कुछ हमारी नदी योजनाएं हैं, जिनसे हमको शक्ति मिल सकती है । हमारा जवाई बांध तैयार हो चुका है । मैं नहीं समझती कि वहां से विद्युत उत्पन्न करने की योजना क्यों काम में नहीं ली जावे ! क्या पानी इतना नीचा है कि बिजली पैदा नहीं की जा सकती ? क्या उसको ऊंचा उठा कर शक्ति उत्पन्न नहीं की जा सकती ?

दूसरी बात यह कि यहां के आवागमन के साधनों की ओर हमें ध्यान देना है जो अपनी सीमा में हैं । लेकिन आज-कल आवागमन का बहुत बड़ा साधन रेलें हैं । इसलिये मेरी छोटी सी सूचना यह है कि यदि हमारी राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से रिकमन्ड करके किसी तरह से एक ब्रोड गेज लाइन सवाई माधोपुर से सांभर तक चालू करा देवे

(डॉ० चन्द्रकला)

तो मुख्यतः आवागमन के साधनों में और भी सुविधा हो सकती है। इसके अलावा हमारे यहां बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जो बहुत छोटे–छोटे साधनों से भी विकसित किये जा सकते हैं। बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनमें विद्युत की आवश्यकता नहीं हो सकती। उनका हम छोटे–छोटे साधनों से विकास कर सकते हैं, यदि हम पूरी तरह से कोशिश करें।

जहां पर खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं, वहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहां जो अनएम्पलॉयमेंट का प्रश्न है वह हल हो सकता है और साथ ही हमारी संपन्नता बढ़ेगी। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि किसान लोग कुछ महीनों तक खेती करते हैं और जब उनके पास खेती का काम नहीं रहता तो वे आस पास की खानों में जा कर काम करते हैं। जब खनिज पदार्थ उपलब्ध होंगे वे लोग वहां पर काम करते रहेंगे और अच्छी तरह से उनका और उनके परिवार का गुजारा होता रहेगा। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि हमारी सरकार इस प्रान्त की अच्छी तरह से सर्वे करावे कि कौन कौन खनिज पदार्थ कहां–कहां निकलते हैं और उनका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। खानदारों से क्या सहायता मिल सकती है, दूसरों से क्या सहायता मिल सकती है ?

अभी मैंने सुना है कि हमारे यहां डॉइरेक्टर ऑफ माइन्स हैं, उनको भारत सरकार की सीमेंट सेविंग्सस्कीम से जो कोई रकम बची हुई थी उसमें से ६ करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को उनके उद्योग विकास के लिये दे रहे थे, मगर वह नहीं लिये गये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कहां पर !

डॉ० चन्द्रकला : ६ करोड़ रुपये भारत सरकार की तरफ से राजस्थान के उद्योग के विकास में देना चाहते थे, उसको स्वीकार नहीं किया गया, यह मैंने सुना है। मैं कह रही हूं। इस बारे में आवश्यकता इस बात की है कि जो साधन हमारे पास हैं उन्हीं से हमें काम करना चाहिये और हर मिलने वाली सहायता का उपयोग करना चाहिये।

मेरा दूसरा प्रस्ताव है, ग्रामोद्योगों और गृह उद्योगों की ओर सरकार को ध्यान देकर ज्यादा से ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है। इस विषय में हमारी सरकार ने काफी ध्यान दिया है और उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया है। लेकिन हमारी सरकार का केवल उद्देश्य उनको आर्थिक सहायता देने का ही रहा है। जो लोग उद्योगों में काम करते हैं उनको पैसे की सहायता सरकार देती है। मगर वास्तव में जो रुपया दिया जाता है उसी काम में खर्च होता है या नहीं और हम जिस लक्ष्य को लेकर रुपया देते हैं उसमें आगे बढ़ते हैं या नहीं इस तरफ ध्यान देना आवश्यक है। मुझे इस बारे में बजट के आंकड़े देखने का अवसर मिला। इस साल के आंकड़े देखने से मालूम हुआ कि इस साल इसकी राशि में कुछ कमी कर दी गई है। मैं समझती हूं कि इस साल कम राशि से काम चल सकता होगा, इसलिए कम की होगी। लेकिन इस दिशा में जितना ज्यादा से ज्यादा कार्य किया जाए, करना चाहिए। क्योंकि बड़े उद्योग होते हैं, वे लम्बे अर्से के बाद कामयाब होते हैं और उनको बढ़ाने के लिए काफी रकम की आवश्यकता होती है जिसमे वे सेन्टर पर निर्भर रहते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं वे स्वावलम्बन पर अच्छी तरह से चल सकते हैं और ये छोटे-छोटे उद्योग हमारी सम-

(डॉ० चन्द्रकला)

स्याओं को अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। जहां एक ओर हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति उनसे होती है, इसके साथ साथ लोगों को काम भी मिलता है और उसके साथ साथ बेकारी की समस्या भी हल होती है।

इसके साथ ही मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव है खादी के सम्बन्ध में। हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि हमने खादी की दिशा में बहुत प्रगति की है। निश्चय ही खादी का जहां तक उत्पादन का सवाल है, राजस्थान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है क्योंकि यहां खादी का काफी अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ है और यह गर्व भी है कि न केवल क्वान्टीटी में बल्कि खादी की क्वालिटी में भी हमने बहुत तरक्की की है। सौ गज का लम्बा चौड़ा थान किसी भी तरह से नहीं बन सकता है, वह यहां की हस्तकला को प्राप्त हुआ है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, खादी के पीछे जो एक क्रांतिकारी भावना थी उसको भुला दिया गया है और हमने इसको केवल एक व्यापारिक दृष्टि से देखना शुरू किया है। जहां तक व्यापारिक दृष्टि का सवाल है, निश्चय ही राजस्थान ने खादी के उत्पादन में काफी प्रगति की है लेकिन यदि इस प्रकार की व्यापारिक दृष्टि इसके अन्तर्गत रही तो खादी का वह महत्व नहीं होगा। खादी में ४ आना रिबेट देकर हम खादी को अधिक दिनों तक जिलाये नहीं रख सकेंगे और अधिक तरक्की कर सकते हैं, यह हम नहीं कह सकेंगे। जिस आशा को लेकर और जिस उद्देश्य को लेकर बापू ने खादी के कार्यक्रम को शुरू किया था, हम आज भी उसको स्वीकार करते हैं, जिस कारण से खादी को जो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, उसको हम भूल गए हैं। खादी का एक मात्र उद्देश्य यह था कि खादी वस्त्र स्वावलम्बन की ओर ले जाये, गांवों और परिवारों को वस्त्र स्वावलम्बन की ओर ले जाये। अच्छा हो कि हमारी सरकार खादी संस्थाओं को जो रिबेट देती है वह भले ही दे लेकिन यह प्रयत्न अवश्य करे कि खादी को, उसकी सच्ची भावना को स्वीकार किया जाय। जिससे कि हम अपने वस्त्र और रोजगार की समस्या को हल कर सकें।

इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कटौती प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करती हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थिति)

रावराजा श्री सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव टौंक में इन्डस्ट्रीज़ की कमी के बाबत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, टौंक डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी आबादी चार लाख के करीब है और जो जनसंख्या है, उसमें से ६५ प्रतिशत मजदूर और किसान हैं। अध्यक्ष महोदय, जब कि राजाओं और नवाबों का वहां राज्य था, उस वक्त एक तजवीज़ थी; जो टौंक के नवाब ने बनाई थी कि आमली से लेकर अलीगढ़ और अलीगढ़ से उनियारा, उनियारा से टौंक टौंक से डिग्गी और डिग्गी से नसीराबाद तक एक रेलवे लाइन खोली जाय। उस रेलवे लाइन का सर्वे भी हो गया था और सर्वे हो जाने के बाद यह भी देखने के लिए कि वहां के उद्योग धन्धों को इस रेलवे लाइन के निकल जाने से कितना फायदा होगा, कितने आदमियों को धन्धा मिलेगा, मजदूरी मिलेगी,

Page No.55

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

इसके लिए एक कमेटी मुकर्रर हुई थी लेकिन चूंकि जयपुर का भी उसमें एक हिस्सा पड़ता था, रियासतों के विचारों में विभिन्नता थी इसलिए वह कमेटी नहीं बन सकी। इस काम के लिए नवाब की मां जिनका अब तो इन्तकाल हो गया है, दो लाख रुपया छोड़ गई थी, उसके बाद इस कार्यक्रम को छोड़ दिया और फिर ब्रिज का निर्माण किया गया इसके लिए गवर्नमेन्ट से कुछ कर्जा लिया और यह फेयर ब्रिज के नाम से मशहूर हुआ इसी से टौंक में आवागमन के साधन हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा हाउस को बता देना चाहता हूं कि यदि ब्रिज नहीं होता तो कभी टौंक डिस्ट्रिक्ट नहीं बनता क्योंकि आवागमन के साधन ही नहीं थे।

राजाओं के, नवाबों के वक्त में तमाम लोग धन्धों में लगे हुए थे। वहां जब से एकीकरण हुआ तब से इतनी बेकारी फैल गई है कि मैं तो क्या अर्ज करूं। यहां के जितने जागीरदार, नवाब थे, किसी के पास २५ आदमी थे, किसी के पास ५० आदमी और खुद नवाब टौंक के दो तीन हजार आदमी थे, वे सब बेकार हो गये, न तो वहां कोई धन्धा है और न वहां कोई इन्डस्ट्री है, न पेच है, न मिल है। उनके लिए कोई धन्धा नहीं है। वहां का अब तक कोई सर्वे भी नहीं हुआ है। अगर सरकार वहां का सर्वे कराये तो वहां पर बहुत खनिज पदार्थों की खानें मिल सकती हैं और इससे वहां की उन्नति हो सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वहां पर क्या क्या उद्योग धन्धे खोले जा सकते हैं उस विषय में अपना सुझाव उद्योग मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा। काश्तकारों को जो बड़ी भारी दिक्कत हो रही है वह यह है कि चड़स नहीं मिलते है क्योंकि वहां तो चड़स से ही खेती होती है। बीस-तीस वर्ष पहले काश्तकारों को जहां १५) रुपये में एक चड़स मिल जाती थी, वहां अब उनको ६०)-६०) रुपये में भी एक चड़स नहीं मिलती है। इसका मुख्य-कारण यही है कि वहां चर्म उद्योग नहीं है। इसलिए उस डिस्ट्रिक्ट में एक चर्म उद्योग खोला जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वह एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जहां खनिज पदार्थ खोज करने से मिल सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि वहां पर एक गुप्त गुफा है जो टौंक से लेकर निवाई तक गई है, उस गुफा का नाम है खोला माता की गुफा। अगर उसका सर्वे कराया जाय तो न मालूम उसमें पेट्रोल निकले, न जाने क्या चीज़ निकले ? इससे राजस्थान को अगर खोज करायी जाय तो फायदा हो सकता है।

तीसरी बात यह बताना चाहता हूं कि वहां पर अलसी बहुत होती है, वहां पर तिल बहुत होते हैं। इसलिए वहां पर एक आइल मिल लगाना चाहिए, जिससे आदमियों को धन्धा मिल सके। वहां पर चने भी बहुत होते हैं, यदि वहां पर दाल की मशीन लगाई जाय तो भी आदमियों को धन्धा मिल सकता है।

मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज टौंक डिस्ट्रिक्ट और खास टौंक में जहां ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी, वहां क्या दशा हो रही है कि जो किसी समय किसी के आश्रित थे, आज वे किसी के आश्रित नहीं तो उनकी हालत यह है कि छालियों की बजाय उनको खजूर की गुठलियां खानी पड़ रही हैं। आज न उनके लिये कोई धंधा है और न वे बाहर ही जाते हैं। उनका गुजारा बनास नदी में जो

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

खरबूजे ककड़ी आदि होती हैं उनसे गुजारा करते हैं लेकिन अब जब कि बनास नदी पर उदयपुर की तरफ बांध बन रहा है, ऐसी हालत में उन लोगों को डर है कि कहीं उनकी रोज़ी का जो साधन है, वह भी कहीं खत्म न हो जाय। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि ऐसे लोगों की रोज़ी के लिये कुछ न कुछ उपाय करने चाहिये।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मेरे इलाके में खैराड़ और आंवा है, वहां पर गन्ना बहुत ज्यादा पैदा होता है। उस इलाके में शुगर फेक्ट्री की तजवीज़ सरकार कर देती है तो वहां पर उद्योग धंधे भी अच्छी तरह से चलेंगे और लोगों को भी रोज़ी का साधन मिल जायगा। इतना निवेदन करते हुए मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उनका मकसद यह है कि राज्य को फायदा हो और बिचारी प्रजा को भी फायदा हो। मैं आपसे सच अर्ज करता हूँ, वहां जो शरणार्थी आबाद हुए थे, वहां धन्धा न मिलने के कारण कपड़े लत्ते न बिकने की वजह से शहरों में आ गये हैं। आज गांवों में धंधा न होने की वजह से गांव उजड़ते चले जा रहे हैं। सरकार को इनकी तरक्की के लिये कुछ न कुछ उपाय करने चाहिये।

डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव हैं जिनकी संख्या १७२, ३१६ और ३१७ है जो धौलपुर के उद्योगों के बारे में हैं। मैं थोड़ा सा धौलपुर के उद्योगों के बारे में प्रकाश डालूंगा।

माननीय अध्यक्ष, धौलपुर में जो प्रमुख उद्योग है उनमें धौलपुर ग्लास वर्क्स, उदयभान इन्डस्ट्रीज़, ऑइल मिल, दाल मिल इसके अलावा और भी कई छोटी मोटी मिल हैं। आज इन सब उद्योगों के सामने कठिनाई है, विद्युत की। इसके अलावा दूसरी जो कठिनाई है, वह है, सहयोग और संरक्षणात्मक नीति की।

माननीय अध्यक्ष, सब से पहले मैं धौलपुर ग्लास वर्क्स को लेता हूं जो आज केवल राजस्थान के उद्योगों के लिये ही नहीं बल्कि एशिया के प्रमुख उद्योगों में जिसको माना जाता है, जिसका माल बर्मा, पाकिस्तान, मिस्र, श्याम आदि देशों में जाता है। यही नहीं भारतवर्ष के अन्दर भी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास आदि शहरों में भी जिसकी बड़ी-बड़ी शाखायें हैं, जहां इसके उत्पादन की काफी खपत है। लेकिन यह कारखाना अभी पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसके कुछ कारण हैं। इसका कारण जहां तक मैं समझता हूं वह इस प्रकार की नीति है जिसके कारण संभवतया यह कारखाना पांच-छः साल के अन्दर समाप्त हो जायगा। जब इस बारे में भूतपूर्व उद्योग मंत्री को बताया गया था कि उद्योग के संचालक एक निजी कारखाना पिम्परी बंबई में लगाने जा रहे हैं, उसका उत्तर यह मिलता है कि यह तो उद्योगपतियों की एक प्रकार से धमकी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकार का कारखाना वहां प्रत्यक्ष रूप में खड़ा है। पेनीसिलिन के लिये जो ट्यूब्स बना करती थीं, वे पहले धौलपुर में बनती थीं, आज उसका उत्पादन बम्बई में होने लगा है। इस बारे में हमें कुछ सोचना चाहिये। राजस्थान के अन्दर ग्लास फेक्ट्रीज़ थीं वे करीब-करीब सब बन्द हो गईं। राज्य सरकार को चाहिये कि वह सर्वे कराये और कच्चे माल का पता लगाये और उसके खपत के लिए प्रबन्ध करे। इसलिये मैं

Page No.57

(डॉ० बहादुरसिंह)

चाहता हूँ कि इस प्रकार के उद्योगों को संरक्षण दिया जाय और विशेष तौर से मैं यह निवेदन करूंगा कि इस ग्लास फेक्टरी के बारे में, हमें अपनी नीति बनानी चाहिये और वह नीति इस प्रकार की हो । इसका जो उत्पादन हुआ है, उसके जो आंकड़े हमारे सामने हैं उससे साफ प्रगट होता है कि शत प्रतिशत रहा है, जिससे काफी अच्छी हमारी इज्जत बनी है । माननीय अध्यक्ष, इसमें सबसे ज्यादा जो सहूलियत की और सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, वह है विद्युत् की । हमारा पॉवर हाउस इस स्थिति में है कि वह इसको पॉवर सप्लाई नहीं कर सकता । इसका कन्ज़म्प्शन बीस हजार से चालीस हजार युनिट है जो इस पॉवर हाउस की स्थिति से काफी अधिक है । इतना पॉवर यह पॉवर हाउस सप्लाई नहीं कर सकता, लिहाज़ा हमें तीन आना युनिट देना पड़ता है । जब तीन आना यूनिट देते हैं तो मैं यह नहीं समझ सकता, वह किस प्रकार से मार्केट के अन्दर कम्पीटिशन कर सकेगा ।

माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में हमें कुछ और विचार करना चाहिये, वह यह कि इन्होंने जो पॉवर हाउस लगाया है, वह पॉवर हाउस इनकी खुद की आवश्यकता को भी पूरा नहीं कर सकता । इसमें राजस्थान सरकार के शेयर्स हैं इसके साथ-साथ धौलपुर की बेकारी का भी एक प्रश्न है । बेकारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए, इस उद्योग के लिये हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं एक और इन्डस्ट्री की तरफ जाता हूं जो उदयभान इन्डस्ट्रीज़ के नाम से है, जिसमें राजस्थान सरकार का एक लाख तीस हजार के करीब रुपया लगा हुआ है और भी पूंजी है, नाभा स्टेट की । आज इसकी स्थिति यह है कि जहां तक मेरा अन्दाज है, इसमें बमुश्किल एक लाख रुपये की प्रोपर्टी निकलेगी । मालूम यह हुआ था कि कस्टम का कुछ बकाया होने के कारण केस हाई कोर्ट में चल रहा है इसलिए बन्द है । अगर किसी भी प्रकार से यह इन्डस्ट्री चलाई जाय तो इसके अन्दर शुगर मिल या आईस फेक्ट्री चल सकती है । जहां तक शुगर मिल का प्रश्न है, धौलपुर में इसकी बहुत आवश्यकता है । अगर शुगर फेक्टरी का निर्माण हो जाता है तो वहां काफी गन्ना पैदा हो सकता है । आज जो धौलपुर में सिंचाई के साधन हैं, उनसे भी गन्ना काफी पैदा होता है, लेकिन जब पार्वती बांध का निर्माण हो जायगा तो काफी मात्रा में गन्ना पैदा हो सकता है । इसके अलावा आस-पास में जो यू. पी. का इलाका है, जैसे खैरगढ़ वहां शुगर फेक्टरी नहीं है, वहां पर भी गन्ना काफी पैदा होता है, इससे अगर शुगर मिल का वहां प्रयत्न किया जाय तो शुगर मिल अच्छी तरह से चल सकती है ।

इसी प्रकार वहां एक मेच फेक्टरी थी, जो काफी टाइम से बन्द है । इस मेच फेक्टरी को जिसको कि हमने काफी जमीन दे रखी है, जिसको काफी सहूलियत दी है, आज वह बन्द कर रखी है । इसके बन्द होने से यह प्रभाव हुआ, वहां बेकारी काफी हो गई । इसके लिए हमें करना यह चाहिये कि जिस काम के लिये हमने उनको रियायतें दीं, उनको वापिस लेने के लिये कह दिया जाय । इससे यह हुआ कि जो महाराणा मेच फेक्टरी के नाम से जो फेक्टरी थी, वह समाप्त हो गई है । अब उसे किसी एक व्यक्ति को जो ग्वालियर में रहते हैं उनको दे दी गई है । जिस पर एक लम्बा-चौड़ा सा बोर्ड

(श्री बहादुरसिंह)

नजर आता है। मेरा ऐसा निवेदन है कि इस बारे में क्या राज है, यह मालूम करना चाहिये, आया यह क्या कन्सर्न है। मेरा जहां तक ख्याल है यह रजिस्टर्ड कन्सर्न है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस ग्वालियर में है। अब हमें देखना यह है कि यह फैक्टरी चल सकती है या नहीं। अगर नहीं चलती है तो जो फैक्टरी के नाम से रियायतें दी हुई हैं उनको समाप्त कर देना चाहिये। काफी जमीन इसके नीचे है अगर इस पर खेती की जाती तो काफी अनाज पैदा हो सकता था।

इसी प्रकार से आइल मिल और दाल मिल हैं, जिनके ऊपर धौलपुर के हजारों लोग अपनी आजीविका पैदा करते थे। लेकिन पॉवर हाउस की कमी से ये उद्योग धन्धे बन्द हैं। जहां पहले आगरे से कम्पीटीशन हुआ करता था दाल और तेल के मामले में, वह आज नहीं हो पा रहा है। मेरा यह निवेदन है कि अगर इन उद्योगों को सरकार की ओर से कुछ राहतें मिलतीं तो बेकारी की समस्या भी हल होती। अगर पॉवर का इन्तजाम हो जाता तो मेरा ऐसा मानना है कि ये उद्योग धन्धे भी काफी पनपते।

खानों की स्थिति यह है कि हमारे यहां बलुआ नाम का एक प्रसिद्ध पत्थर निकलता है, जिसको पूज्य बापू की समाधि में भी लगाया जायगा। दिल्ली की जितनी भी बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें हैं, वे सब धौलपुर के पत्थर से निर्मित हैं। लेकिन धौलपुर के अन्दर पत्थरों की स्थिति यह है कि वहां पर झोंपड़ी बनाने के लिये पत्थर नहीं मिलता। माननीय मन्त्री महोदय से एक दफा यह आश्वासन मिला था कि वे स्वयं देखेंगे, लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं हुई।

दूसरे मैं और एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर में अगर सर्वे किया जाय तो निश्चित तौर पर तांबा और जिप्सम प्राप्त हो सकता है। मैंने पिछली दफा प्रश्न किया था और उसके उत्तर में कहा गया कि स्टेट टाइम में सर्वे किया था। माननीय अध्यक्ष, धौलपुर का जो डांग एरिया है, वहां लोगों ने कुछ प्रयत्न किया और थोड़ा थोड़ा जिप्सम भी निकाला और मुझे भी दिया। मैंने सेण्ट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर श्री राजबहादुरजी थे, उनको बतलाया। इस प्रकार से अगर धौलपुर सर्वे किया जाय तो निश्चित रूप से अन्य बहुत सी चीजें प्राप्त हो सकती हैं, जिससे राजस्थान को काफी लाभ होगा।

अन्त में, मेरा पुनः निवेदन यह है कि धौलपुर में उद्योगों के लिए और बेकारी को दूर करने के लिए, विशेष तौर से ऐसी व्यवस्था की जाय, जिससे वहां की बेकारी दूर हो और जो उद्योग-धंधे चल रहे हैं और जो बन्द हैं, उनको राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द।

श्री लक्ष्मण हीरात : इस लिस्ट में माननीय सदस्यों के जो कटौती के प्रस्ताव हैं वे एक से ही हैं और इसी तरह के हैं। माननीय सदस्य जो पहले बोले हैं, वह भी वही है, तो क्या हम यह समझें कि यह दोनों डबल बोलेंगे या एक एक ही बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : जिन माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है, उनको मौका बोलने का दिया जायगा।

श्री लक्ष्मण हीरात : वह तो है ही,

(लक्ष्मण हीरात)

लेकिन इसके अन्दर ऐसा है कि डबल आ गया। एक ही प्रस्ताव डबल आ गया है।

श्री अध्यक्ष : कौन सा?

श्री लक्ष्मण हीरात : एक ही मांग पर जैसे मांग संख्या १८ पर दो एक से ही आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो तीन-चार हैं।

श्री लक्ष्मण हीरात : साहब, मगर हूबहू एक से ही हैं।

श्री अध्यक्ष : उन पर भी बोलने का मौका दिया जायेगा।

श्री लक्ष्मण हीरात : लेकिन हूबहू एक ही बात है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन रखने वाले तो अलग-अलग हैं।

श्री अध्यक्ष : आप किस मांग के बारे में बात कर रहे हैं?

(विराम)

श्री बालमुकुन्द।

श्री बालमुकुन्द (डूंगरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों में आदिवासी की उत्थान के लिए कोई छोटे-छोटे उद्योग धन्धे नहीं खोले जाने पर विचार करने के लिए है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रपिता तथा पूज्य महात्मा गांधी के शब्दों में हमारा भारतवर्ष वास्तव में गांवों में ही बसता है। हमें गांवों की गरीबी को दूर करके, वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारना है। हमें सबसे पहले गांवों की ओर ध्यान देना है। इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार इन गांवों की ओर कितना ध्यान देती है? आज गांवों के ऊपर हमारी राज्य सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं है। हमारी राज्य सरकार विशेष कर के शहरों में हर तरह के उद्योग और सुविधा प्रदान करती है। इससे अच्छा तो यह होता कि इन छोटे-छोटे गांवों को बढ़ा कर के अधिक से अधिक छोटे-छोटे उद्योग खोलती और गांव की गरीब जनता को राहत पहुंचाती और छोटे-छोटे कारखाने वगैरह खोलकर उनको सुविधा देती। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि वह दोनों टाइम भरपेट रोटी नहीं खा सकते हैं। आज मैं कुछ आपके सामने उदाहरण ऐसे रखना चाहता हूं, जिससे आपको मालूम हो जायेगा कि हमारे गांव के किसानों को और काश्तकारों को कितना दुख उठाना पड़ता है? हमारा डूंगरपुर और बांसवाड़े का क्षेत्र इतना पिछड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कहने के लिए माननीय सदस्य बार-बार कहते हैं कि उदयपुर डिविजन में काफी रुपया दिया है और दिया होगा। मैं नहीं कह सकता। लेकिन वास्तव में मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वह अभी इसी समय डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो हिस्सा है, उसकी जांच करें और देखें कि वहां की जनता की स्थिति कैसी है? किस प्रकार से वह लोग रहते हैं। इस क्षेत्र के लिए राज्य सरकार को सोचना चाहिए कि उनके लिए ऐसे कौन से उद्योग चलाये जायें जिनके आधार पर लोगों को राहत मिल सके। मैं यह जरूर मानता हूं कि राज्य सरकार ने वहां पर छोटे-छोटे उद्योगों को चलाने का प्रयत्न किया है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा, लेकिन

(श्री बालमुकुन्द)

उनमें कहां तक सफलता मिली है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इस तरह से छोटे-छोटे उद्योगों को खोल कर यह बतायें कि हम वहां पर उद्योग चला रहे हैं इससे कोई वास्तविक लाभ होने वाला नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि आप पन्द्रह-बीस छोटे-छोटे उद्योग न खोलें, बल्कि एक ही खोलें मगर वह ऐसा खोलें कि जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके जो उनको वास्तविक रूप में मदद दे सके। ऐसे उद्योगों की ओर सरकार को ध्यान ज्यादा देना चाहिए न कि ऐसे ज्यादा उद्योग खोल कर यह बतायें कि हमने इतने उद्योग खोले हैं। इससे ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि उस क्षेत्र में अम्बर चर्खा अच्छी तरह से काम कर सकता है और उसको चलाने से गरीब लोगों के कपड़े का सवाल हल हो जायेगा, उनको पैसे मिलने का भी सवाल हल हो जायेगा। तो हमारी राज्य सरकार को चाहिए कि अम्बर परिश्रमालय में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा देकर और इस पर ज्यादा रकम खर्च करके ऐसे उद्योग को वहां पनपाने की कोशिश करनी चाहिए।

दूसरे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर और हमारे मेवाड़ में काफी जंगल हैं और ऐसे जंगलों में छोटे-छोटे काश्तकारों और किसानों की समितियां बना दी जायें, जिससे सबका फायदा हो सके। क्योंकि एक ठेकेदार ठेका लेकर काफी नुकसान करता है और गरीबों का शोषण करता है, वह शोषण भी बन्द होगा और गरीबों को आर्थिक सुविधा भी मिलेगी। तो ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करके, जंगल की समितियां बनानी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके।

इसके अलावा बांसवाड़ा के अन्दर और भी छोटे-छोटे उद्योग चल सकते हैं, जैसे बांस की टोकरियां बनाना और खिलौने आदि का काम भी चल सकता है। ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों की गुंजाइश है। हमारी राज्य सरकार कहेगी कि हमने पहले से ही वहां उद्योग चला दिये हैं और हमारा काम चल रहा है। लेकिन मैं निश्चितरूप से कहना चाहता हूं कि वहां पर ऐसे उद्योग खुले हैं जिनमें न तो प्राण हैं, ऐसे उद्योगों को वहां चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी राज्य सरकार को एक ही उद्योग ऐसा लाना चाहिए कि जिससे कुछ फायदा लोगों को मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सम्बन्धित मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे क्षेत्र में भी कम ध्यान देकर समिति के द्वारा जांच करवा कर कि लोगों की क्या हालत है ठोस कदम उठाना चाहिए और लोगों की जो गरीबी हालत है, उसको मिटाने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए, वर्ना इस तरह की स्कीमें चलती रहीं तो मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि बीसों साल गुजर जायें, उनसे गरीबों का कोई सुधार होने वाला नहीं है। मैं निश्चित रूपसे कह सकता हूं और आपके द्वारा सम्बन्धित मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह विशेष तौर से ऐसे क्षेत्र की जांच करा कर एक व्यवस्थित प्लॉन बनाये जिससे वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधर सके। जो भी योजनायें हैं, उनके लिए मैं कह सकता हूं कि वह कागजी योजनायें हैं। मैं फिर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि अम्बर चर्खा ऐसा है कि जिससे लोगों को रोटी मिल सकती है और गरीबी दूर हो सकती है और

(श्री बालमुकुन्द)

इस क्षेत्र में राज्य सरकार को ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके अम्बर चर्खे को सफल बनाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या २१ पर मेरे ४ कट-मोशान्स हैं पहला कटमोशन, बीकानेर में कई वर्षों से बन्द पड़ी हुई ग्लॉस फैक्ट्री के संबन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि ग्लास फैक्टरी को शुरू करने के बारे में राज्य सरकार ने जो यह ढिलाई बरती है, इसका क्या कारण है ? इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह ग्लास फैक्टरी बीका-नेर में कम से कम १० वर्ष से बन्द पड़ी है। यह कारण हो सकता है कि आपस के पार्टनर्स के झगड़ों के कारण यह फैक्ट्री बन्द रही है लेकिन पार्टनर्स के आपस के झगड़े तय हो चुके हैं और इस फैक्टरी को शुरू करने की कार्यवाही अब शुरू होनी चाहिए। ग्लॉस फैक्टरी बीकानेर में बहुत मुनाफे से चलती रही थी और इस फैक्टरी में कम से कम सात आठ सौ मजदूरों को काम मिलने की गुंजाइश है। बीकानेर में ग्लॉस फैक्ट्री तथा ऊन के उद्योग के अलावा कोई भी दूसरा ऐसा उद्योग नहीं है जिससे कि लोगों को रोजी मिल सके। सरकार को इस फैक्टरी के चलाने में दृढ़ निश्चय से कुछ निर्णय लेना चाहिये। इस फैक्ट्री में कम से कम तीन-चार लाख की पूंजी लगी हुई है और इस फैक्ट्री को सरकार को खुद अपने हाथ में लेकर चलाना चाहिये। सरकार चाहे तो अपनी पूंजी इसमें लगाए या पार्टनर को एग्री करे फैक्ट्री को चलाने के लिए कि वे उसमें दिलचस्पी लें। इस फैक्ट्री के चलाने में महज़ झगड़ा यह है कि कुछ एरियर्स हैं, सरकार के उनके जिम्मे इलेक्ट्रिक चार्जेज़ और पानी तक के खर्चे हैं। पार्टनर्स यह चाहते हैं कि कुछ निर्णय होकर यह झगड़ा आपस में तय हो जाय और वह फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि फैक्ट्री को चलाने के सम्बन्ध में सरकार शीघ्र निर्णय ले जिससे कि बीकानेर में कम से कम ७००–८०० आदमियों को रोजी मिल सके।

दूसरा मेरा प्रस्ताव वहां वूल ग्रेडिंग और स्पिनिंग सेन्टर के बारे में है। राज्य सरकार ने सन् १९५३ में वहां यह सेन्टर स्थापित किया था और दो तीन महीने काम करने के बाद में, जिस इमारत में यह मशीनें फिट की गई थीं उस इमारत में क्रेक्स आ गये और दो तीन वर्षों से २-३ लाख की मशीनरी बिल्कुल बन्द पड़ी हुई है और यह जो केपिटल लगी हुई थी वह किसी काम में नहीं आ रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में कि इस फिनिशिंग सेन्ट का काम जल्दी से जल्दी दूसरी किसी बिल्डिंग में स्टार्ट किया जाय। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं कि किसकी गलती के कारण यह मशीनरी इस बिल्डिंग में फिट की गई थी जो कि बिल्कुल ही मशीनरी के लिए उपयुक्त नहीं थी। लेकिन यह सरकार के सोचने का काम है कि सरकार क्या कार्यवाही करे, लेकिन हम चाहते हैं कि २, ३ वर्षों से लाखों रुपये की जो मशीनरी बेकार पड़ी हुई है, उस पर काम शुरू किया जाय।

तीसरा मेरा कटौती प्रस्ताव प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्लॉन्ट लूणकरणसर में शुरू करने के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर में जिप्सम लिमिटेड को सरकार ने लीज़ पर

(श्री भीमसेन जी) [illegible] दिया हुआ है, और वह लिमिटेड कम्पनी वहां से सेलोलाइट एक्सपोर्ट करती है। लीज एग्रीमेंट में यह तय हुआ है कि यह कम्पनी प्लॉस्टर आफ पेरिस का प्लॉन्ट लगायेगी अपने खर्चे से, लेकिन वह प्लॉन्ट अभी तक उस कम्पनी से स्थापित नहीं हो सकता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्लॉन्ट के लिए उस कम्पनी पर सरकार जल्दी से जल्दी जोर डाले कि जितना सहयोग आपस में एग्रीमेंट में हुआ है आपस में लगाने का तो सरकार को पूरा सहयोग देकर प्लॉस्टर ऑफ पेरिस का प्लॉन्ट लूणकरणसर में स्थापित किया जाय। आज कच्चा माल एक्सपोर्ट हो रहा है और अगर फैक्ट्री का प्लॉन्ट वहां हो जाय तो वहां के लोगों को रोजी का जरिया उपलब्ध हो सकेगा। इसके बारे में सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये।

चौथा मेरा प्रस्ताव साल्ट मैन्युफैक्चरिंग एट लूणकरणसर के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, सन् १९१३ में स्टेट गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट में यह तय हुआ था कि सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम लूणकरणसर में बन्द किया जाय और उस वक्त स्टेट ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ कम्पेन्सेशन लेना स्वीकार करके वहां पर काम बन्द कर दिया था। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लूणकरणसर में अगर इस साल मैन्युफैक्चरिंग का वर्क शुरू किया जाय तो कम से कम १ लाख मन प्रति वर्ष वहां पर नमक बनाया जा सकता है और वहां के लोग जो पहले इस काम को कर रहे थे वे लोग अब तैयार हैं इस काम को अपने हाथ में लेने के लिए। तो मैं सरकार से निवेदन करता चाहूंगा कि सरकार इस काम को शुरू करवाये, चाहे जिप्सम लि० के मार्फत, चाहे लोगों को डाइरेक्ट दे। मेरी मन्शा सिर्फ यह है कि सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग वहां शुरू होना चाहिए ताकि अच्छी किस्म का नमक वहां तैयार किया जा सके और वहां के लोगों को रोज़ी का साधन मिल सके। अभी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने सॉल्ट इन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर की है। वह सॉल्ट इन्क्वायरी कमेटी सारे हिन्दुस्तान में घूमेगी, और इस बात की खोज करेगी कि कहां-कहां सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है? तो अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि लूणकरणसर का केस भी इन्क्वायरी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ताकि वहां सॉल्ट के बारे में क्या संभावनाएं हैं, उसके बारे में कमेटी निर्णय दे सके और वहां यह काम शुरू किया जा सके।

इतना ही निवेदन करके मैं अपने प्रस्ताव को मुव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजयवर्गीय (अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी। (अनुपस्थित)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

श्री रामेश्वरदयाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि किस आर्डर में ये प्रस्ताव लिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : जिस आर्डर में आये थे उसी आर्डर में।

श्री रामेश्वरदयाल : क्योंकि मेरे इससे पहले दो कटौती प्रस्ताव थे जो लेने से रह गये हैं।

श्री अध्यक्ष : कौन सी लिस्ट में है?

श्री रामेश्वरदयाल : नम्बर ७२ कौन ?

श्री अध्यक्ष : इस लिस्ट में आपका नम्बर १० पर है, उस पर आ जायगा।

श्री रामेश्वरदयाल : हमको बतला दिया जाय ताकि मालूम रहे कि किस टाइम फिर बोलना आयगा।

श्री अध्यक्ष : बस इनके बाद में आपका नाम है।

(विराम)

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो प्रस्ताव सदन के सामने पेश किये हैं जो सूची में एक तो ७६ नम्बर पर और दूसरा २६ नम्बर पर है। उनके बारे में प्रार्थना करूंगा।

हमारे देश और प्रदेश की उन्नति उद्योगों पर ही निर्भर है और जिस प्रदेश में जितने अधिक उद्योग धन्धे खोले जाते हैं और चालू रखे जाते हैं, उस प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा उन्नति उसी पर निर्भर रहती है। यदि हम यह सोचते हैं कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी है और लोगों को काम धन्धे नहीं मिलते हैं तो इसका कारण यह है कि हमारे यहां पर उद्योग धन्धों की कमी है। उसके साथ-साथ हम यह नहीं सोचते कि जो हमारे प्रदेश में उद्योग-धन्धे पहले से हैं उन उद्योग धन्धों को जो कि बन्द पड़े हुए हैं, हम उनको क्यों न चालू करें। आज मैं देखता हूं कि हमारे प्रदेश की विजयनगर और किशनगढ़ की मिलें (कपड़े की) जो बन्द पड़ी हैं और वे काफी अर्से से बन्द पड़ी हैं; उनकी ओर सरकार द्वारा ध्यान ही नहीं दिया जाता है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : विजयनगर में चालू हो गई है।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा : गनीमत है। अब तो किशनगढ़ की मिल जो कि सबसे ज्यादा पुरानी है, जिसमें कि ६ हजार स्पिन्डल्स हैं, सूत कातने के लिए हैं और ४६ लूम कपड़ा बनाने के हैं, वह इतनी बड़ी इन्डस्ट्री है जो कि करीब दो साल से बंद पड़ी है। लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर जाता ही नहीं है। इस ओर कई मर्तबा सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया कि तीन हजार आदमी इस इन्डस्ट्री के अन्दर काम करते हैं और उनके आश्रित घरवाले ६ हजार व्यक्ति हैं और जिसके ऊपर सारे किशनगढ़ और मदनगंज का व्यापार निर्भर है जो सब चौपट हो रहा है किन्तु सरकार उसकी ओर अपनी तवज्जह नहीं देती है। इसके बारे में कई दफा यहीं के मजदूर वर्ग की तरफ से एजीटेशन हुए। एक दफा मजदूर भाइयों की तरफ से भूख हड़ताल भी हुई। उस वक्त माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने मुझे विश्वास दिलाया था कि यह भूख हड़ताल खत्म हो जाय और यह जो मजदूरी का पैसा है वह पहले खुद इस इन्डस्ट्री का चलाने वाला मैनेजमेन्ट दे दे, तो फिर हम चलाने का पूरा-पूरा इन्तजाम कर देंगे। मैंने उस वक्त मुख्य मन्त्री के इस आश्वासन पर वहां के मजदूर भाइयों को आश्वासन दिया कि किसी तरह से भूख हड़ताल आप बन्द कर दें तो गवर्नमेंट इसकी ओर जल्दी से जल्दी कदम उठा कर इसे चलाने का अवश्य ही प्रयत्न करेगी। उसी आश्वासन पर भूख हड़ताल खत्म कर दी गई किन्तु मुझे अफसोस है कि अभी तक काफी अर्सा इसको बन्द हुए हो गया किन्तु आज तक सरकार की तरफ से उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जब कि सरकार को इस इन्डस्ट्री के द्वारा ४५ लाख सालाना,

(श्री पुरुषोत्तम लाल)

राजस्थान सरकार को तो नहीं, किन्तु भारत सरकार को अवश्य लाभ होता है। आप कहेंगे कि किस प्रकार ! तो मैं बताना चाहता हूं कि प्रति गज़ कपड़े पर सवा दो आना एक्साइज़ ड्यूटी और आधा आना हैण्डलूम कपड़े के बारे में टैक्स लिया जाता है। इस तरह से पौने तीन आने प्रति गज़ कपड़े पर टैक्स के रूप में लिया जाता है।

(२ म० प०)

और एक लूम पर २५ गज कपड़ा प्रति दिन निकलता है और इस तरह एक साल में १५ लाख रुपयों का सालाना उपरोक्त टैक्स बैठता है। वह भारत सरकार के पास जाता है तो मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार के पास यदि इस इन्डस्ट्री को चलाने के लिये इतने साधन नहीं हैं तो राज्य सरकार को चाहिये कि भारत सरकार से निवेदन करे, सहायता प्राप्त करने के लिये जिससे कि यह इन्डस्ट्री चलायी जा सके। जहां पर भारत सरकार को १५ लाख रुपये सालना की आमदनी हो, वहां यदि १० लाख रुपये लगाकर भारत सरकार के द्वारा यह इन्डस्ट्री चालू कराई जाती है तो भारत सरकार या राजस्थान सरकार को इससे कोई हानि नहीं है। मैं देखता हूं कि नये नये इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को बुलाकर, नयी नयी इन्डस्ट्रीज़ चलाने के लिये कहा जाता है और उन्हें पैसा दिया जाता है। ऐसी अवस्था में जो इन्डस्ट्री पहले से ही काफी अर्से से राजस्थान में चल रही है और जो सबसे बड़ी इन्डस्ट्री है, वह दो साल से बन्द पड़ी है, जिसका प्रभाव सारे किशनगढ़ क्षेत्र पर पड़ता है और वहां के मजदूर व अन्य वर्ग को उससे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है जिसके कारण वहां की जनता परेशान है, उसको वापिस शीघ्र चालू कराया जाना चाहिये। जब से यह इन्डस्ट्री बन्द है उसके बाद कोई इन्डस्ट्री सरकार ने वहां पर नहीं खोली है, न तो वहां पर कोई कॉटेज़ इन्डस्ट्री खोली गई है न बड़ी इन्डस्ट्री, जिससे वहां की जनता अपने पेट का पालन कर सके और न कोई दूसरा धंधा ही खोला है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से मैं आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि इस पर पूरा पूरा ध्यान दें, जिससे कि यह मिल वापिस चालू हो और इसके बंद रहने की वजह से कई मजदूर जो दो दिन तक भूखे रहते हैं, उनको भूखा नहीं रहना पड़े। वहां के लोग इस बारे में बड़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि पहले राजाओं के जमाने में भी ऐसी हालत नहीं थी। हम स्वतंत्र हुए हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ हम यह सोचते थे कि सरकारी उद्योग-नीति के कारण हमारी उन्नति होगी और प्रदेश के काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। वहां आज देखते हैं कि प्रदेश में इन्डस्ट्रीज बंद होती जा रही हैं और सरकार उस ओर कोई ध्यान नहीं देती। आज कल जो बड़े-बड़े सेठ हैं, उनका विचार है कि सरकार से किसी भी प्रकार से रुपया लेना और फिर इन्डस्ट्री चलाना। मैं निवेदन करूंगा कि उनको रुपये देने के बजाय सरकार बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें सुचारु रूप से चलावे जिससे राज्य सरकार को भी फायदा होगा और जनता को बेरोजगारी की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं राज्य सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस इन्डस्ट्री को जल्दी से जल्दी चलाने की कोशिश की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल।

श्री धन्नालाल हारित : इनसे पहले मेरा भी नाम था।

Page No.65

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल ।

श्री रामेश्वरदयाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने तीन कटौती प्रस्ताव नं. १७३, १७४ और ३२६ सदन के समक्ष विचारार्थ उपस्थित करता हूं,

माननीय अध्यक्ष, हमारे प्रान्त की प्रगति, सफलता और खुशहाली औद्योगीकरण के ऊपर निर्भर है और उसके विकास के लिये जितने भी संभव उपाय हों उनको करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि राजस्थान सरकार की कोई औद्योगिक नीति नहीं है। मैं यह कहूंगा कि सरकार की एक ठोस और प्रगतिशील नीति है, लेकिन उसको कार्यान्वित करने में जो शिथिलता है उसके अन्दर कुछ गति लानी है उसको क्रियात्मक रूप देना है। यही प्रश्न हमारे सामने है। बजट से जाहिर है, राज्य सरकार ने कई योजनाओं पर जैसे कुटीर उद्योगों, छोटे पैमाने और भारी पैमाने के उद्योगों के ऊपर काफी धन-राशि बजट में रखी है। यह दूसरी बात है कि वह कहां तक पर्याप्त है और कहां तक अपर्याप्त है। लेकिन इस प्रकार के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, आज पंच वर्षीय योजनाओं को चालू हुए करीब ८ साल होने आये हैं, हमें यह विचार करना है कि राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के कारण इस प्रान्त के अंदर कितनी बड़ी-बड़ी मिल और कितनी बड़ी-बड़ी फेक्ट्रियां और कितने बड़े बड़े उद्योग व्यवसाय चालू हुए हैं। लाइसेन्स देने ही से तो, जो तात्कालिक प्रश्न है उनका हल नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय, उद्योग के समुचित विकास के लिये बहुत सी चीजों की आवश्यकता है और सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे प्रान्त के अन्दर इन्डस्ट्रियल सर्वे होना चाहिये। औद्योगिक सर्वेक्षण प्रान्त का जरूर होना चाहिये। इस सम्बन्ध में जहां तक मुझे जानकारी है, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अब तक प्रान्त भर में इस प्रकार के सर्वे की कोई व्यवस्था नहीं हुई। किस क्षेत्र में किस प्रकार का उद्योग या व्यवसाय चालू किया जा सकता है इसका सर्वे होना अत्यन्त आवश्यक है। सर्वे होने के बाद उस सिफारिश पर जिसे विशेषज्ञ राज्य सरकार के समक्ष रखें उसके आधार पर औद्योगीकरण की कोई योजना बनाई जानी चाहिये और इस प्रकार एक योजनाबद्ध तरीके से राज्य सरकार को चलना चाहिये। राज्य सरकार ने कोई इन्डस्ट्रियल सर्वे नहीं कराया, कोई प्लॉन तैयार नहीं कराया इसलिये आज इस प्रान्त में उद्योगों की भारी कमी है, व्यवसायों का भारी अभाव है। इस प्रक्रिया के बिना हमारी औद्योगिक नीति सफल नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो उद्योग की सफलता और विकास के लिये आवश्यक है वह सस्ती और सुलभ बिजली है। वैसे राज्य सरकार के समक्ष चंबल, भाखरा नांगल और थरमल विद्युत प्रकाश जैसी कई योजनाएं विचाराधीन हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि भाखरा नांगल से और गांधी सागर से विदेशी मुद्रा की बिजली प्राप्त करने के लिये आवश्यक सामान खरीदने के लिये राज्य सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई है जब कि मध्य भारत के अंदर इस बिजली का उपयोग करने के लिये चारों तरफ तार की लाइनें बिछा दी गई हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की तरफ से इस बिजली का उपयोग करने के लिये कोटा डिविज़न में तार की लाइनें.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह बिजली पर कटमोशन है या इन्डस्ट्रियल डिमान्ड पर ?

श्री रामेश्वरदयाल : औद्योगिक दृष्टि से बिजली की आवश्यकता के बारे में अर्ज कर रहा था।

श्री अध्यक्ष : यह कट मोशन कोटा पर है।

श्री रामेश्वरदयाल : (जारी) बिजली के विकास की कितनी आवश्यकता है, इस पर निवेदन कर रहा था। अगर बिजली हमको प्राप्त नहीं होती है तो हम उद्योगों का विकास नहीं कर सकते। मैं निवेदन कर रहा था कि आज इसकी बड़ी आवश्यकता थी और इसकी कमी के कारण एक अर्से तक हम भारी उद्योग नहीं चला सकेंगे और इससे हमारी बहुत ज्यादा क्षति होगी।

तीसरी बात, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन उद्योगों के विकास के लिये रॉ मेटीरियल, यानी कच्चे माल की बहुत आवश्यकता है। कच्चा माल अगर काफी मात्रा में इन उद्योगों को मिलता है तो यह उद्योग पनप सकते हैं। आज प्रकृति की दया से राजस्थान के अन्दर साधनों का कोई अभाव नहीं है, क्षमता की कोई कमी नहीं है। प्रश्न उनके उपयोग करने का है। कोटा डिवीज़न के अन्दर चम्बल से जो नहर निकलने वाली है, उससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा, औद्योगिक विकास में कहां पर होगा लेकिन प्रश्न यह है कि किस प्रकार की व्यावसायिक फसल तैयार की जाय, किस प्रकार के बीज बोये जांय, जो हमारे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कर सकें। प्रश्न यह है कि क्रोप पेटर्न डिसाइड किया जाना चाहिए। यह राज्य सरकार का काम है कि जल्दी से जल्दी क्रोप पेटर्न के बारे में निश्चय किया जाय और इसके लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया जाय जो क्रोप पेटर्न के बारे में कुछ निर्णय लेकर काश्तकारों को अवगत करे और उनको इस बात के लिए तैयार करे कि वे जल्दी से जल्दी उस प्रकार की फसलें बोने के लिए तैयार हो जायं, ताकि जब चम्बल से पानी मिलेगा, तो वे उस पानी का उपयोग उस फसल को तैयार करने में कर सकें और इस प्रकार उद्योगों के लिये कच्चे माल का उत्पादन बढ़ सके, इससे औद्योगिक विकास में काफी मदद मिल सकती है।

तीसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास के लिए जो सबसे बड़ी आवश्यक बात है, वह है टेक्निकल एज्युकेशन, प्राविधिक शिक्षा है। आज राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की बहुत कमी है। अगर आनुपातिक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो ज्ञात होगा कि जो खर्चा दूसरी शिक्षाओं पर किया जा रहा है वह इस शिक्षा पर खर्च नहीं किया जा रहा है। आज राजस्थान के अन्दर टेक्निकल कॉलेज़ेज और स्कूलों की बहुत कमी है, कॉलेज़ेज की बहुत कमी है। वैसे राज्य सरकार ने कुछ निर्णय लिये हैं एक दो जगह तो पोलीटेक्निक स्कूल खोलने का विचार किया है। जोधपुर के अन्दर इन्जीनियरिंग कॉलेज को एक्सपेन्ड करने का विचार किया है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रयास किये गये हैं वे हमारी आवश्यकताओं के लिए काफी नहीं हैं, पर्याप्त नहीं हैं। मैं यह निवेदन करूंगा राज्य सरकार से, आपके द्वारा, कि इस प्रकार के पोली टेक्निक स्कूल्स कम से कम हर.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमंत्री) : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

सदस्य से कहना चाहूंगा कि बिजली के बाद एग्रीकल्चर आया, फिर कैसे कोटा में पानी आने वाला है, अब टेक्निक स्कूल पर आ गये। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन्डस्ट्रीज़ की डिमान्ड पर कहां से कहां जनरल डिबेट होने लग गई।

श्री रामेश्वरदयाल : मैं समझता हूं माननीय मुख्य मन्त्रीजी को मेरी बात समझने में भ्रम हुआ है। मैं बता रहा हूं कि औद्योगिक विकास के लिए किन-किन चीजों की जरूरत है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है?

श्री अध्यक्ष : इस हिसाब से कोई चीज बाकी नहीं रहेगी।

श्री रामेश्वरदयाल : हमारे औद्योगिक विकास के लिए प्रशिक्षण शालाओं की जरूरत है, टेक्नीशियनों की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष : अच्छे स्वास्थ्य की भी जरूरत है।

(हंसी)

श्री रामेश्वरदयाल : मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, अर्ज कर रहा था कि औद्योगिक विकास के लिए आज अनुसंधान शालाए और प्रशिक्षणालय खोलने की आवश्यकता है, बहुत से प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की जरूरत है, रिसर्च इन्स्टीट्यूट खोलने की जरूरत है, जिससे कि उन उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण किया जा सके, जांच की जा सके, यह मालूम किया जा सके कि किस प्रकार के वैज्ञानिक तरीकों से काम करने से औद्योगिक विकास हो सकता है और किस प्रकार से उसमें सुधरे हुए औजार काम में आ सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कोई व्यवस्था आज कोटा डिवीज़न में नहीं है, जो कुछ दिनों बाद एक बहुत बड़ा औद्योगिक केन्द्र होने जा रहा है। वहां पर कम से कम प्रशिक्षण शाला की और प्रशिक्षण केन्द्र और अनुसंधानशाला की आवश्यकता है, जिससे कि उस क्षेत्र के अन्दर जो उद्योग-धन्धे चलते हैं, कुटीर उद्योग चलते हैं, छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे चलते हैं, लोग उन उद्योग धन्धों की शिक्षा और प्रशिक्षण उसके अन्दर प्राप्त करें और प्राप्त करके उनके विकास के अन्दर वे ज्यादा से ज्यादा सहायक और मददगार हो सकें। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहूंगा कि वैसे तो राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न मदों पर काफी तादाद में लोगों को कर्जा दिया जाता है, लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कुछ कर्जा दिया जाता है, उसकी देख भाल के लिए सरकार को विचार करना चाहिए। जो कर्जा दिया गया है, वह किस प्रकार खर्च किया गया है, उसका दुरुपयोग तो नहीं हुआ, जो रकम सहायता के लिए दी जाती है।

२.१५ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सब्सिडी के तौर पर, रकम कर्जे के रूप में दी जाती है, उसका सदुपयोग नहीं होता है और दुरुपयोग होता है तो फिर औद्योगिक विकास में कोई मदद नहीं मिल सकती। इसलिए इस ओर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री रामेश्वरदयाल)

यह कहना चाहूंगा कि विकासशील बाजार की भी औद्योगिक विकास के लिए आवश्यकता है। इसके लिए हमारी सरकार को क्रय-विक्रय केन्द्र खोलने चाहिएं। मैं उदाहरण के तौर पर कोटा डिवीज़न की बात कहना चाहता हूं कि वहां सबसे बड़ा कुटीर उद्योग हाथ-कर्घे का है। लेकिन इस हाथ–कर्घे के उद्योग से जो चीज़ें तैयार की जाती हैं, उन चीज़ों की बिक्री के लिए कोई सेल डिपो, या जो कच्चा माल है, उसको खरीद कर देने के लिए कोई पर्चेज़ डिपो नहीं है। इसलिए इसकी भी बहुत आवश्यकता है। आज बहुत से बुनकरों का शोषण हो रहा है और वे अपने उद्योग से खास फायदा नहीं उठा रहे हैं। इस लिए मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रकार के केन्द्रों की हर जगह और विशेषतया कोटा में व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया जाना चाहिए।

इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए यातायात के साधनों की भी बहुत आवश्यकता है। जहां तक इस डिवीज़न का सम्बन्ध है, माननीय उपाध्यक्ष, यह कहना चाहता हूं कि यातायात की दृष्टि से यह डिवीज़न बहुत पिछड़ा हुआ है। आज यहां सड़कों की बुरी हालत है। इसलिए यह आवश्यक है कि यातायात के साधनों में सुधार किया जाय ताकि जो कच्चा माल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार होता है, वह माल आसानी से इन साधनों के द्वारा उन स्थानों पर लाया जा सके, जहां उद्योग-धन्धे हैं और इस प्रकार कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नये उद्योग-धन्धे खोलने पर बहुत जोर दिया जाता है लेकिन कोटा के अन्दर जो एक टेक्सटाइल मिल है, उसको चालू रखने के लिए भी सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरे उद्योगों की बात तो दूर रही। यह टेक्सटाइल मिल आज पांच-छः महीने से बन्द है और बन्द होने का कारण यह है कि इस टेक्सटाइल मिल के लिये १०,५०० स्पिन्डल और ५००–६०० लूम्स की मांग की गई थी लेकिन राज्य सरकार की ओर से इस मांग को पूरा नहीं करवाया गया इस लिए इस मिल के मालिक को इस मिल को बन्द करना पड़ा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास के लिये यह आवश्यक है कि राज्य सरकार हर प्रकार की सुविधायें उद्योगपतियों, मिल-मालिकों और जो व्यवसाय करते हैं, उनको पहुंचाये और उसके लिये प्रयास करे, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा; कि जहां तक औद्योगिक-नीति का सवाल है और जहां तक इस सम्बन्ध में सरकार के प्रशासनिक अधिकारों का प्रश्न है उन अधिकारों का और उस सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। इसका यह परिणाम होगा कि उन स्थानों के जहां कि इस प्रकार के उद्योग या व्यवसाय न पनप सकते हैं वहां पर अगर स्थानीय अधिकारियों को अधिकार मिलता है कर्जा देने का या दूसरी सहायता देने का तो वहां जल्दी काम शुरू हो सकता है क्योंकि सरकार के पास कागज़ आने में कई साल लग जाते हैं। इससे भी औद्योगिक विकास के अन्दर एक बहुत भारी रुकावट पैदा होती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके द्वारा कुछ सुझाव राज्य सरकार के सामने रखे।

(श्री रामेश्वर दयाल)

अन्त में मैं इस सम्बन्ध में बजट के बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं वैसे तो इस साल के बजट के अन्दर राज्य सरकार ने करीब ८० लाख का प्रावधान रखा था लेकिन अगले वर्ष के लिए उस प्रावधान को घटा कर करीब ७४ लाख कर दिया है...

श्री अनोपसिंह : On a point of information, Sir, कोई टाइम लिमिट स्पीच के ऊपर या टाइम लिमिटलेस स्पीच होगी।

श्री उपाध्यक्ष : This is in between both the extarmes, and the Hon. Member who is speaking will not be an exception to the general rule. We are liberal today. Yes, he will continue.

श्री रामेश्वरदयाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट के आंकड़ों की ओर आपके द्वारा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि अगले वर्ष के लिए यह प्रावधान घटा दिया गया है जब कि औद्योगिक विकास के लिए हमें बहुत ज्यादा तादाद में धन-राशि की आवश्यकता है। दूसरी बात इस बजट के देखने से यह भी मालूम पड़ती है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि कुटीर उद्योगों के लिए जो रकम रखी गई है, उसकी अपेक्षा दूसरे उद्योगों के लिये ज्यादा रकम का प्रावधान रखा गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुटीर उद्योग ही ऐसे उद्योग हैं जो हमारे प्रान्त से गरीबी, बेकारी और भुखमरी को दूर कर सकते हैं इसलिये इन उद्योगों के लिये अपेक्षाकृत ज्यादा से ज्यादा रकम रखनी चाहिये ।

इसी प्रकार से बजट को देखने से यह भी पता चलता है कि इस मद के अन्दर जितनी भी विशेष योजनायें, विभिन्न बातें हैं उन पर प्रावधान कम कर दिया है यह हमारे उद्योग के विकास के लिये बड़ी भारी रुकावट हो सकती है। इसलिए माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन तमाम उद्योगों के लिए ज्यादा से ज्यादा धन-राशि रखें। ज्यादा नहीं तो चालू वर्ष में जितनी रकम रखी गई थी, उतनी रकम आयन्दा साल के लिए भी रखी जानी चाहिये थी । माननीय उपाध्यक्ष, जो मैंने यह सुझाव दिया है, औद्योगिक विकास की धनराशि के सम्बन्ध में; मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी ताकि हमारे उद्योग-धंधे ज्यादा बढ़ सकें और हमारे प्रान्त का अधिक से अधिक विकास हो सके।

इसके अलावा मेरे दो और कटौती प्रस्ताव हैं, वे इस प्रस्ताव के एक तरह से कोरेलरीज़ हैं। दूसरा कटौती प्रस्ताव है कोटा के अन्दर डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ का विभाग रखना और तीसरा कटौती प्रस्ताव है, इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर कोटा के अन्दर खोला जाना चाहिए।

मैंने अभी निवेदन किया था सदन के समक्ष कि उद्योगों के विकास के लिये औद्योगिक ट्रेनिंग का कितना बड़ा महत्व है और कितनी आवश्यकता है क्योंकि आदमी कितना ही लिटरेरी नोलेज़ क्यों न रखता हो अगर उसको औद्योगिक मामलों में समुचित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है तो उसको कामयाबी नहीं हो सकती। कोटा डिवीज़न के अन्दर देखा जाय तो औद्योगिक विकास के

(श्री रामेश्वर दयाल)

भारी साधन हैं, कोटा डिवीज़न राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है, जहां पर बहुत बड़े-बड़े उद्योग-धंधे, चीनी का कारखाना, कपड़े की मिल, नायलन फैक्ट्री आदि खोले जाने वाले हैं, वहां अगर इस प्रकार के औद्योगिक प्रशिक्षण का प्रबन्ध नहीं किया जायगा तो हमें औद्योगिक विकास में उतनी सफलता नहीं मिल सकेगी जितनी हम आशा करते हैं।

इसी तरह डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ का कार्यालय भी कोटा में ही रखा जाना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पटेल कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो विभागीय अध्यक्षों के कार्यालय कोटा के लिये राज्य सरकार ने रखे थे, उन्हें शनैः शनैः दूसरी जगह स्थानान्तरित कर दिया, लेकिन अन्य डिवीज़नल हैड क्वार्टर्स पर से विभागीय अध्यक्षों के कार्यालय जो वहां रखे गये थे, उन्हें स्थानान्तरित नहीं किया। खैर जो कर दिया सो कर दिया पर अब राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ का कार्यालय कोटा में रखा जाय क्योंकि कोटा ही इसके लिए उपयुक्त और उचित स्थान है। वहां इस कार्यालय को रखने से ही औद्योगिक विकास को बल मिल सकता है। क्योंकि आज प्रश्न है स्कोप पेटर्न का, योजना तैयार करने का और आवश्यक सहायता और मार्ग दर्शन करने का। इस दृष्टि से कोटा प्रारम्भिक स्टेज के अन्दर है, इसको आगे बढ़ा कर उच्च स्तर पर लाने के लिए एक बहुत ऊंचे दर्जे के अफसर की जरूरत है, मैं समझता हूं कि यह विभागीय कार्यालय वहां रखा जाना चाहिये जो राजस्थान का सबसे बड़ा सम्भावित औद्योगिक क्षेत्र है। राजस्थान केपिटल इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में भी उल्लेख किया है कि अन्य कार्यालयों को दूसरे डिवीजनल हैड क्वार्टर्स पर रखने के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार विचार कर सकती है। मैं निवेदन करता हूं कि डायरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ का कार्यालय कोटा में रखा जाना चाहिये और इस विभाग को वहां रख कर कोटा के साथ जो अब तक अन्याय और अनुचित व्यवहार हुआ है उसकी पूर्ति होना चाहिये। इसी निवेदन के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(२. २५ म० प०)

मेजर फतहसिंह सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न विषयक

श्री शिवचरणदास : On a point of information, Sir, फतसिंहजी के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न रखा गया था उस पर निर्णय कब लिया जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष : वह लिया जा सकेगा बहुत शीघ्र ही।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : क्या चीज ?

श्री उपाध्यक्ष : There is one point of privilege over which I had deferred my decision, and the Hon. Member is very anxious about the decision.

श्री मुरलीधर व्यास।

(२. २६ म० प०)

मांग संख्या २१ उद्योग और प्रदाय
(पूर्व क्रम से)

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): उपाध्यक्ष महोदय, एक कटौती का प्रस्ताव मैंने जो राजस्थान की औद्योगिक नीति है; उस पर विचार करने के लिये रखा था। सवाल यह है कि हमने एक बुनियादी उसूल के रूप में हमारा दृष्टिकोण, एक समाजवादी समाज की स्थापना करना यह माना है और मैं समझता हूं कि जो भी हमारा एक उद्देश्य है और एक उसूल को मान लेते हैं तो उसी के अनुसार हमारे सारे भावी प्लान होते हैं। आज हमारी औद्योगिक नीति उस आदर्श पर होनी चाहिये, वह उस आदर्श पर है या नहीं इस पर थोड़ा विचार करना चाहिये। जो हमारा आदर्श है, उसके अनुसार राजस्थान की औद्योगिक नीति निहित नहीं है। जो औद्योगिक नीति देश की होनी चाहिये, खास तौर से राजस्थान की बात यहां है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमें एक निश्चित लक्ष्य बनाना चाहिये और कौन से उद्योग हैं जो प्राइवेट इन्टरप्राइज़ के आधार पर चलाने चाहिये, कौन से नहीं, इसकी एक निश्चित सुदृढ़ उपयोग-नीति बन जानी चाहिये। यह सारा हिन्दुस्तान व्यापी सवाल है पर राजस्थान में हमें किस प्रकार का रवैया अख्त्यार करना है, इस पर हमें विचार करना चाहिये।

राजस्थान में सीमेंट, कपड़ा और चीनी के उद्योग बड़े उद्योगों के अन्दर हैं और इनके सम्बन्ध में राजस्थान सरकार की नीति है, उससे ऐसा पता चलता है कि कुछ उद्योगों को अपने पास रखती है कुछ को दूसरों के जरिये चलवाती है और इसका असर क्या होता है और आगे जो हमारा मूल लक्ष्य है उस तक पहुंचने में क्या दिक्कत होगी, इसका ख्याल हमें रखना चाहिये। सीमेंट एक बड़ी इन्डस्ट्री है, उसको अगर व्यक्तिगत मुनाफे के लिये छोड़ देते हैं तो आगे नतीजा क्या होगा और हमारे अन्तिम लक्ष्य तक हम पहुंच सकेंगे कि नहीं, इस पर हमें गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिये। दूसरी इन्डस्ट्रीज़ के बारे में सरकार ने ५७ में घोषणा की थी कि चित्तौड़ और नीम का थाने में सीमेंट फैक्ट्री खोलने की घोषणा की थी, पर वहां अभी तक खुली नहीं है। ऐसी इन्डस्ट्रीज़ जो लोगों के प्रतिदिन की आवश्यक चीज़ों से सम्बन्ध रखती है, उन पर अगर हम नहीं सोचते हैं तो हम समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे।

ऐसी बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज़ को सरकार लोन देती है, पैसा देती है, और जहां इसका ऑपोज़ किया जाता है, उनको कहते हैं कि सरकार लोन देती है तो बड़े गर्व के साथ जवाब दिया जाता है कि हम लेंगे और लेकर देंगे। यह सदन में कहना कोई अच्छी बात नहीं है।

शुगर फैक्टरी, गंगानगर की फैक्टरी है; वह तो सरकार ने हाथ में ली पर गोपाल-सागर की दूसरी फैक्टरी है वह प्राइवेट फैक्टरी है, वह इस प्रकार चलती है।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आखिर में राजस्थान सरकार की इस सम्बन्ध में कोई नीति होनी चाहिए कि जितनी गन्ना की फैक्ट्रीज़ हैं उनको स्वयं चलावे और अगर स्वयं नहीं चलावे तो कोई दूसरा तरीका उनको चलाने का हो सकता है। मैं नहीं कहता कि उनका राष्ट्रीयकरण करें। मैं यही चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का कन्ट्रोल होना चाहिए और उसके थ्रू बड़ी इन्डस्ट्रीज़ चलें तो किसी प्रकार की किसी की मौनोपोली नहीं रहेगी और राष्ट्र का बड़ा विकास हो

(श्री मुरलीधर व्यास)

सकता है। मगर सरकार की इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं है। आज गोपाल-सागर में, व्यक्तिगत शुगर फैक्ट्री होने में गन्ना बहुत होता है उस समय मनमाने भाव से लिया जाता है। गन्ना जिस समय मंहगा होता है गन्ना नहीं लिया जाता और जब पड़ा रहता है तो कम दाम में ले लिया जाता है। मगर इस सम्बन्ध में सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। आप देखेंगे कि यही हाल कॉटन फैक्ट्रीज़ का हो रहा है। आज कपड़े की मिलें बन्द पड़ी हैं और आप कहीं पर नई खोलने की बात कर रहे हैं। जयपुर और उदयपुर में नई खोलने की बात रखी है। समझ में नहीं आता कि कहीं पर मिलें बन्द पड़ी हैं और कहीं पर नई चालू की जाने वाली हैं। आखिर सरकार की नीति इस सम्बन्ध में क्या है ? होना तो यह चाहिये कि पब्लिक में किसी का स्वजनिक आधिपत्य रोकने के लिये किसी प्रकार का नीति सरकार की स्पष्ट होनी चाहिए कि वह क्या करेगी। आज आप देखेंगे कि किशनगढ़ की मिल बन्द पड़ी है, कोटा की मील भी बन्द पड़ी है, तो मैं यही कहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार को स्पष्ट नीति बनानी चाहिये कि कपड़ों की मिलों के संबंध में सरकार खुद खोलने की नीति रखती है या कोई दूसरी। अगर सरकार का आधिपत्य हो तो मैं यह समझता हूं कि भविष्य में जो हमारा लक्ष्य है उसमें सफलता मिलेगी और अगर हम इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाएंगे तो मैं समझता हूं कि हम जिस समाजवाद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बढ़ सकेंगे।

आज जिप्सम के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। खानों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि खानें इस प्रकार की चीज़ हैं जो सरकार के जरिये से चलनी चाहियें और मैं समझता हूं कि सरकार को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी चाहियें और राजस्थान के लोग इसमें शामिल हों। सब मिल कर पूंजी लगावें और इसका विकास करें। मगर व्यक्तिगत मुनाफे की भावना, जब किसी व्यक्ति की मौनोपली होती है तो उत्पन्न होती है। यह व्यक्तिगत मुनाफे की बात और भावना, आगे जाकर बाधक हो सकती है। इसको सरकार को चाहिये कि किसी तरह से रोके। आज जिप्सम फैक्टरी राजस्थान की है। पहले राजा महाराजाओं द्वारा लीज एग्रीमेंट किया हुआ है। यह व्यक्तिगत एग्रीमेंट, जिस समय रियासतों का मर्जर हुआ, किया। जो उनको नहीं करना चाहिये था और आज सरकार उसको ले सकती है क्योंकि लीज एग्रीमेंट में साफ लिखा है कि हम उद्योग खोलेंगे, हम पेरिस का कारखाना खोलेंगे और लोगों को काम देंगे। यह इस लीड़ एग्रीमेंट में लिखा है। मगर आज उनको १० वर्ष बीत चुके हैं और १० साल और रहे हैं। जितना फायदा उठाना चाहिये था, उन्होंने इससे उठाया है। उन्होंने पेरिस का कारखाना आदि खोलने का आश्वासन दिया, मगर मैं कहूंगा कि वे खोलेंगे नहीं, वे व्यक्तिगत मुनाफा लेंगे। किस प्रकार से व्यक्तिगत मुनाफा लेंगे, यह मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार की इन्डस्ट्री को सरकार को एक व्यक्ति के पास नहीं रखनी चाहिये। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार वे व्यक्तिगत मुनाफा कमाते हैं। एक मजदूर को एक टन के एक रुपया और ६ आने देते हैं और भारत सरकार उसी जिप्सम के एक टन के ७ रु. १२ आ. के हिसाब से देती है। भारत

(श्री मुरलीधर व्यास)

सरकार से मालिक ७ रु. १२ आना प्रति टन का चार्ज करता है और वह अपने मजदूर को देता है एक रुपया ६ आना। अगर वह आधा भी मजदूर को दे तो हम समझ सकते हैं कि कुछ मजदूर को दे रहा है लेकिन देखिये मलिक क्या मुनाफा उठाता है। यदि यही बात है तो हम समाजवाद की बात नहीं कर सकते और साफ तौर से हम प्राइवेट इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसी इन्डस्ट्रीज को सरकार को फौरन अपने कब्जे में लेना चाहिये। जब सरकार के उसमें ४५ प्रतिशत के शेयर हैं तो कुछ शेयर और बढ़ाकर उस पर कब्जा कर लेना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि एक ही इन्डस्ट्री को सरकार यदि कब्जे में ले ले तो राजस्थान को कम से कम १० लाख रुपये सालाना का मुनाफा हो सकता है। मगर सरकार इस पर विचार नहीं करती। आप यह कह सकते हैं कि कम्पनी का बेलेन्स शीट है उसमें यह बताया गया है कि गत वर्ष ५ लाख का मुनाफा था वे लोग १० लाख का क्यों कहेंगे ! सरकार इस पर विचार करे तो गवर्नमेंट को काफी मुनाफा हो सकता है।

इसी प्रकार नमक के मामले में देखिये। हमारे फलौदी में, चाहिए तो यह था कि किसी प्रकार की किसी की मौनोपॉली नहीं हो और ठीक तरह से काम हो। नमक के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की नीति-रीति है और इसको केन्द्रीय सरकार देखती है। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार किस तरह से उसमें हस्तक्षेप करती है। आज राजस्थान में, फलौदी में हमारे यहां नमक का रन जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने सन् १९५२ में यह कह कर कि अभीतक जो प्लॉट दिए जा चुके हैं उसके अलावा किसी को प्लॉट नहीं दिये जावें। यह दिसम्बर १९५२ की बात उसके आगे किसी को प्लॉट मत दीजिए। उस समय तक १५० प्लॉट्स दिये जा चुके थे। उसके बाद में वह काम बन्द हो गया। परन्तु आज क्या होता है, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार और कुछ लोग मिल कर गड़बड़ी करते हैं। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत मुनाफे की गुंजायश है। इसके बन्द करने के बाद भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को धोखा देकर राजस्थान सरकार प्लॉट लोगों को दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां के तहसीलदार ने १५० प्लॉट दिए जो आज भी मौजूद हैं। लेकिन आज सरकार कैसे प्लॉट देती है यह मैं बताना चाहता हूं, आज १९५८ में दिये जा रहे हैं, उसमें १९५२ के दस्तखत करते हैं, पुराना रकोर्ड बता कर कि यह १९५२ में दे दिये गये थे। परन्तु मैं इसके लिये आपको फोटो की कॉपी सदन के सामने रखना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से एक तहसीलदार राजस्थान की कांग्रेस में एक मुखिया से मिलकर ऐसा करता है, उसमें यहां के बड़े बड़े कांग्रेसी और एम० एल० ए० शामिल हैं। वे किस प्रकार सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार को धोका दे रहे हैं। वे प्लॉट सन् १९५२ में दे दिये जा चुके थे, मगर आज १९५२ की तारीख डालकर आज भी उनको दिये जा रहे हैं। मोहर लगा दी जाती है और प्लॉट्स दिये जा रहे हैं। एक एक प्लॉट के पीछे पांच पांच-हजार रुपये लेकर, इसके सम्बन्ध में तो आगे कहूँगा। मगर यहां पर यह कहना चाहता हूं कि ७५ प्लॉट्स सन् १९५८ में दिये गये हैं। पांच-पांच हजार रुपये किसने लिये और कैसे लिये यह तो मैं आगे बताऊंगा यह बात आगे की है। इस प्रकार ७५ प्लॉट्स झूठी मोहर और झूठे दस्तख्त बना

(श्री मुरलीधर व्यास) -

कर दिये जाते है। उसको प्रमाणित करने के के लिए मेरे पास फोटो कॉपीज़ हैं। जिस तहसीलदार ने हस्ताक्षर किये और उसके साथ ही साथ सन् ५८ में उस तहसीलदार के हस्ताक्षर और उसमें किसी प्रकार की मोहर लगा दी है, उसमें और इसमें कितना अन्तर है, उसमें किस प्रकार की मोहर लगी और इसमें किस प्रकार की मोहर है, उसको मैं बताना चाहता हूं। कोई भी इसकी जांच करे तो उसको बाद में पता लग जावेगा कि क्या भेद है। क्या बात उसमें लिखी है और इसमें क्या बात लिखी है। इसके साथ-साथ मैं इस प्रकार की एक कॉपी पेश करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति ने सन् १९५४ में ५५ नम्बर का प्लॉट मांगा था। उसने अर्जी दी तो तहसीलदार ने कहा कि देखो कि यह प्लॉट दिया गया है या नहीं। उस पर रिपोर्ट हुई कि यह किसी को नहीं दिया गया है, किसी को दिया जा सकता है। १९५४ में रिपोर्ट है कि दिया जा सकता है। दूसरी ओर उसी ५५ नम्बर के प्लॉट पर दस्तखत करते हैं कि १९५२ में दे दिया गया। इस बात को देखना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। उसको गहराई के साथ देखना चाहिए। मैंने सुना है कि जो व्यक्ति हैं उनका नाम आपके सामने रखना चाहता हूं ये जो तहसीलदार हैं, उनका नाम है श्री गोविन्दनारायण माथुर। ये कोई माथुर हैं और सन् ५८ में जाकर इस प्रकार के प्लॉट पर हस्ताक्षर करते हैं। किसके कहने से ये प्लॉट दिये गये हैं और किसको दिये गये हैं, यह आपको बताऊंगा। श्री माथुर साहब ने सन् ५८ में हस्ताक्षर किये हैं और जो बात इसमें लिखी है, वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इसमें यह लिखा है :

"अज तहसील फलौदी। बनाम : रामचन्द्र S/o अमृतलाल कलंतरी साकीन फलौदी। तथा आपकी दरख्वास्त बाबत लेने प्लॉट गोल ऋण में वास्ते निकालने नमक पेश होने पर आपको ऋण गोल में खसरा नम्बर ५५ का प्लॉट सालाना कानूनन लगान पर दिया जाता है।"

इस जमीन में सिर्फ नमक निलाला जा सकेगा व दीगर काम नहीं लिया जा सकेगा वह इस प्लॉट को किसी दीगर शख्स को मुस्तकिल नहीं किया जा सकेगा। फक्त। ता० ३१-१२-५२। इस दरख्वास्त के नीचे तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं और तहसीलदार के हस्ताक्षर के नीचे तहसील की मोहर है और यह तारीख इसमें लगाई गई है। मैं यह बताना चाहता हूं कि तहसीलदार ने प्लॉट का अलॉटमेन्ट जो किया है, वह सन् ५८ में किया है और जो तारीख लगाई है, वह ५२ की लगाई है। इसलिये लगाई है ५२ की, क्योंकि केन्द्रीय सरकार ने सन् ५२ के बाद में व्यक्तिगत प्लॉट देने की रोक की थी फिर भी व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने दूसरों से मिलकर प्लॉट्स ये अलॉट किये हैं। इसके साथ ही दूसरा फोटो स्टेट कॉपी है उसमें लिखा है।

श्री उपाध्यक्ष : What about it's Original.

श्री मुरलीधर व्यास : फोटो कॉपी है और इसकी ओरीजिनल को देखा जा सकता है इस असली से।

श्री उपाध्यक्ष : कहां से देखा जा सकता है? अगर आपके पास ओरीजिनल हो तो सुविधा हो सकती है। किसी फाइल में है और फोटोग्राफ लिया है तो दूसरी बात है।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं यह कह सकता हूं कि यह बिल्कुल सही है और इसको देखा जा सकता है। इसकी फोटो कॉपी मिल सकी है जो प्रस्तुत है।

श्री उपाध्यक्ष : You admit its original.

श्री मुरलीधर व्यास : ओरिज़िनल उसकी यह फोटो कॉपी है।

श्री उपाध्यक्ष : ओरीजनल दरअसल फाइल पर है क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : है, इसीलिए कह रहा हूं।

इसी प्रकार से यह जो दूसरी फोटो कॉपी है उसी तहसीलदार ने ५२ की तारीख लगाकर ५८ में दस्तखत किये हैं। मैटर में थोड़ा सा भेद किया गया है और यदि गहराई से इसको देखा जाय, पढ़ा जाय तो वह भेद मालूम हो सकता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ५२ की तारीख सन् ५८ की ३१ तारीख को एक स्थान पर एक आदमी मोहर लगाता है उसमें किसी प्रकार भेद नहीं हो सकता है परन्तु उस मोहर में भेद है। एक ही क्लर्क जो लिखता है उसके हस्ताक्षरों में भेद है, दूसरी तरफ स्टॉम्प लगाया जाता है उसमें भेद है। इस बारीकी के साथ इसको इस आधार पर देखा जा सकता है। सन् ५४ में जो दूसरा तहसीलदार है, वह उसी ५५ नम्बर के प्लॉट को आदमी भेज कर दिखाता है, वह फिर हस्ताक्षर करता है और वह स्वयम् कहता है कि प्लाट खाली है। मैं ५५ नम्बर के प्लॉट को लेकर आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। इस प्रकार से आदमियों को प्लॉट दिये गये हैं; अभी अभी दिये गये हैं और उनमें से मैं आपको कुछ आदमियों के नाम पढ कर सुनाना चाहूंगा। वे हैं :

	प्लॉट नं०
१. रामचन्द्र वल्द अमृतलाल कलंत्री	५५
२. चेला मानवदास रामस्नेही साधु	३६
३. मोहनलालजी वल्द परसुरामजी दर्जी	६८।१८
४. हमराजजी वल्द हरनाथजी रंगा	६८।१८
५. मोतीलालजी वल्द गणेशजी दर्जी	१११।३
६. श्री केशरिया वल्द मुल्तानीजी सुथार	६२।३
७. श्रीमती लाड़ाबाई जौजे कंवरलाल बरड़िया	१०६
८. श्रीमती सिरेकुंवर बरड़िया	
९. श्रीमती लीलावती जौजे रोशनलाल एडवोकेट, राजस्थान हाईकोर्ट	
१०. सुपुत्री श्री लूणकरणजी गोलेछा	
११. श्री लूणकरणजी गोलेछा।	
१२. श्रीमती राजन	
१३. श्रीमती तुली	
१४. श्री बाबूलाल भैया	
१५. फर्म रामसुख जयनारायण तोतिया।	

इस प्रकार से इतने नाम मिल चुके हैं, जो मैंने पता लगाया है। मैं यह इसलिए बताना चाहता हूं कि ये प्लॉट एक नहीं ७०-७५ आदमियों को दिये गये हैं। ये सब सदन की मेज पर रखना चाहता हूं ताकि इसकी सरकार जांच करे कि इस प्रकार की बातें हुई हैं या नहीं ! मुख्य मन्त्रीजी के पास भी इसकी सूचना भेजी जा चुकी है। उन्होंने क्या कार्यवाही की है यह आगे देखने की चीज है। इन बातों को तो मैंने इसलिए

(श्री मुरलीधर व्यास)

रखा कि आज किस प्रकार की नीति चल रही है, इसमें कौन-कौन लोग हैं और क्या-क्या हो रहा है। एक बात का मुझे पता लगा है, जो निश्चित सा तो नहीं है, एक कांग्रेस के प्रधान हैं जिनका नाम है श्री मथुरादास माथुर, उनका इसमें हाथ है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा पता चला, यह कहकर एक संसद के माननीय सदस्य को इस सदन में लाना उचित नहीं मालूम पड़ता। व्यक्तिशः किसी का नाम नहीं लें और फिर पूरे सुबूत न हों, उसका जिक्र न करें तो अच्छा है।

श्री मुरलीधर व्यास : नाम मैं नहीं लेना चाहता था। सुबूत हैं और वे इतने जरूर हैं कि यह फोटो स्टेट कॉपी सही है।

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member, will not refer the names of others in his speech ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, सुबूत के बारे में कि यदि इसमें कोई गलती हो कि अधिकारियों ने सन् ५२ के हस्ताक्षर सन् ५८ में किए न हों तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। इस प्रकार की सारी चीजें आज की जा रही हैं। एक साधारण तहसीलदार कैसे करता है, किसी के दबाव में करता है। लेकिन ऐसा हो रहा है।

जिप्सम और दूसरी खानों के बारे में बातें कहीं। मैं सरकार की इसओर की नीति के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी नीति स्पष्ट रूप से रखे और यह रखे कि बड़े कल कारखानों का राष्ट्रीयकरण हो, राष्ट्रीयकरण जरूरी है। वह किस प्रकार से हो ! एक सार्वजनिक कॉर्पोरेशन हो और पब्लिक की देखभाल हो। इस नीति के कारण छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज़ हैं, उनका बड़ी इण्डस्ट्रीज़ के साथ मेल हो सकेगा। नहीं तो क्या होगा ? आज हम छोटी छोटी इण्डस्ट्रीज़ के विकास की बातें तो करते हैं। तेल घानी का सवाल आया, तो सारे राजस्थान में तेल-उद्योग जो प्रतिष्ठित हैं, उनसे न पूछ कर तेलियों से पूछिये तो आपको सही स्थिति का ज्ञान हो सकता है। बीकानेर के कलेक्टर ने खुले आम तेलियों से बुला कर पूछा कि आखिर इसके विकास में क्या दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि मशीन का तेल आता है। आप पहले इसको बन्द कर दीजिए फिर देखिये कि मिलता है या नहीं। इसलिए छोटे उद्योगों और बड़े उद्योगोंके बीच में सरकार को कोई रास्ता बनाना पड़ेगा जिससे नियन्त्रण हो और छोटे उद्योग पनप सकें। अगर यह रास्ता नहीं रहा तो चाहे जितना धन लगा दीजिये वे किसी भी प्रकार कम्पीटीशन में टिक नहीं सकते। नतीजा क्या होगा कि आज का युग जो विज्ञान का युग है, कम्पीटीशन का युग है, ऐसी नीति जहां रहती है वह समाजवाद नहीं हो सकता अगर बराबर स्पर्धा होती रहेगी तो गरीब लोग टिक नहीं सकेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमें छोटे उद्योगों को पनपाना है तो उसके लिये निश्चित नीति बनानी होगी। इस प्रकार के समाजवाद में विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। जिस प्रकार थियेटर्स चलते हैं और बिजली और पानी का सवाल है, ये ऐसे उद्योग हैं जिनके लिये मैं समझता हूं नगरपालिकाओं को सौंप देने चाहिये। इससे एक तरफ तो सत्ता का विकेन्द्रीकरण होगा, उसके साथ-साथ उनको यह महसूस होगा कि जो टैक्स हम दे रहे हैं वह हमारे ही काम आने वाला है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

थियेटर्स का चलाना भी एक उद्योग है । उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर स्टेट में गंगा थियेटर था । उस थियेटर के जरिये वहां स्टेट को इतनी आमदनी होती थी कि उसकी आमदनी से वहां का सब से बड़ा अस्पताल चलता था और आज उसकी स्थिति क्या है, आज इस बारे में राजस्थान सरकार की कोई नीति नहीं है । होना यह चाहिये कि इस प्रकार के थियेटर्स या तो सरकार को अपने हाथ में लेने चाहिये और म्युनिसिपैलिटीज़ को सौंप देना चाहिये और उसके साथ-साथ किसी भी थियेटर के लिये किसी की मौनॉपोली नहीं होनी चाहिये । सरकार अपनी देखरेख में म्युनिसिपैलिटी के जरिये, इन सिनेमाज़ को चलावे और इससे होगा क्या कि किसी व्यक्तिगत मुनाफे की वह चीज नहीं होगी । आज बीकानेर के गंगा थियेटर के बारे में यह सुनने में आ रहा है कि वह ३४ हजार के अन्दर नीलाम कर दिया गया है । जो सिनेमा तीन साल से बन्द पड़ा था, अगर इसके बारे में कोई ठीक नीति अख्त्यार कर ली जाती तो आज जो नीलाम कर के दिया गया अगर उसे पहले ही नीलाम कर दिया जाता तो आज उसका एक लाख रुपया हो जाता । यह थियेटर दो तीन साल तक बन्द रहा । मैंने सुना चालीस हजार रुपये में यह थियेटर नीलाम किया गया । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूं, नीलामी की नीति जो अब अख्त्यार की गई मैं इस नीति को ठीक नहीं समझता । अगर यह सिनेमाघर नगरपालिका को चलाने के लिये दिया जाता तो इससे नगरपालिका को लाभ मिलता और इसी प्रकार मेरा तो यह निवेदन है कि दूसरे थियेटर को भी सरकार को अपने नियन्त्रण में चलाने चाहियें और म्युनिसिपल बोर्ड को दे देने चाहियें और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कम्पीटीशन न हो और सरकार को कुछ लाभ हो सके । बिजली पानी और थियेटर्स के संबन्ध में मेरा यह मत है कि ये तीनों चीजें नगरपालिका के अधिकार में देनी चाहिये ताकि ये उद्योग पनपें और सरकार को भी, म्युनिसिपैलिटी को भी आर्थिक लाभ मिल सके ।

आज राजस्थान में बिजली सप्लाई का बोर्ड बना है । लेकिन उस बोर्ड की क्या स्थिति है ? वहां के मजदूर आज हड़ताल की बातें करते हैं । वे यह कहते हैं कि हमारी सर्विसेज़ सेफ नहीं, हमारी सर्विसेज़ की कोई गारन्टी नहीं । इन सवालों पर सरकार की नीति होनी चाहिये । अगर राजस्थान के इन मजदूरों ने कल यदि हड़ताल करदी तो हमारे राजस्थान की क्या हालत होगी यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है । बीकानेर तो ऐसा स्थान है जहां सारा काम बिजली से होता है । कल यदि हड़ताल की स्थिति हो जाय तो वहां क्या व्यवस्था होगी हम अन्दाज नहीं लगा सकते । मैं इस संबन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं, बिजली, पानी, थियेटर्स ये तीनों म्युनिसिपैलिटी के जरिये चलाने चाहियें । जो सरकार की नीति हो इस बारे में बहुत स्पष्ट हो । इसके साथ-साथ मुख्य उद्देश्य समाजवाद का है तो हमें इस उद्देश्य को सामने रख कर विचार करना चाहिये ।

उद्योगों के बारे में मेरा यह निवेदन है कि यह देश के विकास का सवाल है और लोगों को काम देने का सवाल है । अगर उद्योग बन्द होते गये तो यह बड़ी विचित्र बात है । जैसा कि मैंने पहले बताया उद्योगों से ही देश का विकास हो सकता है । जहां प्रोडक्शन बढ़ाने की समस्या है इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा, यह सब की मान्यता है । वैसी हालत में अगर उद्योग-धंधे बन्द पड़ते चले गये और सरकार उनका

(श्री मुरलीधर व्यास)

ख्याल न रक्खे तो यह बड़े दुःख की बात है। इससे तो हम यह मानते हैं कि राजस्थान की कोई औद्योगिक नीति नहीं है, जहां बेकारी की समस्या है। हो सकता है हमारे मुख्य मंत्री जवाब देते समय यह कह सकते हैं कि पढ़े-लिखे बेकार नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अकेले बीकानेर शहर में वे अगर चाहें तो मैं दो हज़ार पढ़े लिखे बेकार दे सकता हूं। आज राजस्थान में बेकारी की समस्या बहुत फैली हुई है। आज देश के अन्दर भी इस प्रकार की समस्या है जब कि हमारी ऐसी आर्थिक दुर्व्यवस्था है वैसी हालत में अगर कल-कारखाने बन्द हो जाते हैं। ग्लॉस फैक्ट्रीज़ बन्द हो जाती है तो यह हमारे लिये बड़े दुखः की बात है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि राजस्थान की कोई औद्योगिक नीति नहीं है। आज भी पचासों कारखाने राजस्थान में बन्द पड़े हैं। बीकानेर की ग्लॉस फैक्टरी के लिये एक माननीय सदस्य ने कहा कि किसी के पर्सनल झगड़े के कारण वहां की ग्लॉस फेक्टरी बन्द पड़ी है। जिस व्यक्ति को ग्लॉस फेक्टरी लगाने के लिये जमीन दी थी और वह भी जमीन मुफ्त में दी और भी सुविधा दी गई और उसी फैक्ट्री को कुछ लोग अपने आपसी झगड़े के कारण चालू न करें और उसके लिये सरकार यह जवाब दे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यह कोई जवाब नहीं है। जहां आज हमें बेकारी की समस्या से लड़ना पड़ रहा है, वैसी हालत में जिस व्यक्ति को सरकार ने ग्लॉस फैक्ट्री चलाने के लिये ज़मीन दी और अन्य सुविधायें दीं वैसी हालत में सरकार को चाहिये कि अपने शेयर्स उसमें डालकर उनका झगड़ा निपटा दे और मेरा ऐसा अनुमान है कि झगड़ा तभी निपटेगा जब कि उसको कोई खरीद ले। किसी भी आजाद मुल्क में जहां बेकारी की समस्या हो, प्रोडक्शन बन्द पड़ा हो वहां की सरकार यह जवाब दे कि हम खोल नहीं सकते, यह कोई अच्छा उत्तर नहीं है।

किशनगढ़ की मिल भी काफी अर्से से बन्द पड़ी है, इसी प्रकार अन्य कई कल कारखाने बन्द पड़े हैं। ऐसी हालत में सरकार को सोचना चाहिये कि जिस सीमेन्ट फैक्टरी को सरकार ६० लाख रुपया लोन दे सकती है हो सकता है उस फैक्टरी में तीन चार हज़ार मजदूर काम करते हों। लेकिन बीकानेर में जो ग्लॉस फैक्टरी बन्द पड़ी है अगर उसमें भी पांच-सात लाख रुपया सरकार लगा देती है तो एक हजार आदमियों को काम मिल सकता है। इसी प्रकार दूसरी जगह पर भी रुपया लगाने पर काम मिल सकता है। सरकार ने जहां सीमेन्ट फेक्टरी के लिये ६० लाख रुपया दिया और जिस फैक्टरी को देने का केन्द्रीय सरकार ने विरोध किया, केन्द्र की सरकार को धोखा देकर दिया गया और मुझे यहां तक मालूम पड़ा है कि उद्योग-सचिव ने भी इस प्रकार के लोन को देने के लिये कहा था कि केन्द्रीय सरकार के कानून के खिलाफ यह लोन दिया जा रहा है। उसके बाद भी लोन पर हस्ताक्षर कर दिये जाते हैं। फिर भी हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने इस प्रकार एक सीमेन्ट फेक्टरी को ६० लाख रुपये का लोन दे दिया। इस संबन्ध में श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी प्रकाश डाला था। उस समय उन्होंने कहा था कि दो लाख रुपया कांग्रेस के चुनाव फंड में लेकर यह ६० लाख रुपया दिया गया है.......

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हू

(श्री मुरलीधर व्यास)

कि जिस माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उनकी बातों का जवाब दिया उस समय उन्होंने यहां स्वीकार किया था कि दो लाख रुपया लिया गया। अगर आप इस तरह से दो लाख रुपया चुनाव के फंड में लेकर ६० लाख रुपया देते हैं, यह उस समय लिया है जिस समय आपने उनको लोन के रूप में साठ लाख रुपया दिया तो यह राजस्थान के लिये और खास कर जनतंत्र के लिये कलंक की बात होगी। यह कलंक ऐसा है जो मिट नहीं सकता। इस चीज को कोई भी अच्छी चीज नहीं कहेगा, सभी इसको बुरी चीज कहेंगे। आप उनको साठ लाख रुपया न देकर उसमें से कुछ रुपया बीकानेर की वूलन फैक्टरी और छोटे-मोटे उद्योग धंधों में लगा देते तो काफी लोगों को काम मिलता। समाजवादी समाज की स्थापना का यह लक्ष्य होना चाहिये कि बड़े उद्योगों की अपेक्षा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। इस संबन्ध में हमारी भी निश्चित नीति होनी चाहिये। कोई भी समाजवादी देश जिसकी औद्योगिक नीति हो, उसमें एक स्टेज निश्चित होती है उद्योगों को प्रोत्साहन देने की। जिसमें एक लाख से अधिक रुपया नहीं लगता उनको टेक्निकल सहायता दी जा सकती है और उसके लिये पूंजी का भी प्रबन्ध किया जाता है।

इसके अलावा उसमें यह बात भी होती है कि जो छोटे-मोटे उद्योग होते हैं उनको कोऑपरेटिव बेसिस पर चलाने की नीति होती है। लेकिन हमारे राजस्थान की कोई औद्योगिक नीति नहीं, इसमें हमारी सरकार फेल्योर रही है। जो समाजवाद की बातें करते हैं उनकी कोई औद्योगिक नीति नहीं फिर हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे यहां समाजवाद कायम हो सकेगा? मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस सरकार ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य अपने सामने रखा है उसको उसी आधार पर इस औद्योगिक नीति को भी चलाना चाहिये। इस नीति पर चलने में हमारी सरकार असफल होती चली जा रही है। यही मेरा निवेदन है।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस डिमाण्ड पर मेरे कट मोशन्स हैं, नम्बर ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, और ३२० और ३२१।

मैं सबसे पहले ३११ नम्बर का जो कट मोशन है उस पर कुछ कहूंगा वह इस प्रकार है :

"To discuss the Government's present policy of organization of exhibition and sale of Rural Handicrafts."

उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीबिशन पर हम एक लाख रुपया खर्च करते जा रहे हैं और अगले साल के लिए भी इसमें एक लाख रुपये का प्रावधान है। मैंने यह कट मोशन इसलिए पेश किया है कि हैन्डीक्राफ्ट्स में सेल्स कमीशन का जो तरीका सरकार ने अख्त्यार किया है वह ठीक नहीं है।

(३-म० प०)

हैंडीक्राफ्ट्स के सेल्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि उसके सेल के लिए एक विक्रय केन्द्र खोलते हैं, सेल्स सेन्टर या गवर्नमेन्ट की तरफ से जो दुकान रखी गई है, आप कभी उस

(श्री पी. के. चौधरी)

दुकान का इन्सपैक्शन करें तो आप देखेंगे कि हर एक दुकान अनइकॉनोमिक है। वहां जो सेल होता है वह श्रोवर हैड चार्जेज़ होता है। यह दुकानें सब गवर्नमेन्ट स्केल पर चलती हैं। वहां पर बाकायदा मैनेजर होते हैं, सेल्स मैन होते हैं और चपरासी भी होते हैं। तो इस ढंग से हैंडीक्राफ्ट्स के सेल्स प्रमोशन के लिए जो दुकानों का इन्तजाम है मैं समझता हूं कि वह कोई इमीजिनेटिव नहीं है। मेरा तो सुझाव यह है कि इस किस्म की दुकानें नहीं चल सकेंगी। जो एग्ज़िस्टिंग दुकानदार हैं जिस तरह से उनका बिजनेस प्रिन्सिपल्स पर, कमर्शियल बिज़नेस पर कोई भी इन्स्टीट्युशन जो सेल्स प्रमोशन के लिए रखा जाय, वह सेल्स पेइंग हो। जिस तरह से इन दुकानों का इन्तजाम है उस तरह से वह नहीं चल सकेंगी। सरकार को चाहिए कि दुकानों को एजेन्सी दे और अपने सामान को पोपुलराइज़ करने के लिए दुकानें नहीं खोलकर शो केसेज़ रखने चाहियें। जहां-जहां बाजार हैं चाहे सब जगह पर शो केसेज़ पर रख सकते हैं। मैंने बम्बई में देखा है कि बड़ी-बड़ी कन्सर्न अपने माल को पोपुलराइज़ करने के लिए शो केसेज़ रखती हैं। एक-एक कांच का शो केसेज़ बना देते हैं और उसके अन्दर अपनी चीजें रख देते हैं। तो मैं तो आप इतना कहूंगा कि जो एग्ज़िस्टिंग दुकानदार हैं, उनको कहना चाहिए कि हम तुमको कमीशन देंगे और तुम हमारी चीज को सेल करो। अगर ऐसा करेंगे तो हैंडीक्राफ्ट्स का जो प्रचार है, वह ज्यादा हो जायेगा और जगह जगह पर उसका प्रचार होगा। दूसरी चीज़ दुकानदार के साथ यह भी होगी कि अगर यह बेचने को दुकानदार को दिया जायेगा तो दुकानदार को यह इन्सेटिव रहता है कि एक तो उसको कमीशन मिलेगा और दूसरे उसके ऊपर नफा और मिलेगा। तो इस तरह से उसको डबल फायदा होगा। इस तरह से माल को पूरी तरह से सेल करने की कोशिश करता है। लेकिन आप जो दुकान रखते हैं वहां तो सब गवर्नमेन्ट सर्वेंट्स हैं, उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनकी कितनी बिक्री हो। वह जो मैनेजर है और जो सेल्स गर्ल हैं वह दोनों गपशप लगाते हैं और चाय पीते हैं और छोटा सा काम कराना हो तो चपरासी भी मौजूद है। तो इस तरह से जो दुकान चलाई जाती है, वह कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। मेरे ख्याल से आप एक एक दुकान पर दो-तीन हजार रुपया खर्चा करते होंगे। मुझे पता नहीं शायद इससे ज्यादा खर्च करते होंगे। इससे तो अच्छा मैं आपको बताऊं कि छोटे-छोटे शो केस बना करके आप सेल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि उसमें एक तो कोस्ट प्राइज़ और सेल प्राइज़ में प्राफिट है, वह तो लेंगे ही और दूसरा दुकानों पर शो केश रखकर उस सामान को बेचने पर कमीशन और मिलेगा क्योंकि उसका शो केस रखा है। आखिर सेल्समैनशिप भी तो एक आर्ट होता है और आपने जो मैनेजर रखा हुआ है या सेल करने वाला रखा होता है उनको सेल्स की कोई ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि उनको इन्सेन्टिव नहीं है। महीने पर उनको तनख्वाह मिल जाती है और वह खुश हैं। वह टाइम पर आते हैं और चले जाते हैं इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो हैंडीक्राफ्ट्स सेल्स का तरीका है, वह गलत है और जो मैं सुझाव दे रहा हूं उसके ऊपर आप फोलो करें तो गवर्नमेन्ट को ज्यादा फायदा मिलेगा।

दूसरी बात यह है कि एग्ज़ीबिशन का जो तरीका है, उसमें एग्ज़ीबिशन डिपार्ट- में करप्शन चलता है। इस सिलसिले

(श्री पी. के. चौधरी)

में एक दो सवाल भी मैंने सदन में रखे हैं। आप एग्ज़ीबिशन के लिये १० हजार के करीब का बजट रखते हैं और फिर ४० हजार का खर्चा हो जाता है। कई दफा तो ऐसा एग्ज़ीबिशन का इन्तज़ाम किया है कि उसके लिये कोई बजट ही सेंक्शन नहीं किया और उसके लिये यों ही १० हजार रुपया दे देते हैं। और ८४ हज़ार रुपया खर्च कर देते हैं। एग्ज़ीबिशन के लिये जो सामान खरीदा जाता है, उसके स्टॉक का न तो स्टॉक वैरीफिकेशन होता है और उसका नतीजा यह होता है कि दूसरी जगह पर भी वही सामान ले लिया जाता है और उसके ऊपर चार्ज किया जाता है। इस तरह से गवर्नमेन्ट - मनी का मिसयूज़ किया जाता है और यह सारी गड़बड़ एग्ज़ीबिशन का इन्तज़ाम जो करते हैं; खा जाते हैं। सेल्स के लिए जो दुकान और एग्ज़ीबिशन रखते हैं, वह दोनों ही खत्म कर देना चाहिए और एग्ज़ीबिशन के बजाय शो केस जैसे दुकानों पर रखे रहते हैं वैसे ही शो केसेज़ लगा देने चाहिए जैसा कि दूसरे कॉमर्शियल फंक्शन्स करते हैं। जो एडवान्स कॉमर्शियल कन्सन्स या प्रोस्परिंग कन्सर्न्स हैं, वो दुकानों पर अपना सामान रखते हैं। वह शो केस में उसके रखने का इन्तजाम करते हैं। आप एग्ज़ीबिशन में पैसे मत खर्च करिये, आप मैनेजर और सेल्स गर्ल और चपरासियों पर पैसे मत खराब करिये।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के बारे में। यह जो प्रस्ताव ३१२ नम्बर का है "to make adequate efforts for development of cottage industries" है, ३१३ नंबर का "the utility of the common facility centre at Kanota" ३१४ नंबर का "to open an Indusrial Estate at Sambhar", ३१५ नम्बर का "sale of Kapasan Ginning Factory" ३३० नम्बर का "to discuss the abolition of Toy making industry scheme" और ३३१ नंबर का "failure of ihe Government to develop small and other industries in Community Development Blocks." है। मैं इन प्रस्तावों को एक साथ लेता हूं। सबसे पहले कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के बारे में मैं कहूँगा कि पिछली साल-इसमें २२ लाख रुपयों का बजट में प्रोवीज़न था और इस साल सिर्फ १७ लाख का ही प्रोवीजन किया है। इस तरह से जो सी. डी. ब्लॉक्स है उनमें डेवलपमेंट के लिए, इन्डस्ट्रीज़ (स्माल एण्ड अदर इन्डस्ट्रीज़) के डेवलपमेंट के लिए पिछली साल करेन्ट इयर ५७-५८ में हमने ४ लाख रुपया रखा था। लेकिन हमने रिवाइज्ड एस्टीमेट में ४ लाख में से केवल ७२ हज़ार रुपए ही खर्च किये हैं। इस बात का दुःख है कि इन कोटेज इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए हमारी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं हो रहे हैं इस साल जब कि सी. डी. ब्लॉक्स का नम्बर भी बढ़ रहा है।

लेकिन फिर भी इस साल हमने ५८-५९ में प्रावधान रखा है २ लाख, ४ हजार रुपये का। या यह इस बात का द्योतक है कि इन्डस्ट्रीज़ डेवलपमेंट के बारे में कॉटेज इन्ट्रीज़ के बारे में सरकार लापरवाह है और इसको जितनी इम्पोर्टेन्स देनी चाहिए वह नहीं दे रहे हैं। क्यों कि मैं समझता हूं कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रोब्लम है या लैंड के ऊपर प्रेशर है, इसे दूर करना है तो एक ही तरीका है कि गांवो में एग्रीकल्चर के साथ साथ इन्डस्ट्रीज़ का भी डेवलपमेंट हो। तो यह बजट में प्रोवीज़न है वह इस बात को बताता है कि इन कॉटेज़ इन्डस्ट्रीज़ को जितनी

(श्री पी. के. चौधरी)

इम्पोर्टेन्स देनी चाहिए और जो एम्फेसिस डेवलपमेंट के लिए देना चाहिए वह नहीं दिया गया है। इसके अलावा जो इसमें डिफेक्ट्स हैं वे मैं बताना चाहता हूं। जैसा मैं खुद अपनी कांस्टीटुएन्सी में देखना चाहता हूँ कि ३॥ हजार रुपया टेनरर्स के लिए दिया है। लेकिन टेनरिस्ट तो बन गए, मकान बन गए लेकिन आज उनको चलाने के लिए जो वर्किङ्ग कैपिटल चाहिए, 'रॉ' मैटीरियल लाने के लिए जो पैसा चाहिए वह नहीं मिलता है। कल भी मेरे पास हिंगोनिया और दूसरी जगह के लोग आये थे। उन्होंने कहा कि मकान तो बना लिया, भट्टी तक बना ली, लेकिन काम चालू करने के लिए और रॉ मेटेरियल खरीदने के लिए लोन नहीं मिलता है। सरकार के पास जाते हैं तो वह कहते हैं कि खादी बोर्ड में जाओ और खादी बोर्ड में जाते हैं तो सुनवाई नहीं होती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट के लिए कोऑर्डीनेशन का अभाव है। यानी जो फिक्स्ड केपिटल के लिए पैसा देता है। तो उसके पास अख्त्यार होना चाहिए कि इन्डस्ट्री को चालू करने के लिए वर्किङ्ग कैपिटल के लिए पैसा एडवान्स करे। ऐसा कॉऑर्डीनेशन नहीं होता है तो गरीब लोग बहुत मुसीबत में फंसते हैं। आज उन हरिजन लोगों ने जिन्होंने यह काम चालू किया है, घर से ४-५ हजार रुपये जिन लोगों ने लगाया है और सरकार से कर्जा लिया है साढ़े तीन-चार हजार, उनकी हालत आप पूछ सकते हैं, वे रोते हैं कि फंस गये। इससे अच्छा यह होता है कि पुराने ढंग से जो हम चमड़े का काम करते थे, वह ज्यादा बेहतर था। हमको यह सिर दर्द तो नहीं था कि चार-पांच दफा जयपुर जाते हैं, इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट में जाते हैं तो कहते हैं, कि खादी बोर्ड में जाओ, क्योंकि वर्किङ्ग कैपिटल खादी बोर्ड देता है। तो मैं समझता हूं कि इस बारे में जो इन्डस्ट्री का डेवलपमेन्ट करना चाहते हैं तो ऐसी बातों में कम से कम कॉऑर्डिनेशन रहना चाहिए, और यह जो पैसा देते हैं फिक्स्ड कैपिटल के उन्हीं के हाथ में यह रहना चाहिए, वर्किंग केपिटल का पैसा एडवान्स करने के लिए।

दूसरी बात, इस बारे में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज के लिए लोन देने का जो तरीका है वह भी कोई अच्छा नहीं है। केवल आज दिन सरकार की तरफ से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ से जो लोन देने का तरीका रहा है वह एग्रीकल्चर के लिए है। रूरल इन्डस्ट्री डेवलपमेन्ट के लिए जो पैसा देते हैं, उसमें काफी दिक्कत होती है पैसा लेने में और पैसा दिया जाता है तो पहले उस आदमी की क्रेडिट वर्दीनेस देखी जाती है। क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इट्स परपज़, क्रेडिट, वर्दीनेस उस परपज़ की नहीं देखी जाती है। लेकिन जिस आदमी को क्रेडिट दिया जाता है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखकर लोन देते हैं। उसमें क्या होता है कि गरीब लोगों को पैसा नहीं मिलता है। इस लोन पर करप्शन चलता है। लोन उस आदमी को मिलता है जिसका कोई पूल हो, जिसका, कोई इनफ्लुएन्स हो। जिसकी मिसाल इस सदन के सामने कई दफा कई क्वेश्चन्स के आन्सर के रूप में मिली है। मुझे अच्छी तरह याद है कि अभी चार-पांच दिन पहले, सांसी सोसाइटी बीकानेर, ा यहां ऐसा कोई जिक्र चला था, उसमें सवाल यह था कि उसके सेक्रेटरी ने ५–१० हजार रुपये ले लिये हैं और देता नहीं है। दूसरे के नाम से एक सेक्रेटरी ने ले लिए। सवाल यह है

(श्री पी. के. चौधरी)

कि वह सेक्रेटरी कौन था ! वह सेक्रेटरी कोई सांसी नहीं था...

श्री उपाध्यक्ष : I feel that no reference should be made about previous debate of questions which are not before the House at present.

श्री पी. के. चौधरी : Hon. Deputy Speaker, Sir, I am referring to the corruption that prevails in the......

श्री उपाध्यक्ष : This is all right. You are at liberty to refer to anything except referring to items which are not before the House.

श्री पी० के० चौधरी : I may quote here a few linse from the Balwant Rai Mehta Committee report:—

"The case of corruption is more complex. Its causes are numerous: there is the ignorance of the people which drives them through the fear of the machinery to pay its minions: there is the dilution of responstbility through various stages of delegation of powers unassociated with local opinion; and there is the constant possibility of the emergence of privileged groups: power tends to concentrate in a few hands and remain there."

यह बलवन्तराय मेहता कमेटी ने जो लोन देने का तरीका है, उसके सम्बन्ध में लिखा है कि लोन देने में किस तरह से करप्शन चला है। यह मेरी कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, कोई व्यक्तिगत सिफारिश नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जो बलवन्तराय मेहता कमेटी ने तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में रिपोर्ट दी है उसमें ऐसा मेन्शन किया है कि करप्शन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले जो लोग हैं उनको स्माल पीपल जो हैं जब तक टिप नहीं देते हैं, तब तक पैसा (लोन) नहीं दिया जाता है, तब तक किसी व्यक्ति को लोन नहीं मिल सकता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इसमें करप्शन की गुंजाइश है, उसको भी रोकने के लिये कोई इन्तजाम होना चाहिए।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिये, मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए उसके साथ-साथ उसके मार्केटिंग का इन्तजाम होना चाहिए। लेकिन हमारी स्टेट में न तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी की तरह से ऐसा कोई सरकार की तरफ से, जो इन्डस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हैं उसके मार्केटिंग का प्रापर अरेन्जमेंट हो और न इन प्रोडक्ट्स को पोपुलराइज़ करने के लिए कि किस ढग से पोपुलराइज़ करना चाहिए और न एडवान्स्ड टेक्निक सिखाने की चीजें बनाने का इनकी तरफ से कोई इन्तजाम है। इसके बारे में बलवन्तराय कमेटी ने कहा है कि हमें टेक्निक इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिये वह मैं सदन के सामने पेश करता हूं। उन्होंने कहा है:—

"135. Training will for many years from a very large part of the working for promoting rural industries. We suggest that a number of peripatetic training

(श्री पी. के. चौधरी)

centres with short-term courses not exceeding beyond a month and staffed by efficient practical technicians drawn mainly from rural areas from amongst professional artisans should provide a very effective means of improving the technical skills in rural areas. It should be possible through such mobile centres to communicate to the village worker not merely the technical skills but also the changing designs to keep in step with the changing taste of the public. Quality comes in at this stage as also the provision of necessary credit facilies and marketing facilities. Quality control alone can..."

श्री उपाध्यक्ष : Is the whole piece to be exhausted ?

श्री पी. के. चौधरी : I am just finishing it.

श्री उपाध्यक्ष : I think you better reproduce a gist of it. That will suffice if gist is given.

श्री पी. के. चौधरी : मेरे कहने का मतलब यह है कि जो विलेज इन्डस्ट्री का प्रोपोगेशन करना चाहते हैं तो प्रोगेगेशन सिर्फ लोन देने से नहीं होता है। तरीके की चीज यह होनी चाहिए, इम्प्रूव्ड टेक्नीक हो उनके बारे में ट्रेनिंग की फैसिलिटीज दें। ट्रेनिंग फैसिलिटीज देने के लिए केवल ट्रेनिंग सेन्टर खोल देगें और यह उम्मीद करेंगे कि गांव वाले सेन्टर में जाकर ट्रेनिग लेगें तो यह नहीं होगा। इसलिए मोबाइल ट्रेनिंग सेन्टर बनाये रखना चाहिए। वह एक-एक गांव में जायेगा और एक एक महीना वहां पर ठहरेगा। इस टेकनिक के लिए दो चीज होतीं हैं, एक तो, यह है कि वह इम्प्रूव्ड टेकनिक की ट्रेनिंग देते है यानी थोड़ा बहुत जो चेन्जिग टेस्ट्स हैं, उनसे उनको परिचित कराया जाय, क्योंकि आखिर में यह जो सामान है उसका मार्केट देहातों में या विलेजों में नहीं होता है। शहरों में मार्केट है, फोरिन कन्ट्रीज में मार्केट है। हमारी विलेज इन्डस्ट्री है, विलेज़ प्रोडक्ट्स है, उसका मार्केट ममेरिका में है, युरोप में है, सभी जगह पर है। तो जो गांव के लोग हैं उन लोगों को जैसा कि मार्केट में जाकर हमको बेचना चाहिए उस मार्केट का टेस्ट क्या है, यह हमे उनको बताना है। तो इस तरह से मोबाइल सेन्टर्स रखेंगे तो उनके जरिये से हम उनको नये डिजाइन, चेन्जिग डिज़ाइन भी दे सकेंगे।

श्री गिरधारीलाल : ओन ए प्वाइन्ट ऑफ़ इन्फोर्मेशन, सर, माननीय उपाध्यक्ष, जिन माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिया है क्या उन सबको मौका मिलेगा या केवल कुछ माननीय सदस्यों को ?

श्री उपाध्यक्ष : कट मोशन्स पर सब को अवसर मिलेगा, अपने अपने टाइम पर। You will not exhaust the Chair by putting such questions. I am very vigilent about my own duties.

श्री पी. के. चौधरी : (जारी) दूसरा एम्फेसिस जो है वह ट्रेनिंग सेन्टर के थ्रू जो चेन्जिग डिज़ाइन्स हैं, जैसे डिज़ाइन शहरों में या दूसरी जगह चलते हैं ऐसे डिजाइन्स उनको दिखाये जायें, तो इन डिज़ाइन्स के साथ-साथ क्वालिटी कन्ट्रोल भी करेंगे। हम जो प्रोडक्टस करना चाहते हैं उनका मार्केटिंग के जरिये

Page No.85

(श्री पी० के० चौधरी)

हमारी तरफ से हम करेंगे तो हम इन्डाइरेक्टली क्वालिटि कन्ट्रोल इम्पोज कर सकते हैं। यह मेरा सुझाव है।

दूसरी बात...... ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य थोड़ा सा संक्षेप में चलें। दूसरे माननीय सदस्य बड़े व्यग्र हैं, अपना अवसर लेने के लिए।

श्री पी. के. चौधरी : पांच मिनिट।

श्री उपाध्यक्ष : Yes. thank you

श्री पी. के. चौधरी : 'टौय मेकिंग इन्डस्ट्री' के लिए जो प्रोविज़न था, उसको इस साल खत्म कर दिया है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि राजस्थान में टौय मेकिंग का काफी स्कोप है। दूसरे प्रोविन्सेज़ के लोगों के बनिस्पत राजस्थान के लोगों का टेस्ट ज्यादा आर्टिस्टिक है। यहां के गांव के लोगों की जो वेषभूषा है, कपड़े वगैरह हैं, उनसे साफ ज़ाहिर होता है कि ये लोग आर्टिस्टिक टेस्ट के हैं। गांव में जो सामान बनाया जाता है उनमें एक आर्टिस्टिक टच है। तो हम समझते हैं कि टौय मेकिंग इन्डस्ट्री जो है वह राजस्थान मे डेवलप हो सकती है और उसके लिये काफी स्कोप हमारे यहां पर है। लेकिन पिछले साल हमने देखा कि उसके लिये लगभग १०,००० रु० खिलौना इन्डस्ट्री को प्रत्साहन देने के लिये बजट में रखे थे लेकिन इस साल उसके लिये कोई प्रावधान नहीं है। मैं समझता हूं यह चीज़ गलत है। इसका काफी स्कोप है। इसको बढ़ाने के लिये सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अब मैं कानोता के कॉमन फेसिलिटी सेन्टर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जो कॉमन फेसिलिटी सेन्टर कानोता में है, उसके लिये पिछले साल ५७-५८ में ४३००० रु. का प्रोविज़न रखा गया था, उसमें से कुछ रुपये खर्च हुए थे। इस साल १, २८,००० रु. का प्रोविज़न है। कॉमन फेसिलिटी सेन्टर की रिपोर्ट मिलती है, लेकिन इससे कोई फायदा हुआ हो ऐसा मालूम नहीं होता और जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, इसका एडवान्टेज इन्डस्ट्रियल एरियाज़ की आम पब्लिक को नहीं मिलता है। इसलिये मेरी राय है कि इसका दुरुपयोग होता है, इसलिये इसको एबॉलिश करना चाहिये और जो रुपया है, उससे मोबाइल लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिये, क्योंकि जिनका कुछ पूल है, इन्फ्लुएन्स है, वे लोग इससे व्यक्तिगत फायदा उठाते हैं।

दूसरी बात, मैं इन्डस्ट्रियल एस्टेट के बारे में कहना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है इन्डस्ट्रियल एस्टेट खोलने के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से भी कुछ सहायता दी जाती है। इन्डस्ट्रियल एस्टेट किस प्रिन्सिपल और किस बेसिस पर और कहां-कहां खोले जांय, इसको तय करने में कोई प्रिन्सिपल तय नहीं है। सरकार की तरफ से खोले जाते हैं। सबसे पहले जयपुर के पास खोला गया। अब नेक्स्ट इन्डस्ट्रियल एस्टेट भीलवाड़ा में खोला जायगा। मैं नहीं समझता किस क्राइटेरिया से खोलने का तय किया जाता है। मैं समझता हूं इसके लिये दो तीन क्राइटेरिया होना चाहिये। पहला यह कि वहां पर बेकारी काफी हो, वहां पर काफी लोग बेकार हों, उसके साथ-टेक्निकल स्किल भी वहां प्राप्त होनी चाहिए और तीसरी और सबसे बड़ी चीज़ बिज़नेस टेलेन्ट है क्योंकि आखिर में सिर्फ आप कारी-

(श्री पी. के. चौधरी)

गरों और आर्टिज़न्स के माफिक काम करेंगे, इससे नहीं चलेगा। इसमें जो लोग हिस्सा लेंगे, शरीक होंगे, उनमें यदि बिजेनेस टेलेन्ट नहीं होगी तो चीज़ का प्रोडक्शन करने से पहले देखना होगा कि इसकी डिमान्ड है या नही, मार्केट में टेस्ट क्या है ऐसी जानकारी जिनको नहीं होगी, उनको शरीक किया जायगा तो मैं समझता हूं वहां इन्डस्ट्रियल एस्टेट कामयाब नहीं होगा। इसलिये मैं समझता हूं सरकार को जानकारी हासिल करनी चाहिये, कम्पेअर करके देखना चाहिये कि ये जो तीनों चीजें हैं, अनएम्पलॉयमेन्ट टेक्निकल स्किल और बिजनेस टेलेन्ट जहां मिले, वहां इन्डस्ट्रियल एस्टेट खोलना चाहिये। मैं नहीं समझता कि भीलवाड़ा में कौनसी बेसिस पर खोला जा रहा है। वहां पर कोई अनएम्पलॉयमेंट का प्रश्न है या टेक्निकल स्किल ज्यादा है या वहां के लोगों में बिज़नेस टेलेन्ट ज्यादा है, इसका पता नहीं है। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि मेरी कांस्टिट्युएन्सी में सांभर इसके लिए काफी उपयुक्त स्थान है, वहां पर अनएम्पलॉयमेन्ट का प्रश्न भी ज्यादा है........

श्री उपाध्यक्ष: Your arguments are very weighty.

श्री पी० के० चौधरी: वहां पर एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयमेन्ट सबसे ज्यादा है। सांभर राजस्थान बनने से पहले काफी प्रोस्परस था। इसकी वजह यह थी कि जयपुर और जोधपुर दोनों ही स्टेट्स का हिस्सा होने से दोनों रियासतों की तरफ से इसकी तरक्की करने के लिये पैसा खर्च करने में कांम्पीटिशन चलता था। जोधपुर के महाराजा और जयपुर के महाराजा दोनों ही एक दूसरे से ज्यादा पैसा यहां पर खर्च करने की कोशिश करते थे, इसलिये यहां पर काफी एम्प्लॉयमेन्ट मिलता था और रोजगार धन्धा काफी था। अब राजस्थान बनने के बाद यह सब बन्द हो गया है वहां के लोग यह महसूस करते हैं कि उनको निग्लेक्ट किया जा रहा है पहले जो अटेन्शन मिलता था सरकार की तरफ से काफी मदद मिलता था, वह अब नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि वहां के लोगों में बिज़नेस टेलेन्ट है इससे इन्कार नहीं कर सकते। क्योंकि सांभर नमक के बिजनेस के लिए, सारे हिन्दुस्तान में मशहूर है, इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि नेक्स्ट इन्डस्ट्रियल एस्टेट भीलवाडा के बजाय सांभर में खोलने का उपाय करें।

अब मेरा एक और कट मोशन नं. ११५ कपासन जीनिंग फेक्ट्री के बारे में है, उसके बारे में कहना चाहता हूं। जिनिंग फेक्ट्री का सेल हुआ है उसमें कुछ सस्पेशन लगता है क्योंकि उस सेल के पहले वहां की कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग आये थे और उन्होंने बताया था कि इस फेक्ट्री के लिये मुख्य मंत्रीजी को तार दिया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से कहां गया था कि जो हाइएस्ट बिडर की बोली होगी, वही टेन्डर की रेट हम देने को तैयार हैं। वही रकम कोऑपरेटिव सोसाइटी भरने को तैयार है। लेकिन अफसोस की बात है कि उनको नहीं दिया गया सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आगरा के एक व्यक्ति ने १ लाख ६० हजार का टेन्डर भरा था, उसको नहीं दिया गया और जंबकलाल को दिया गया जिसका टेन्डर १ लाख ६० हजार से कम था। मैंने पहले भी कहा था कि जो टेन्डर नोटिस निकला था, उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ प्लान्ट की बात थी। लेकिन बाद में बिल्डिंग को भी शामिल

Page No.87

(श्री पी. के. चौधरी)

कर लिया गया था इसलिये उसने हाइएस्ट बिड १ लाख ६० हजार रु० का दे दिया। अभी १५ दिन पहले यह मालूम हुआ है कि उस फेक्ट्री का मकान ४० हजार रुपयों में सरकार की तरफ से वापिस खरीदने की बात हो रही है। मैं समझता हूं, इस जीनिंग फेक्ट्री की मार्केट वेल्यू कम से कम ५ लाख रुपया होगी। उसको १ लाख ६० हजार रुपयों में बिक्री किया जाता है, यह ठीक नहीं है। इस बारे में मुख्य मन्त्रीजी जांच करेंगे कि किस ढंग से लोअर बिडर को दिया गया और हाइएस्ट बिडर की रेट से क्यों दिया गया और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से ओफर थी, उसको क्यों नहीं दिया गया। जब कि उसने खास तौर से मुख्य मन्त्रीजी के पास तार भेजा था जिसमें लिखा था कि हाइएस्ट बिडर की रेट से हम खरीदना चाहते हैं उसको नहीं दिया गया। मैं समझता हूं, इसकी जांच पूरी तरह से होगी। यही मेरा कट मोशन है।

(श्री अनोपसिंह और श्री बी. एन. जोशी के अनुपस्थित होने के कारण उनके कटौती प्रस्ताव नहीं लिए गए)

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या १८...

अनेक माननीय सदस्य : मांग संख्या २१ चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : किसी मांग को लीजिये, हम मान लेंगे उसे।

(हंसी)

श्री भैरवलाल कालाबादल : कटौती का प्रस्ताव मांग संख्या २१ में यह था कि आदिवासी क्षेत्र मनोहर थाना, जिला झालावाड़ के उत्थान के लिए छोटे-छोटे उद्योग धन्धे खोले जाने के ऊपर सरकार को विचार करना चाहिये। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस कटौती के प्रस्ताव द्वारा हाउस का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आज आदिवासी जातियों को ऊपर उठाने के लिये हम प्रयत्न कर रहे हैं, मगर फिर भी कई इलाके ऐसे हैं, जहां उसके पास न कोई पेट भरने का साधन है, न कोई उद्योग धन्धा है और न कोई दूसरा ही कोई कारोबार है। ऐसी सूरत में मेरा इस कटौती के प्रस्ताव के द्वारा यह सुझाव है चूंकि मनोहर थाना एक ऐसा पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां आदिवासी जातियों की संख्या अधिक है, मगर उनके पास कोई उद्योग धन्धा नहीं है और जंगली इलाके में होने के कारण वे बड़े-बड़े कस्बों और शहरों से दूर पड़े हैं, इस कारण वहां कोई उद्योग धन्धा नहीं चल सकता, बेचारे आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, पैसा उनके पास नहीं है। उस इलाके की तरफ मैं समझता हूं, राजस्थान बनने के बाद सरकार का ध्यान नहीं गया और वहां कोई मन्त्री महोदय पहुंचे नहीं। यह इस प्रकार का एरिया है कि उस इलाके में, मेरी समझ में; बरसात के दिनों में जाना मुश्किल हो जाता है और इस इलाके वालों का कोई धन्धा नहीं है। अगर वहां पशु-पालन, शहद उद्योग, बढ़ई गिरी, फर्नीचर बनाने का काम, छोटे-छोटे उद्योग धन्धे अगर खोले जांय तो वहां के लोगों को रोजी मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकेगी। इस ओर ध्यान दिलाने के लिए मेरा कटौती का प्रस्ताव है जो सदन के सामने है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनूपसिंह

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बारी निकल जाने के बाद भी मुझे समय दिया गया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी आभारी होऊंगा, अगर आप संक्षेप में चलेंगे।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल : बारी निकल गई है फिर भी आपको मौका दिया है।

श्री अनूपसिंह : मुझे अपने इलाके के बारे में बात करने का मौका मिला है, उसके लिये मुझे अर्ज यह करना है कि बाड़मेर का इलाका एक रेगिस्तानी इलाका है और वहां के लोगों की हालत है, वह हमारे मन्त्री महोदय से किसी तरह छिपी हुई नहीं है। इसके साथ ही साथ उस भाग के, वहां पर कुछ ऐसे खास कारोबार हैं जिनको वहां पर खोलने के लिए बहुत काफी गुंजाइश है! उन कारोबारों में सबसे बड़ा कारोबार ऊन उत्पादन का है। ऊन और भेड़ का जो महकमा है, उसके तहत में कई कारोबार खोले जा सकते हैं। जैसे वूल इन्डस्ट्री वहां पर बनाई जा सकती है, क्योंकि वहां भेड़ों की तादाद काफी है। वहां पर बहुत से आदमी इस काम में लगे हुए हैं। भेड़ पालन का काम वहां का मुख्य धन्धा है। इसके साथ ही साथ वूल प्रेसिंग, वूल को सुधारने का, वूल को ठीक रखने का, गाठ लगाने का, वूल को धोने का कारोबार वहां पर चलायें तो ठीक तरह से चल सकता है। इस इलाके से हर साल हजारों मन ऊन बाहर भेजी जाती है, क्योंकि यह इलाका खास ऊन पैदा करने का इलाका है। लेकिन दुःख की बात यह है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने आज तक इस बारे में सोचने की या किसी योजना को कार्यान्वित करने की कोशिश नहीं की। जो इलाका आज दिन तक ऊन निर्यात करता रहा है, उस इलाके में ऐसी कोई इन्डस्ट्री नहीं है, जो कि ऊन से सम्बन्धित हो। जो ऊन यहां पैदा होती है, उस ऊन को साफ करने का, गांठ लगाने का, वूल प्रेसिंग का काम यहां हो सकता है। उसके साथ ही साथ कम्बल, दरियां और बहुत सारी चीजें ऊन से बनाई जा सकती हैं। इस इलाके का जो ऊन का रॉ-प्रॉडक्ट है, उसको किसी तरह से काम में लाने की कोशिश नहीं की गई है। होता यह है कि ऊन बाहर जाती है उस डिस्ट्रिक्ट से और दूसरे लोग उसका फायदा उठाते हैं। अगर वहां ऊन की इन्डस्ट्री खोली जाय तो कारोबार कई हो सकते हैं, ऊन कारोबारों से बेकारी दूर हो सकती है और लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। इस ओर मेरे ख्याल से आज दिन तक कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है, जिससे यह कहा जाय कि हमारी यह गवर्नमेन्ट इस बारे में जागरुक है। मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट इस बारे में सोई पड़ी मालूम पड़ती है। माफ कीजिये, जो इस इन्डस्ट्री को, इस कारोबार को सुधारने के लिये आफिसर आये हैं, उन्होंने ऊपरी दृष्टि से इस एरिया को देखा है। वहां पर किसी तरह सक्रिय कदम उठाकर हालत को सुधारने के लिए कोई कारोबार नहीं किया गया है जिससे कि वहां की चीज वहीं काम में आ जाय, वहां का 'रा' मेटीरियल वहीं काम में आ जाय। इस इलाके में एक बहुत बड़ी इन्डस्ट्री है जो ऐसी हालत में चल रही है जिसका फायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं, वह है जिप्सम की इन्डस्ट्री। वहां जिप्सम निकाला जाता है और वहां से इतनी दूर ले जाया जाता है कि उसको वहां ले जाने का खर्चा उसके मूल्य से दुगना हो जाता है।

(श्री अनूपसिंह)

जिप्सम को ले जाया जाता है सिन्द्री की फर्टीलाइजर फेक्ट्री में। अफसोस की बात यह है कि बाड़मेर के अन्दर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जहां वह जिप्सम काम में आ जाय। अगर वहां फर्टीलाइज़र फेक्ट्री खोल दी जाय तो वहां का 'रॉ' मेटीरियल वहीं काम में आ जायेगा, बेकारी मिटेगी और आर्थिक दशा भी सुधरेगी, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारा डिस्ट्रिक्ट यह काम करता रहा कि जिप्सम सिन्द्री फर्टीलाइज़र फेक्ट्री को भेजते हैं या और कहीं जिप्सम की जरूरत होती है, वहां उसे ले जाया जाता है। यह नहीं हो सका है कि बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में जिप्सम को काम में लाने के लिए कोई कारोबार खोला जाता। राजस्थान में एक फर्टीलाइज़र फेक्ट्री खुल सकती है, उस फर्टीलाइज़र फेक्ट्री के लिए फर्टीलाइज़र मंगाने की जरूरत नहीं होगी। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो बहुत आसानी से फर्टीलाइज़र फेक्ट्री खोली जा सकती है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट इस ओर जागरुक नहीं है और मेरे ख्याल में मंत्री महोदय दावा नहीं कर सकते कि वह वाकई में जागरुक है। इस डिस्ट्रिक्ट में इसके लिए इन्डस्ट्री नहीं खोलने से उसका दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर आगे भी जागरुक नहीं रही तो शायद आगे भी सिन्द्री फर्टीलाइज़र फेक्ट्री में हमारे यहां से जिप्सम जायेगा।

इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग इन्डस्ट्री वहां बहुत काफी तादाद में चलती है। जो अब तक पुराने ढर्रे से, बाप दादों के द्वारा बताये हुए कायदे से चल रही है, आज दिन तक उसमें आधुनिक तरीका नहीं लाया गया है, जिससे कह सकें कि वहां पर किसी तरह ट्रेनिंग इन्डस्ट्री को, चर्म उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया हो। चर्म उद्योग में नया आधुनिक आधार का तरीका नहीं लाया गया है; जैसे बालोतरा में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, समदड़ी में बहुत से आदमी इसमें लगे हुए हैं। वहां एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलने का दावा किया गया। वहां के लोगों ने अपने पैसे से किसी तरह कागज़ी कार्यवाही की। वह कागज़ी कार्यवाही कर भी दी है, लेकिन होता यह है कि गवर्नमेंट से सहायता न मिलने के कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने पैर पर खड़ी नहीं हो सकी। इसी तरह आधुनिक तरीके से इस ट्रेनिंग इन्डस्ट्री के कारोबार को नहीं चला रहे हैं। इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग इन्डस्ट्री से सम्बन्धी इन्डस्ट्री हो सकती है, वह लेदर इन्डस्ट्री हो सकती है। जो आदमी चर्म उद्योग में लगे हुए हैं, वे काफी संख्या में वहां रहते हैं और वे बाप दादों के वक्त से काम करते आ रहे हैं। वे यह जानते हैं कि चर्म उद्योग किस तरह से होता है, लेकिन उन्हें आधुनिक तरीके मालूम नहीं हैं न ही उन्हें बताया गया है। इस कारोबार को डिपार्टमेंट ने भी किसी तरह मदद देने का, प्रोत्साहन देने का काम नहीं किया है। कई एप्लीकेशन्स वहां से आई हैं, आवेदन-पत्र दिये गये हैं, लेकिन उन पर गौर नहीं किया गया है। अब भी ऐसा होगा ऐसी आशा नहीं है। वह एक पिछड़ा हुआ इलाका है और क्योंकि वहां से उस पार्टी की तरफ का कोई सदस्य नहीं चुन कर आया है, इसलिए अब भी आशा नहीं हो सकती है कि वहां किसी तरह का ध्यान दिया जायगा।

बालोतरा में बाड़मेर का एक कस्बा है, जहां पर रंगाई, छपाई का काम बहुत अर्से से चलता आ रहा है। वे लोग इस काम को करना जानते हैं लेकिन उन लोगों के काम में किसी प्रकार का आधुनिक परिवर्तन नहीं हुआ

Page No.90

(श्री अनूपसिंह)

है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सांगानेर की छपाई की तरह कोई नई चीज़ निकाल कर इस काम को नया रूप दे सके। वे लोग पीढ़ियों से काम करते हैं लेकिन छपाई में होशियारी भी है, पर इस काम में आधुनिकता लाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। मंत्री महोदय भी मानेंगे कि वहां किसी तरह की कोशिश नहीं की गई है। मैं अर्ज करूंगा कि हमारे मंत्री महोदय और इस विभाग के जो कर्मचारी गए हैं, वे इस बात पर जोर देंगे क्योंकि वहां पर ये इन्डस्ट्री आसानी से चलाई जा सकती हैं। इस चीज़ की ओर ध्यान दिलाया गया है, आवेदन पत्र भेजे गये हैं, लेकिन उन सब के साथ लापरवाही बरती गई है और किसी तरह रंगाई–छपाई का काम आगे नहीं बढ़ा है। वहां आइवरी की इन्डस्ट्री भी बहुत पहले से चलती है, जिसको आज तक कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है। हो सकता है कि किन्हीं सहकारी समितियों को मदद दी गई हो पर कोई सहकारी समिति ऐसी नहीं है जो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हो या आधुनिक तरीके से चीजें निकालती हो। बाप दादों के समय में जो चीजें बनती थीं वे ही चीजें बनाते हैं पर हमारे यहां इस उद्योग में प्रगति हुई हो, आधुनिक तरीके की चीजें बनाई जाती हों, ऐसी बात नहीं है।

मैं अर्ज करूंगा कि बाड़मेर बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पोटेन्शियल भी हैं, कई इन्डस्ट्रीज को बढ़ाने के पोटेन्शियल भी हैं, उस पिछड़े हुए इलाके को देखते हुए मंत्री महोदय, इस बारे में विचार करेंगे और आगे सक्रिय कदम उठायेंगे ताकि उस इलाके का कारोबार बढ़ा कर आगे बढ़ा सकें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम : आज उद्योग और व्यापार की मांग हमारे सामने चल रही है। उद्योगों के विकास के लिए सरकार जोर लगा रही है और जनता से सहयोग मांग रही है पर इन्डस्ट्रीज़ के साथ जनता का और हमारे जनप्रतिनिधियों का कितना सहयोग है वह तो हमारी हाजिरी ही बताती है; १७६ सदस्यों में से केवल १६ सदस्य उपस्थित हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (अश्रव्य)

श्री लच्छूराम : तो मैं इसलिये कह रहा था कि सहयोग जितना हमारी सरकार चाहती है उतना सहयोग नहीं है। मेरा कटौती प्रस्ताव है, वह जिला झुंझुनू में कुटीर उद्योगों का अभाव है उसके सम्बन्ध में हैं। जितने भी माननीय सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव रखे हैं और आइन्दा रखेंगे और पिछले साल के बजट में रखे हैं अपने-अपने क्षेत्रों के अभाव के बारे में मांग की है, पर हमारे झुंझुनू जिले के प्रतिनिधि हमेशा से इस मामले में उदार रहे हैं, वे कभी क्षेत्रीय भावना में नहीं आते; पर सरकार के इस प्रकार के सौतेले नाते को देख कर मुझे मजबूर होकर क्षेत्रीय भावना पर आना पड़ता है और झुंझुनू जिले में कुटीर उद्योगों के लिये कटौती प्रस्ताव रखा है।

बहुत से माननीय सदस्य कहते हैं कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां कुटीर उद्योगों की और अन्य प्रकार के उद्योगों की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कहता कि राजनैतिक जागृति में झुंझुनू जिला पिछड़ा हुआ है, यह तो झुंझुनू जिले का इतिहास ही कहता है कि झुंझुनू जिला राजनैतिक मामलों में कितना प्रगतिशील है। राजनैतिक जागृति में आगे है पर उतना ही आर्थिक स्थिति में कमजोर है। झुंझुनू जिले में न सिंचाई का

(श्री लच्छूराम)
साधन है और न भविष्य मे कोई सिंचाई के साधन उपलब्ध होने वाले हैं, क्योंकि भाखरा और राजस्थान केनाल से झुंझुनू जिले की सिंचाई नहीं हो सकती। और न वहां मवेशी इतने हैं कि उनके पालन पोषण से ही वहां के किसान अपना भरण-पोषण कर सकें। तो इस तरह झुंझुनू जिले की आर्थिक स्थिति के मामलों में बहुत सोचनीय दशा है। इसलिये दोनों पक्षों को देखते हुए कि न वहां सिंचाई के साधन हैं, न पशु-पालन के साधन हैं, वहां कुटीर उद्योग खोलना बहुत जरूरी हो जाता है।

झुंझुनू जिले के अन्दर जितने धनी सेठ हैं उतने राजस्थान के किसी इलाके में नहीं हैं। राजस्थान तो क्या हिन्दुस्थान में जितने उद्योगपति हैं, वे झुंझुनू जिले के हैं। जितने कल कारखाने हैं, वे झुंझुनू के सेठों की तरफ से चलते हैं। मेरी इससे मंशा सेठों का पक्ष करने की नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब है कि क्यों नहीं सरकार इन सेठों से प्रार्थना करे, कहे कि झुंझुनू जिले में वे अपने उद्योग धन्धों का विस्तार करें और इसके साथ-साथ गवर्नमेंट को भी मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि नये सिरे से कोई कल करखाना पहले पहल खोलते हैं तो वहां घाटा होने की संभावना रहती है, इसलिये गवर्नमेंट के सहयोग की आवश्यकता रहती है। तो मेरा कहना है कि सरकार झुंझुनू जिले के सेठों को कहे कि वहां वे कुटीर उद्योग खोलें। झुंझुनू जिले के २० हजार मजदूर अहमदाबाद, कानपुर और दूसरी जगहों पर काम करते हैं। अगर झुंझुनू जिले में कोई बड़ा उद्योग या कुटीर उद्योग खोल दिया जायं तो वे २० हजार मजदूर वहां आकर काम करने लग जायेंगे। जब कि वे अहमदाबाद, कानपुर और दूसरी जगहों पर जाकर काम करते हैं तो झुंझुनू जिले में मिल या कारखाना खोल दिया जाय, तो ये सब लोग वहां काम करने लग जायेंगे।

इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि झुंझुनू जिले में इस प्रकार के उद्योग और मिल खोले जायं, जिससे कि वहां के मजदूरों को, वहां की जनता को राहत मिले, क्योंकि कुटीर उद्योगों के अलावा और कोई आर्थिक स्थिति के सुधार के साधन वहां नहीं है।

३.४८ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति पदासीन)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि झुंझुनू जिले में कुटीर उद्योग और अन्य उद्योग खोले जायं।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्री मनरूप राम परिहार।

श्री मनरूप राम : सभापति महोदय,...

श्री सभापति : Shri Mohar Singh.

(कुछ क्षण अनन्तर)

Oh Sorry ! Shri Manroop Ram.

श्री मनरूपराम (खारची) : सभापति महोदय, मैंने कट मोशन का प्रस्ताव शिड्यूल्ड कास्ट एन्ड बैकवर्ड क्लासेज को उद्योग-धंधों में सबसिडी देने के लिये रखा है। मेरा यह प्रस्ताव जनरली राजस्थान की बैकवर्ड क्लासेज और शिड्यूल्ड कास्ट्स पर हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में है।

जनरली देखा गया है कि जितनी राजस्थान के अन्दर विभिन्न जातियां हैं उनके अलग-अलग धंधे हैं कौम वाइज़, इसलिये जन जातियों का अभी तक विकास नहीं हुआ है, और उनकी जो आर्थिक स्थिति का ढांचा

(श्री मनरूपराम)

है वह हमेशा पिछड़ा हुआ है। वह पिछड़ा हुआ नेचुरली कहा जा सकता है, क्योंकि न उनके पास ऐसे आर्थिक धंधे हैं और न उनको आर्थिक साधन उपलब्ध हैं। विभिन्न जन–जातियां, छोटी छोटी कौमें सदा से घरेलू उद्योग धंधे करतीं आई हैं और चूंकि उनके पास धन नहीं, निर्धन जातियां हैं इस कारण से न कोई बड़ा उद्योग धंधा चला सकती हैं और न उन्हें इस प्रकार की मदद ही मिली है। इसीलिये आज विकास के युग में प्रथम पंचवर्षीय योजना निकल गई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही है और हालांकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि उद्योग धंधों द्वारा इन जन जातियों का किसी प्रकार से विकास हो, यह नीति है परन्तु देखा गया है कि राजस्थान में इन जातियों का अभी तक इन ६ वर्षों में जो विकास होना चाहिये, वास्तव में वह नहीं हो रहा है। क्योंकि कई प्रकार के ऐसे प्रोविजन रखे गये हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनावें। मैं यह कहूंगा कि गांवों में रहनेवाले लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं बना सकते और न उनको रुपया मिलता है और न वे गवर्नमेन्ट का जो डेवलपमेंट का धन है उसका उपयोग कर सकते हैं। जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियेन्स है, इस बात में मैं रोजाना ब्लॉकों में दौरे करता रहता हूं। मैं उनकी असली स्थिति देखता हूं और जब उनकी स्थिति देखता हूं तो उस पर विचार करना पड़ता है कि जो बातें होनी चाहिये उनके लिये नहीं हो रही है क्योंकि अनेक प्रकार के धन्धे हैं, सब कौमें मिल कर एक धन्धा कायम नहीं करतीं; जैसे मोची हैं, जूते बनाते हैं। दूसरे शिड्यूल्ड कास्ट के लोग कई प्रकार के हैं जो अलग-अलग काम करते हैं जैसे रैगर हैं, चमार हैं, जटिये, भांबी, उनके अलग-अलग कदीमी पेशे हैं, उनको वे करते रहते हैं। मेरी कोई इस संबन्ध में लम्बी चौड़ी स्पीच देने की इच्छा नहीं है और न मैं ज्यादा बोलना चाहता हूं। मेरा तो यह जनरल सुझाव है कि वर्तमान सरकार की जो पॉलीसी है, उसका इकोनोमिक डेवलपमेंट होना चाहिये, उन लोगों के घरेलू धन्धे हैं। वे तो ५–५ आदमी झोपड़ियों में रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं बना सकते हैं इसलिये उनको आर्थिक सहायता नहीं दी जा सकती है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको सब्सिडी दी जावे ताकि वे दूसरों के स्टेन्डर्ड में आ जावें और अपना धन्धा चलावें और उनकी आर्थिक स्थिति ठीक तरह से सुधर सके और काम की सफलता की ओर वे बढ़ सकें। यह मेरा सुझाव है और मैं संबन्धित माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, मेरा एरिया जोधपुर में है, पाली डिस्ट्रिक्ट में है और यह एरिया विशेष तौर से बेकवर्ड एरिया है। मैं यह कहूंगा कि कई कई जातियें तो ऐसी है कि कहीं तो लोग आंवल की छाल से चमड़ा रंगते हैं, कई जूतियें बनाते हैं और कई लोग चमड़ा उखाड़ते हैं। जैसे जटियें हैं, चमार है, चंडाल हैं, ये सब अलग-अलग धन्धे करते हैं। परन्तु इनके धन्धों में राज्य ने अभी तक कोई प्लान में कोई प्रस्ताव नहीं रखा या प्रोविज़न नहीं रखा कि छोटी छोटी बातों की जांच करें। यदि उनको ऊंचा उठाना है तो इसी ढंग से उठाया जा सकता है। मगर इस तरफ आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए जो बैकवर्ड क्लास है, वे कुदरतन पिछड़े हुए हैं, धन से हैं, जाति के लिहाज़ से हैं और उनका धन्धा हमेशा कमजोर रहा है और वे लोग कमजोर कहलाते हैं। इसलिए एक तो इस एरिया में विशेष कर आंवल की छाल

(श्री मनरूपराम)

का ठेका होने से इनको फायदा नहीं होता। इसलिये इस आंवल की छाल का ठेका बन्द करके इनको सौंप दिया जावे ताकि वे लोग चमड़ा रंग सकें और उनको सब्सिडी दी जावे। इसके अलावा काफी मेघवाल, नाभी आदि हैं जो हेन्डलूम, पिट लूम का काम करते हैं। उनकी संख्या ८ या १० हजार के करीब है। वे लोग हमेशा देशी कपड़ा बुनते हैं और किसानों को देते हैं। वे कपड़े पहनते कम हैं। उनको अपना धन्धा चलाने के लिये उनके पास पैसा भी नहीं है। जिस समय वे बी. डी. ओ. के पास जाते हैं तो वह उनसे कहता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाओ! मैं यह कहूंगा कि जहां पर चार-चार या ५-५ घर या झोपड़ियें होती हैं, जहां पर वे रहते हैं वे कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बना सकते हैं? इसलिए जहां तक हो सके मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम इन छोटी बातों पर जहां गांवों में उनकी संख्या ज्यादा है विशेष करके उन पर ध्यान दिया जावे और आंवल का ठेका बन्द करके उनको सौंपा जावे और उनको अपने काम में उन्नति करने के लिए सब्सिडी दें। मैंने लम्बी चौड़ी स्पीच न देकर छोटी सी स्पीच देकर सारी बातें आपके सामने रखी हैं।

श्री **मोहरसिंह** (चूरू) : सभापति महोदय, मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३—के अन्तर्गत मेरा कटौती का प्रस्ताव है, कि "कुटीर उद्योग को ज्यादा प्रोत्साहन देने हेतु विचार करने के लिये"। माननीय सभापति, जहां कुटीर उद्योग का नाम आता है, उसके साथ-साथ राजस्थान के अन्दर बैठनेवाली बहुत ज्यादा संख्या का ख्याल पैदा होता है। बहुत से आदमी यानि राजस्थान के पोने दो करोड़ में से कुटीर उद्योग में जिन्दगी बिताते हैं, मगर हमारी सरकार की तरफ से उनको जितना प्रोत्साहन और सहायता दी जानी चाहिए नहीं दी जा रही है और इसी बात पर विचार प्रकट करने के लिए मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है। अब तक उद्योग के मामलों में सरकार की नीति विशेषत: यही रही है कि वह बड़े-बड़े सेठ-साहूकारों को बहुत मोटी-मोटी रकम देने को तैयार हैं। जैसा कि अभी एक महानुभाव ने बताया था कि सरकार ने सीमेन्ट फेक्ट्री में ६० लाख का लोन दिया और उसका जिक्र किया था। एक तरफ सरकार एक शख्स को ६० लाख रुपया देवे, जिसका मुनाफा उसकी जेब में जाता है। क्योंकि पूंजीशाही जो अपने हल्कों में बसते हैं वे सारी रकम का फायदा अपनी जेब में रखते हैं। एक स्पिनिंग मिल है या कपड़े की मिल है उसमें आप देखेंगे कि एक धोती जोड़े में कितना खर्च होता है और उसका कितना अंश मजदूर को दिया जाता है? जब बाजार में जाते हैं तो कितना रुपया बाजार-वालों से उस धोती जोड़े का लिया जाता है। मेरे ख्याल से जिस समय धोती जोड़ा तैयार होकर बाजार में जाता है, उस समय खरीददार से उसका १२॥ रुपये या १५ रुपये लिये जाते हैं और मैं समझता हूं कि उसकी असल मेहनत करने वाला है उसकी जेब में उसका १/३ हिस्सा जाता होगा। १५ रुपयों में से ज्यादा से ज्यादा ६ रुपये उसकी जेब में चले जाते होंगे। अगर ज्यादा समझें तो आधा मेहनत करने वाले की जेब में जा सकता है। बाकी आधा तो उसी की जेब में जाता है जो सेठ कहलाता है और जो मिल ओनर कहलाता है और उसका यह नतीजा है कि आज देश के अन्दर आज अमीर ज्यादा अमीर बनते जारहे हैं और गरब

(श्री मोहरसिंह)

ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। इसलिये इसमें बहुत भारी परिवर्तन की आवश्यकता है। एक तरफ हम समाजवादी समाज कल्याण के नारे लगाते हैं और दूसरी और पूंजीपतियों को लोन और सहायता दे दी जा रही है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि देश में गरीबों की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। बड़े-बड़े उद्योगों में लोन की मदद दी जाने का असर कुटीर उद्योग पर होता है। जयपुर में आज हम कई मंजिल की दुकानें देखते हैं लेकिन छोटे-छोटे उद्योग वाले व्यक्ति जब कभी बाहर से कोई मुड्डा लेकर आता है और शाम को जब वह मुड्ढा बिकता नहीं है तो वह वापिस मुड्डा लेकर और गठरी बांध कर जाता है, तो आप ही सोचिये कि उसकी क्या दशा होती है, किस प्रकार से दूसरे दिन उसका खाने का काम चलेगा ? वह किस प्रकार से अपने बच्चों का पालन करेगा ? उसके पास रुपया पैसा कहां से आवेगा ? यही कमी है जो मैं आपको आगे बताऊंगा।

(४ म० प०)

लेकिन साथ ही साथ इन सारी चीजों के परिणाम स्वरूप देश में आज बेकारी बढ़ी है। कुटीर उद्योग जो बेकारों को रोटी देने की चीज़ है, उनको सरकार की ओर से मदद न देने के कारण आज हम देखते हैं कि बेकारी ज्यादा बढ़ती जा रही है। सारे राजस्थान में बहुत से ऐसे कुटीर उद्योग हैं, जिनको अच्छे ढंग से एक सूत्र में लाया जा सकता है, उनको पनपाया जा सकता है यदि सरकार उनकी मदद करे और जो उनमें फैले हुए व्यक्ति हैं उन उद्योगों को मदद न देने के कारण बेकारी बढ़ गई है, उनके सामने अपना और बाल बच्चों के पेट भरने की बड़ी भारी समस्या बनी हुई है; इस प्रकार से एक अहम समस्या बनी हुई है, उसको सुलझाया जा सकता है।

ऊन उद्योग एक कुटीर उद्योग है, जिसमें कम्बलें, लोई, वगैरह चीजें बनती हैं और यदि इस उद्योग की सरकार मदद करे तो काफी पनपाया जा सकता है। अभी तीन दिन पहले मैंने नापासार की बनी हुई एक लोई देखी थी जिसकी कीमत ४०) थी लेकिन वह इतनी बढ़िया ढंग से बनी हुई थी की उसको देख कर व्यक्ति की तबियत बड़ी प्रसन्न होती है। उन लोगों के पास कला है, लेकिन उनके पास उस धन्धे को चलाने के लिए पैसा नहीं है। यदि सरकार उनकी मदद करे और इसको प्रोत्साहन दे तो इस उद्योग के बहुत से लोगों को रोटी मिल सकती है और यह उद्योग काफी पनप सकता है।

इसी तरह से मूंज का उद्योग है, राजस्थान में टीले हैं और यहां पर मूंज जिसको सरकंडा भी कहते हैं काफी मात्रा में उपलब्ध होता है। उसके मुड्डे आदि कई चीजें बन सकती हैं। यह राजस्थान के सीकर, शेखावाटी जैसलमेर और बीकानेर इन इलाकों में काफी होता है और इसको प्रोत्साहित किया जाय और सरकार मदद करे तो यह उद्योग काफी पनप सकता है।

तीसरा है कर्घा उद्योग। राजस्थान के बहुत से हिस्सों में इसको इस्तेमाल किया गया है। इधर आप देखिये, हिन्डौन का इलाका है, उससे आगे बयाना। भरतपुर में तो कोरी नामकी कम्युनिटी है जो कि इसी रोजगार पर मुनस्सर है। इसी प्रकार शेखावाटी के इलाके में, जयपुर जोधपुर के इलाकों में भी गाढ़ा, मोटा कपड़ा बनाया जाता है, जिनमे बहुत से

(श्री मोहरसिंह)

लोग लगे हुए हैं, यदि इस उद्योग को सहायता दी जाय तो यह उद्योग काफी पनप सकता है ।

चौथा उद्योग है जो विशेष अहमियत का है । राजस्थान कृषि प्रधान देश है । कृषि प्रधान देश होने के कारण यहां चमड़ा अधिक होता है, यहां पशु ज्यादा पाले जाते हैं क्योंकि यहां टीले बहुत ज्यादा हैं, जितना रेगिस्तान है वहां कम पैदावार होती है और इसीलिए लोग इधर पशु अधिक पालते हैं । चमड़े के उद्योग में मदद देकर रिफाइन्ड ढंग से इस उद्योग को बढ़ाया जा सकता है जिससे जूते जूतियों की जोड़ियां, बढ़िया अटेची, आदि सामान बन सकता है । यदि इस कोटेज उद्योग में सरकार मदद करे और इसको प्रोत्साहन दे तो यह काफी बढ़ सकता है ।

पांचवां उद्योग है, वह है मिट्टी का धन्धा । यह जनरल है । इस प्रकार के और भी कई धन्धे हैं जो कुटीर उद्योगों में शामिल किये जा सकते हैं । इन उद्योगों में लगे लोगों के सामने बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं, जिनको सरकार हल कर सकती है । जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को बनाने के लिए चलता है तो सबसे पहले उसको कच्चे माल के लिए पैसे की जरूरत होती है । मैं अभी बताऊंगा कि इसके लिए गवर्नमेन्ट किस प्रकार से मदद कर सकती है ।

कुटीर उद्योग वाले लोग अपना भरण पोषण चाहते हैं । वे चाहते हैं कि उनमें बेकारी न रहे । चीजें बनाने के बाद भी उनके सामने बड़ी भारी एक समस्या जो आती है और वह यह आती है कि उन चीजों को किस प्रकार से बेचें । कई चीजों को बना लिया है और दूसरे दिन वे नहीं बिकीं तो उनके सामने यह अड़चन आ जाती है कि नया माल किस प्रकार तैयार करें । दूसरी बड़ी समस्या जो आती है उनके सामने, वह यह है कि वे बड़े उद्योगों के मुकाबले में किस प्रकार ठहर सकें । न तो आज इस परिस्थिति में उन बड़े उद्योगों के सामने वे ठहर सकते हैं और न ही उनके पास मार्केट हैं जहां कि अपनी बनी हुई चीजों को बेंच सकें । यदि सरकार उनको प्रोत्साहन दे, सहयोग दे तो ये कुटीर उद्योग काफी पनप सकते हैं और उनके बच्चों को रोटियां मिल सकती हैं । इसके लिए सरकार के सामने मेरे सुझाव हैं । सारे राजस्थान में इन छोटे-छोटे उद्योग में फैले हुए काफी लोग हैं जो आज बेकार हैं, और जिनको रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, उनके लिए सरकार यह करे कि उनको रुपया दे, मदद दे, लोन दे । यदि सरकार इस पोज़िशन में नहीं है कि ज्यादा दे सके, तो जिस सरकार के सामने समाजवादी समाज की रचना की कल्पना है, उस ढांचे को सरकार पूर्ण रूप से न बना सके और समाजवादी ढांचे में परिणत होना चाहती है एवं पूर्ण रूप से कदम नहीं उठा सकती है तो फिलहाल हमारी सरकार का कदम यह हो सकता है कि उन कुटीर उद्योगों को पनपाने के लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम ५० लाख, ७५ लाख और यदि आवश्यकता हो सके तो १ करोड़ रुपयों का एक फन्ड कायम किया जाय और उसको डिस्ट्रीब्युट करें । इस तरह से करें कि हर तहसील और जिले में इन उद्योगों में फैले हुए व्यक्ति हैं, यदि वे लोन मांगने आवें तो उनको लोन दें, चीजें बेंचने के लिए आवें तो हर तहसील और जिले में सरकार की इस प्रकार की दूकानें खोल दी जावें जिससे जो व्यक्ति अपनी चीजें बेंचने आवें, मुड्डा, गाढ़ा कपड़ा, लोई, चमड़े की चीजें; तो उनको उन दूकानों

(श्री मोहरसिंह)

पर ले लिया जावे और उन चीजों के एवज़ में यदि किसी को ४०, ५०) की जरूरत है अगले दिन काम चलाने के लिए तो उनको दे दिया जावे और उनकी चीजें बिकें तो उनको दिया हुआ लोन उसमें काट कर बाकी की कीमत उनको सौंप दी जाय। इससे बड़ा फायदा तो यह होगा कि उनका समय नष्ट नहीं होगा और दूसरे दिन उसको अपना काम चलाने के लिए भी रुपया मिल जावेगा, जिससे कि उसके बाल बच्चों को रोटी मिल सकेगी। इस प्रकार से हर तहसील में सरकार की ओर से दुकानें खोल दी जावेंगी तो उस व्यक्ति को न तो अपना समय नष्ट करना पड़ेगा और नहीं दूसरों का मुंह ताकना पड़ेगा। इससे बेकार लाखों लोगों का समय इस ओर लग जावेगा और बेकारी की समस्या भी हल हो जावेगी; आम के आम और गुठली के दाम। लेकिन सरकार इस ओर ध्यान न देकर इनको नजरअन्दाज़ कर रही है और मोटी-मोटी फेक्टरियों को धन दे रही है, इससे वे आगे बढ़ती जा रही हैं और गरीब लोगों को रोटी के लाले पड़ रहे हैं।

मैं समझता हूं कि यदि सरकार इनको प्रोत्साहन देगी और जो विभिन्न कुटीर उद्योग हैं उनको पनपाने और सहयोग देने की भावना रखेगी तो हमारा प्रान्त बहुत आगे बढ़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह कटौती प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूं।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल) : श्री धन्नालाल हरित।

श्री धन्नालाल हरित (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, इस मांग पर मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं। पहला प्रस्ताव है कोटा जिले में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा उचित सहायता व ध्यान न देने के लिए विचार करना।

माननीय सभापति महोदय, एक समय था जब कि कोटा के इलाके में बारां, केथून, कोइला, मांगरोल हाथ कर्घा द्वारा वस्त्र उत्पादन के केन्द्र थे। लेकिन मिलों के सामने हाथ कर्घा उद्योग धीरे २ मंदा पड़ता गया और इसमें काम करने वाले लोग अहमदाबाद और सूरत की मिलों में काम करने के लिए चले गये। ज्यों त्यों करके आज भी १ हजार कर्घे बारां में, ८००-६०० कर्घे मांगरोल में, ५००-६०० कर्घे केथून में चलते हैं और थोड़े बहुत कर्घे यत्र-तत्र चलते ही रहते हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं इस बारे में अर्ज करूं कि सरकार की ओर से कर्घों को उन्नत औजार एवं सहायक यंत्रों की सप्लाई का प्रोविज़न है और इन हाथ कर्घों द्वारा बने कपड़े पर बिक्री में कुछ छूट दी गई है लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं सविनय निवेदन करूं कि इन हाथ-कर्घा उद्योग वालों को कुछ भी सहायता नहीं दी गई है, इससे हाथ कर्घा उद्योग खत्म होता जा रहा है। इसलिए माननीय उद्योग मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन है कि इन हाथ कर्घा उद्योग वालों को कुछ सहायता दी जाय ताकि हमारे इलाके का जो उन्नत उद्योग रहा है वह एक प्रकार से खत्म न हो जाय।

दूसरा सबसे ज्यादा यह होगा, भेड़ों से और खालों से उनको लाखों रुपये की आमदनी होती है सालाना, वह आमदनी बढ़ेगी अगर उन गलीचों को बाहर भेजा जाय। लेकिन गलीचों के कारखाने के बारे में, मेरा यह सुझाव है कि जिस तरह की परिपाटी है, नीति है कि पैसा लोन देकर गलीचों का या

(श्री धन्नालाल हरित)

अन्य कारखानों को खोलते हैं, तो इस प्रकार से कारखाने नहीं खोलने चाहिए। जो भेड़ों के गड़रिये हैं उनको लोन दिया जाय और उनके ही अन्दर में कारखाने खोलने चाहिये जिससे कि गलीचों पर मुनाफा होगा उनके पास रहे। उनको बाहर भेजने का इन्तजाम आप करें। इससे मैं समझता हूं कि उन गड़रियों को फायदा होगा।

सभापति महोदय, इस प्रकार से मेरा दूसरा कट मोशन है वह ऊन उद्योग के विस्तार के लिए है। उससे मेरा मतलब यह था सभापति महोदय, कि आज दिन में हम देखते हैं कि सरकार लाखों रुपये उन उद्योग के अन्दर लगा रही है, भेड़ पालने के अन्दर लगा रही है, नस्ल सुधारने के लिए तथा अन्य चीजों के लिए सरकार ने लाखों रुपये सालाना बजट के अन्दर रखे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि न तो भेड़ों का सुधार हो रहा है और न गडरियों की आर्थिक हालत ठीक हुई है और न उनकी नस्ल में सुधार हुआ है। इस हालत के अन्दर आपको कम से कम जो विशेषज्ञ हों, जो इस चीज़ के विशेषज्ञ हों, उनसे राय लेकर काम करना चाहिए और यह पैसा लगाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि आज दिन तक भेड़ और ऊन उद्योग की उन्नति में सबसे ज्यादा बाधक एक चीज़ है, जिसकी ओर ध्यान, न राज्य सरकार का और न इस सदन का जाता है वह है जमीन की कमी। राज्य के अन्दर दिन प्रति दिन आबादी बढ़ रही है, और आबादी के बढ़ने के साथ साथ आज दिन जमीन की कमी आ रही है। भेड़ के चरने से जमीन की उत्पादन शक्ति घटती है। यह एक किसान के दिमाग में एक चीज़ है। इस कारण किसान ज्यादा दिनों तक भेड़ों को खेतों में चरने के इजाजत नहीं देते हैं। यह मामूली समस्या नहीं है। इस पर राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है। इसके बारे में प्रश्न भी पूछते हैं तो उत्तर दिया जाता है कि जिन पंचायतों को चारागाह छोड़े हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपका कटौती प्रस्ताव गडरियों की अनिवार्य शिक्षा पर वाद-विवाद करने पर है; यह चरागाह का प्रश्न कहां से आया है? आप मूल प्रश्न से विषयान्तर हो रहे हैं। आप जारी रखें।

श्री गिरधारीलाल : मेरे पास लिस्ट नहीं है। इसका मतलब है कि मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं।

श्री सभापति : मैं सूचना दे रहा हूं कि आपका कटौती प्रस्ताव है, ऊन उद्योग को उन्नत करने के लिए गड़रियों को अनिवार्य शिक्षा पर वाद-विवाद करने हेतु। उसका तात्पर्य चरागाह से नहीं, उनकी ट्रेनिंग से है।

श्री गिरधारीलाल : मेरा कटमोशन ३३८ पर आया है ऊन उद्योग को उन्नति करने पर वाद-विवाद करने हेतु। उस पर मैं बोल रहा हूं।

श्री सभापति : जो प्रतिलिपि मेरे पास हैं उसमें उसमें इस प्रकार है।

श्री गिरधारीलाल : ३३८ का मेरे पास है। मुझे इजाजत दी जाय।

श्री सभापति : आप जारी रखें।

श्री गिरधारीलाल : मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार

(श्री गिरधारीलाल)

गड़रियों के लिए किसी प्रकार से चारागाह का इन्तजाम करे। जमीन की कमी है यह सरकार के सामने है । जहां तक मैं सोचता हूं कि भाखरा, राजस्थान केनाल एरिया को छोड़कर जो जमीन बचती है, जिनमें खेती नहीं हो सकती है, सरकार किसी प्रकार से कोशिश करे कि उन किसानों को भाखरा के एरिया में बसाये और जो जमीन पड़त भूमि होगी उसमे १, २ या ३ हजार बीघा भेड़ों के लिए डिक्लेअर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि चारागाह की समस्या हल हो सकती है।

इसी प्रकार से गडरियों के सामने समस्या पीने के पानी की है। पीने के पानी की कमी के कारण गड़रियों को खाना बदोश की जिन्दगी बसर करनी पड़ती है। इस प्रकार से एक तहसील से दूसरी तहसील में, एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमना पड़ता है....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनकी प्राइमरी शिक्षा का इन्तजाम कैसे होगा ?

(हंसी)

श्री गिरधारीलाल : उनके लिए चलते-फिरते विद्यालय खोलें।

इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार कि मैंने अभी बताया दो-तीन तहसीलों को चरागाह के लिए दे दें, और वहां के लोगों को दूसरे एरिया के अन्दर जमीनें दे दें, और वहां पर भेड़ चराने का इन्तजाम करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी समस्या उन गड़रियों के सामने हैं। उनकी यह समस्या जब तक हल नहीं हो जाती है तब तक मैं सोचता हूं कि न तो नस्ल-सुधार होगा और न भेड़ सुधार होगा और न ऊन में सुधार होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं जो मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव है, उसके ऊपर दो शब्द कहना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज दिन हमारी भेड़ों के अन्दर जो....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका तीसरा कटौती प्रस्ताव तो कोई भी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : आपने कहा था कि है।

श्री सभापति : मैंने नहीं कहा। आपको गलफतहमी हुई है। आपके दो कटौती प्रस्ताव हैं और दोनों पर आप बोल चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल : आपने फरमाया था। माफ करें कि गडरियों की अनिवार्य शिक्षा के बारे में कटौती प्रस्ताव है। वह क्या मेरा है ?

श्री सभापति : वह पोर्शन डिसएलाउ कर दिया गया है। बाकी पर आप बोल चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल : इसमें मेरे साथ अन्याय हुआ है।

श्री सभापति : अन्याय नहीं, पूरा न्याय है।

श्री गिरधारीलाल : आपने खुद ने पढ़ा था। गड़रियों की अनिवार्य शिक्षा से मेरा मतलब यह था....

श्री सभापति : माननीय सदस्य से मैंने यह निवेदन किया था कि अनिवार्य शिक्षा के बारे में जो कटौती प्रस्ताव रखा था उतना पोरशेन डिसएलाउ कर दिया गया है। आप ऊन उद्योग के विकास के बारे में बोल रहे थे, उसको जारी रखें।

श्री गिरधारीलाल : उसी के बारे में बोलूंगा । गडरियों की आर्थिक स्थिति खराब है, और गडरियों को इधर उधर फिरना पड़ता है । भेड़ों के लिए चारागाह का स्थान नहीं होने के कारण और पीने के पानी की कमी के कारण इधर उधर फिरने के कारण उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, इस कारण वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि सरकार लाखों रुपए लगाये ऊन की उन्नति के लिए लेकिन जब तक आप इस श्रेणी के लोगों को जो कि भेड़ पालक हैं, गड़रिये हैं, उनको शिक्षित नहीं करते हैं, तब तक मैं समझता हूं कि न तो गड़रियों का फायदा कर सकते हैं और न भेड़-पालकों का और न भेड़ों का ही ।"

मैं सोचता हूं कि डाक्टर और कम्पाउन्डर्स जो भेड़ों के जानकार हैं, गांवों के अन्दर जाते हैं । कुछ कम्पाउन्डर और कुछ डाक्टर ऐसे हैं कि जो गांव में जाते हैं और एक हजार भेड़ें गांव की हैं उनके लिए गांव वालों को सूचना देते हैं कि भेड़ों के अन्दर माता है, आप टीका लगवा लें । मैं उस गांव का भी नाम बता सकता हूं । वहां टीका लगा है और टीका लगाने के बाद जितनी भेड़ोंको टीका लगाया गया वे सारी की सारी भेड़ें मरी हैं । लेकिन, सभापति महोदय, वे क्यों मरीं तत्काल, कि जिन भेड़ों के टीका लगाया तो सिवाय चेचक के अन्य बीमारी का टीका लगा दिया, या अन्य काम हो सकता है। इससे साफ ज़ाहिर है कि जो स्कूलों और कॉलेजों से कम्पाउन्डर और डाक्टर जाते हैं उनको भेड़ों के बारे में समुचित ज्ञान नहीं है । इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आप, जो गडरिये हैं, भेड़ों के पालक हैं, उनको शिक्षित करें जिससे कि भेड़ों की नस्ल सुधारी जा सके । जिससे कि ऊन का उत्पादन बढ़ाया जा सके, जिससे कि राज्य की बेकारी और राज्य की आर्थिक हालत ठीक हो सके । यह उद्योग ऐसा है कि जिस पर यदि ध्यान दें तो राज्य की आर्थिक हालत ठीक हो सकती है । इसलिए गड़रियों को ऐसी शिक्षा दी जाय, भेड़ों की नस्ल सुधारने के बारे में और भेड़ों की बीमारी के बारे में और कम से कम, इतना नहीं करते हो तो जिस आदमी को अनुभव नहीं हो कि बीमारी क्या होती है, भेड़ों में कौन सी बीमारी आती है और ऊन का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, नस्ल कैसे सुधारी जा सकती है, इन चीज़ों का जिसे ज्ञान नहीं हो तो वह भेड़ें नहीं खरीद सकता है । अगर आप इतना प्रतिबन्ध लगा दें तो मैं जानता हूं कि आज तक जो लाखों रुपये लगते हैं उनको सही उपयोग में ला सकते हैं, और ऊन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह कटमोशन सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं ।

श्री धन्नालाल हरित : माननीय सभापति महोदय, मेरा ३३५ नम्बर का कटमोशन रह गया है , वह दो मिनिट लेगा ।

श्री सभापति : आपको अनुमति है।

श्री धन्नालाल हरित : सभापति महोदय, मेरा ३३५ नम्बर का कटमोशन बारां के चमड़ा उद्योग ट्रेनिंग सेन्टर को दुबारा चालू करने पर विचार करने के लिए है । माननीय सभापति महोदय, चार-पांच साल पहले ब्राह्मण देवताओं की धर्मशाला में यह चमड़ा उद्योग ट्रेनिंग सेन्टर खोला गया था और करीब २ आठ या नौ हजार रुपये इस पुरानी बिल्डिंग को सेन्टर चलाने के लायक बनाने में सरकार का खर्च हुआ । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता

(श्री धन्नालाल हरीत)

है कि यह ट्रेनिंग सेन्टर ८ महीने भी पूरा नहीं चला तब से बन्द पड़ा है। इसलिए मेरा यह कटमोशन है कि जितने रुपये सरकार के इस पर खर्च हुए हैं, उसके एवज़ में कुछ लाभ इस उद्योग से हो और यह दुबारा चालू कर दिया जाय। यही मेरा उद्योग मन्त्रीजी से, आपके द्वारा सभापति महोदय, कहना है।

दूसरा उद्योग हमारे यहां कागज बनाने का है। कोटा स्टेट के युग में सारा सरकारी कागज वहां का बनाया हुआ होता था और उससे वहां के लोगों को बहुत कुछ आर्थिक सहायता मिला करती थी। लेकिन जब से राजस्थान बना है तब से इस उद्योग को किसी प्रकार भी सहायता नहीं मिली है। इन कागजों के लिये जितना पहले प्रोवीज़न था, अब उसके लिये कुछ भी नहीं रखा गया है और न इस उद्योग को कोई सहायता ही दी गई है कालान्तर में यह हो सकता है। कि यह उद्योग भी बिल्कुल खत्म हो जाय।

सभापति महोदय, हमारे यहां इरन्डी के पेड़ अधिक तादाद में होते हैं और यह कहा जाता है कि इरंडी के तेल से बना हुआ साबुन अधिक अच्छा होता है और इस तरह से साबुन बनाने का भी काम हमारे यहां बहुत अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया है इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय उद्योग मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस काम की ओर भी ध्यान दिया जाय।

माननीय सभापति महोदय, जो व्यक्ति पहले हाथ कर्घे से पेट-पालन करते थे, आज मिलों के कपड़े के प्रचलन के बाद में इन व्यक्तियों ने निस्सहाय होकर बीड़ी बनाने की ओर ध्यान दिया है। हमारे इलाके में तेन्दू के पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं, वहां का पत्ता दूर-दूर तक बाहर जाता है और इस प्रकार इस इलाके में बीड़ी बनाने का बहुत बड़ा कारोबार है और जो बीड़ी बनाने के कारखाने वाले हैं। वे बड़े-बड़े पूंजीपति हैं और वहां के लोग एक मजदूर की तरह उनके यहां काम करते हैं अगर इस उद्योग की ओर भी थोड़ा ध्यान दिया जाय तो जो आज मजदूर बने हुए हैं वे व्यक्ति खुद मालिक बन सकते हैं, इस वास्ते उद्योग मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस तरफ भी ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, किशनगंज तहसील काश्तकारी इलाके के साथ साथ जंगली इलाका भी है, वहां पर मधुमक्खी पालन का बहुत अच्छा काम होता रहा है। वहां का शहद दूर-दूर तक जाता है। अगर सरकार मधुमक्खी पालन की ओर, इस इलाके में ध्यान दे तो यह कार्य बहुत अच्छा हो सकता है।

सभापति महोदय, अब मैं चर्म उद्योग के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। एक युग था जब कि कुरम का जमाना नहीं था, जगह-जगह से चमड़ा हमारे इलाके में आता था और वहां पर इसके जूते या अन्य सामान बनाया जाता था। लेकिन आज इस कुरम के युग में उल्टी गंगा बह रही है, वहां का चमड़ा कानपुर जा रहा है और इस चमड़े से कानपुर की फेक्ट्रियों में कुरम बनाया जाता है। इस प्रकार हमारे यहां जो पहले रॉ मेटीरियल हमारे यहां ही काम आता था, वह आज कानपुर की फैक्ट्री में जाकर मालिकों के मुनाफा का कारण बना हुआ है। अगर हमारी सरकार जिस प्रकार की फैक्ट्रियां कानपुर में हैं उसी प्रकार की यहां बना देती है तो जो हमारे यहां का रॉ मेटीरियल है वह दूसरे इलाके में न जाकर हमारे यहां ही काम में आ सकता है।

(श्री धन्नालाल हरित)

सभापति महोदय, अब मैं बांस उद्योग पर आता हूं । हमारे यहां बांस बहुत अधिक तादाद में पैदा होता है और बांस का कार्य करने वाले ज्यादातर पिछड़ी जाति के लोग अधिक हैं । सभापति महोदय, मैं आपसे यह अर्ज करूं इस उद्योग की आज यह अवस्था हो गई है कि यह कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि यह उद्योग एक प्रकार से खत्म सा हो गया है । अभी कुछ समय पहले हमारे मुख्य मंत्री घट्टाबट्टी गांव में दौरे पर पधारे थे माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करूं जो बांस का कार्य करने वाले व्यक्ति थे, उन आदमियों से वहां पर काम न करवा कर बांस के टट्टे घट्टाबट्टी में झोपड़े बनाने के लिये मद्रास से मंगाये गये हैं । इस प्रकार से वहां बसने वाले शरणार्थियों पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है । इस वास्ते मैं आपसे अर्ज करूं, जो झोपड़ियें बनायी गई हैं, जिनसे एक पार्टीशन दीवार है उस पर ११५० रुपए की लागत आयी है । सभापति महोदय, अगर यहां का उद्योग अच्छी अवस्था में होता तो, मेरा ऐसा ख्याल है कि इस प्रकार की झोपड़ियां पांच सौ रुपए में बन गई होतीं और वे बांस के टट्टे मद्रास से न मंगवाये जाते ।

अब मैं ऊन के उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे यहां और जगहों की तरह भेड़ पालन का कार्य भी चलता है । हमारे यहां भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो परम्परागत कम्बल बनाने का काम करती हैं । माननीय सभापति महोदय, वहां भेड़ों के प्रजनन के लिए वित्तीय सहायता अगर सरकार की तरफ से दी जाय तो इसका विकास हो सकता है ।

श्री बहादुरसिंह : क्या ऊन कोटा में भी होती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बीकानेर के अलावा बहुत से इलाके हैं जहां ऊन होती है ।

श्री धन्नालाल हरित : (जारी रखते हुए) सभापति महोदय, ऊन इत्यादि के प्रशिक्षण के लिए बहुत सी जगह केन्द्र बने हुए हैं मुझे बड़े अफसोस के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि इस कोटा के इलाके की तरफ सरकार द्वारा संचालित इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं है और इस कार्य के लिए वित्तीय सहायता भी नहीं दी गई है । इस वास्ते मुझे सन्देह है कि कहीं यह उद्योग कालान्तर में खत्म न हो जाय ।

इसके बाद लोहा निकालने का उद्योग आता है । सभापति महोदय, शाहाबाद तहसील में कुन्डापुर ऐसा कस्बा है जहां पर छोटी-छोटी भट्टियों से लोहा निकालने का काम होता था । आज भी वे भट्टियां किसी न किसी अवस्था में मौजूद हैं और उनसे यह मालूम होता है कि यहां पर किसी जमाने में लोहा निकाला जाता था । शाहाबाद के पास राजनगर एक गांव है जहां के सरौते, उस्तरे, कैंचियां, ताले इत्यादि मशहूर हैं, अगर उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जाय तो और भी उन्नति वे कर सकते हैं ।

माननीय सभापति महोदय, छबड़ा में बागवानी का काम भी बहुत अधिक होता है; छोटा सा वह कस्बा है लेकिन वहां बहुत अधिक बगीचे हैं । मैं आपसे अर्ज करूं, जब बम्बई जैसे नगर में नागपुर का संतरा दो आने में बिकता है तो वहां छबड़ा का संतरा

(श्री धन्नालाल हारीत)

तीन आने में बिकता है। जब मुख्य मन्त्री छबड़ा पधारे थे........

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या वहां नारंगी की कोई इन्डस्ट्री खोली जायगी।

श्री धन्नालाल हरित : (जारी रखते हुए) अगर माननीय सदस्य मेरी बात सुन लेते तो ज्यादा ठीक रहता।

श्री सभापति : आप इनको भी निमन्त्रण दीजिये गर्मियों में आने के लिये।

श्री धन्नालाल हरित : (जारी रखते हुए) मैं यह अर्ज कर रहा था सभापति महोदय, कि अगर बागवानी करने वालों को थोड़ी बहुत वित्तीय सहायता दी जाय तो इस कार्य की उन्नति हो सकती है और राजस्थान में यह कार्य काफी अच्छी उन्नति कर सकता है।

माननीय सभापति महोदय, वस्त्र रंगने का काम भी पहले बारां में बहुत अच्छा होता था। हम सुनते हैं, सांगानेर की छपाई बहुत मशहूर थी लेकिन बारां की छपाई भी उससे किसी प्रकार कम नहीं है। आज भी वहां पर छपाई का और वस्त्र रंगने का बहुत अच्छा कारोबार होता है, लेकिन उन लोगों को किसी प्रकार की भी अभी तक वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। इसके बाद कुल मिलाकर माननीय सभापति महोदय, अगर मैं अर्ज करूं कि जिस प्रकार से बड़े-बड़े उद्योगों को यह वित्तीय सहायता दी जाती है जैसा कि माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री को, जिसका जिक्र इस सदन में बहुत चलता है अगर उस सीमेंट फैक्ट्री को ६० लाख रुपये के बजाय ५० लाख रुपया ही दिया जाता और १० लाख रुपया इन छोटे-छोटे उद्योगों पर खर्च कर दिया जाता, तो शायद जिस प्रकार से वह फैक्ट्री आज चमक दमक से प्रफुल्लित है, इन छोटे-छोटे उद्योगों पर थोड़ा सा शो आ जाता। इसलिए माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि थोड़ा इधर भी ध्यान दें और जैसे बड़े-बड़े उद्योग पनप रहे हैं ऐसे ही छोटे उद्योगों को पनपाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): सभापति महोदय, मांग संख्या २१ पर मेरे दो कट-मोशन्स हैं। पहला कटमोशन मेरा यह है, जिसमें मैंने यह मांग की है कि बीकानेर शहर के अन्दर एक गलीचों का कारखाना सरकार लगाये। सभापति महोदय, हमारे प्रान्त में यह दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है और दूसरी योजना का यह तीसरा साल है लेकिन हम देख रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार उद्योगों की तरफ, उद्योगों के विस्तार की तरफ कम ध्यान दे रही है, जब कि केन्द्रीय सरकार बजट का १२ प्रतिशत उद्योगों के अन्दर लगाने का विचार रखती है और हमारी राज्य सरकार बजट का कुल ५ प्रतिशत हिस्सा ही उद्योगों में लगाने का विचार रखती है।

सभापति महोदय, अगर हमें राज्य को उन्नतिशील बनाना है और यहां के लोगों की आर्थिक हालत ठीक करनी है और यहां से बेरोजगारी को हटाना है तो सबसे पहले कृषि के साथ-साथ कुटीर उद्योग और हैवी इन्डस्ट्रीज़ की तरफ भी ध्यान देना होगा। अगर हम उद्योगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम पिछड़े हुए रहेंगे। दूसरी ओर जब हम देखते हैं कि जैसा पहले माननीय सदस्यों ने

(श्री गिरधारीलाल)

इस चीज़ का जिक्र किया है कि सरकार की कोई उद्योग सम्बन्धी नीति नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मेरा भी यही विचार है कि सरकार की कोई औद्योगिक नीति नहीं है। बराबर इस सदन में कहा जाता है कि सरकार की इन्डस्ट्रीज़ के बारे में कोई नीति नहीं है। एक तरफ सरकार समाजवादी सिद्धान्त को मान चुकी है और दूसरी तरफ निजी उद्योगों को पनाह दे रही है। माननीय सभापति जी, आपको याद होगा कि पिछली दफा भी मैंने सदन में कहा था कि सरकार निजी उद्योगों के अन्दर जितना भी पैसा लगाती है उस पैसे की सरकार के पास कोई गारन्टी नहीं है कि वह उसके पास वापिस आयेगा भी या नहीं। लाखों रुपया प्राइवेट संस्थाओं को लोन के रूप में दे रखा है जो कि या तो संस्थायें बन्द हो चुकी हैं या उनका दिवाला निकल चुका है। इस तरह से यह साबित होता है कि यह रुपया जो कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, वह लाखों रुपया प्राइवेट संस्थाओं को देकर के, हमारे राज्य के अन्दर औद्योगिक विकास और विस्तार करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि यह भूल होगी सरकार की। सभापति महोदय, सरकार को चाहिए कि जितने भी उद्योग आप खोलें, चाहे कोई भी हो, वह राज्य के क्षेत्र में होना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी सरकार ने कभी यह सर्वेक्षण नहीं किया कि कौन सा उद्योग हमारे यहां ज्यदा पनप सकता है जिससे बेरोजगारी दूर हो और राज्य का हित भी हो सके। जहां तक मैं सोचता हूँ यहां दूसरे उद्योगों के साथ-साथ ऊन उद्योग ऐसा है कि जो हमारे राज्य में काफी प्रगति कर सकता है। सभापति महोदय, मैंने बीकानेर के अन्दर गलीचे का कारखाना लगाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मैं आपको बताऊं कि बीकानेर की ऊन बाहर भेजी जाती है, फोरिन में भेजी जाती है और वहां उसके गलीचे आदि बनते हैं। हमारे राजस्थान के अन्दर ७३ लाख भेड़ें हैं और हमारे यहां राजस्थान के अन्दर २॥ लाख मन ऊन होता है और यह बीकानेर और ब्यावर के अन्दर सबसे अधिक होता है। लेकिन इस बीकानेर और ब्यावर की ऊन में डिफरेन्स यह है कि बीकानेर की ऊन से गलीचे अच्छे बनाये जा सकते हैं और ब्यावर का ऊन, चूंकि नरम होता है इसलिए उस ऊन से कम्बल अच्छे बनाये जा सकते हैं। यहां के ऊन को बाहर भी भेजा जाता है और इस बीकानेर की ऊन से वहां कम्बल नहीं बनते बल्कि गलीचे बनते हैं जो कि पांच-पांच और दस-दस हजार में बिकते हैं। कल मैंने सभापति महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव रखा था और उसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय का उत्तर था कि वहां के मजदूरों में, जो बेकारी फैली हुई है उसको दूर करने के लिए यह प्रस्ताव मैंने रखा था। उसका जवाब नहीं देकर उन्होंने यह कहा था कि ऊन के भाव गिर गए तो हम क्या करें और आगे उन्होंने कहा कि ऊन का स्टॉक किसी के पास ज्यादा हो गया होगा इसलिए भाव गिर गए होंगे। कल मैंने बताया था कि ऊन का स्टॉक कोई बढ़ा नहीं है और हमारे यहां राजस्थान में ७३ लाख भेड़े हैं वे पहले थी और अब भी हैं कोई उनकी संख्या बढ़ी नहीं है। हां, उनकी कुछ तादाद बढ़ी है लेकिन तादाद इतनी बढ़ी कि जिससे ऊन की कीमतें बढ़ गईं। मैं समझता हूं कि ऐसा जवाब बिना अध्ययन किए नहीं देना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, यहां से ऊन फॉरिन में जाती है और फॉरिन के अन्दर जाने पर अगर वहां के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटता है तो उसका सीधा असर हमारे गडरिये पर पड़ता है। माननीय सभा-

(श्री गिरधारीलाल)

पति महोदय, यह प्रस्ताव इसलिए रखा है कि जो ऊन यहां से बाहर जाती है उसमें इतना खर्च होता है, जायज़ भाड़ा पड़ता है; विलायत जाकर रूस, अमेरीका वगैरह जाकर वहां गलीचे बनते है, तो क्यों नहीं हमारी राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान देती है कि बीकानेर के अन्दर, जो कि बीकानेर की ऊन सबसे ज्यादा मशहूर है उसको बाहर न भेज कर यहां पर ही एक कारखाना खोले ? इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो यह होगा कि जो भाव में उतार–चढ़ाव आता है और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार बना हुआ है और आज ब्रिटेन के अन्दर सर्दी कम पड़ती है और और वहां कपड़ा कम खरीदते हैं तो वहां का असर यहां के गड़रिये पर पड़ता है और साथ ही व्यापारियों के ऊपर भी असर पड़ता है। हम इसको किस प्रकार से रोक सकते हैं ! हम हमारे यहां बीकानेर में गलीचों का कारखाना लगाकर ऊन के भाव में जो उतार–चढ़ाव आता है इसका असर गड़रियों पर नहीं पड़ेगा और न ही व्यापारियों पर पड़ेगा। दूसरे, बीकानेर शहर के अन्दर जो दो हजार मजदूर काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं अगर कारखाना खुल जाये तो उनको अच्छी तरह से काम मिल सकता है, और भी वहां के जितने बेकार लोग हैं, उनको काम मिल सकता है और जो बेकारी फैली हुई है वह दूर हो सकती है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : सभापति महोदय, मैं अपने कट मोशन पर विचार प्रकट करूं इससे पहले यह बताना चाहूंगा कि कि हमारे राज्य सरकार की जो आर्थिक नीति इस समय चल रही है, वह अत्यन्त ही अस्पष्ट है और अदूरदर्शितापूर्ण है। अस्पष्ट इस माने में कहूँगा कि जहां एक ओर राजस्थान में उद्योग बंद हो रहे हैं, उस अ सरकार ध्यान नहीं दे रही है; जैसे कोटा की कोटन मिल, किशनगढ़ की कोटन मिल, ग्लास फैक्ट्री, मैच फैक्ट्री वगैरह। कोटा की और दूसरी ओर भारी उद्योगों को भारी रकम दी जा रही है; जैसे सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री आदि। अदूरदर्शितापूर्ण इस माने में कहूँगा कि एक ओर जो बुनकर कपड़ा बुनते थे, उनको सहायता देने के बजाय खादी ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। एक और उद्योग तेल घाणी उद्योग के नाम से नया चला है, उसके प्रारम्भ होने से एक ओर यह उद्योग चला है तो दूसरी ओर जो तेली अपनी घाणियों से तेल निकालते थे, वे खत्म हो गए हैं। इस प्रकार की अस्पष्ट नीति को लेकर सरकार चल रही है। आज आवश्यकता इस बात की थी कि स्वतन्त्रता के बाद राजस्थान को अंग्रेजों से जो निर्धनता, दरिद्रता और बेकारी विरासत के रूप में मिली है उसका सर्वे कराते कि राजस्थान में क्या क्या साधन हैं, कितना कुटीर उद्योग राजस्थान में प्रचलित है और अंग्रेजों के शासनकाल में पुराना उद्योग किस प्रकार नष्ट हो गया है और जो छोटे छोटे रूप में उद्योग चल रहा है उसका किस प्रकार विकास किया जा रहा है, इस प्रकार की बात थी।

कांग्रेस राज्य ने एक अर्थ–व्यवस्था जरूर बनाई। सबसे पहले उन्होंने डिक्लेअर किया कि हम राज्य को एक वेलफेअर स्टेट बनाना चाहते हैं राष्ट्रीयता के आधार पर। जब वह नहीं चल सका तो फिर कहा कि दूसरा नक्शा सोशलिस्टिक स्टेट को लाना चाहते हैं। सोशलिस्टिक स्टेट का नारा लगाने वाले समाजवाद की स्थापना नहीं कर सके, तब कहा कि हम सोशलिस्टिक पेटर्न को लानार

Page No.105

(श्री दयाकृष्ण)

चाहते हैं। समाजवादी ढांचा लाने के नाम पर काम शुरू किया।

अब इसमें दो तरह की व्यवस्था सामने आती है। एक तो प्राइवेट एन्टरप्राइज को प्रोत्साहन देती है और दूसरी व्यवस्था के अनुसार सब पर कब्जा करके स्टेट द्वारा संचालन कराने की व्यवस्था को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार दोनों ही रास्तों पर घुल-मिल कर चलना चाहती है। लेकिन जहां प्राइवेट इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने से व्यक्तिगत पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिलता है वहां नेशनलाइज़ेशन का नारा दिखाई देता है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कुछ और सदस्यों ने भी इसका जिक्र किया था। लेकिन जितना बुरा व्यक्तिगत पूंजीवाद हो सकता है, उतना ही बुरा राजकीय पूंजीवाद भी हो सकता है। हमको दोनों के बीच में से मार्ग निकालना पड़ेगा। हमारे सामने तीन तरह के उद्योग हैं। एक तो आधारभूत बड़े बड़े विशाल उद्योग, दूसरे वे उद्योग हैं जो व्यक्तिगत पूंजी से चलते हैं। वे बहुत बड़े नहीं कहे जा सकते, लेकिन मंझले रूप में हैं और तीसरे वे आते हैं जो व्यक्ति कुछ पूंजी लगा कर अपने परिश्रम और श्रम से चलाते हैं और छोटे बाजार को लेकर आजीविका चलाते हैं।

अब इन तीनों उद्योगों के लिए क्या नीति होनी चाहिए थी, यह स्पष्ट नहीं है। प्रथम श्रेणी के उद्योग राजस्थान में मिलते नहीं हैं। यदि ऐसे उद्योग होते तो नेशनलाइज़ेशन का जो नारा होता मैं उसके पक्ष में होता। लेकिन दूसरी तरह के उद्योग; जैसे सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री, लाखेरी की फैक्ट्री आदि हैं, जिनमें व्यक्तिगत पूंजी लगी है और राजकीय सहयोग भी साथ में है। यह पूंजीवादी व्यवस्था है जिसके कारण एक व्यक्ति के हाथ में सारा कारोबार दिया जाता है और उसका सारा लाभ एक व्यक्ति को मिलता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारी अर्थ व्यवस्था संतुलित हो मजदूरों को साझेदारी का अधिकार देना चाहिए। उनको तमाम मिलों में, फैक्ट्रियों में और कारखानों में साझेदारी का लाभ मिले। उनकी मेहनत के प्रपोरेशन को आंक करके, जितनी मेहनत वे करते हैं उसका उतना लाभ उनको मिल सके, इस प्रकार के मेज़र्स अडॉप्ट करने चाहिये, जिससे एक आदमी के पास ही सारी मेहनत का फल नहीं चला जाय।

अब मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर आता हूं, 'कुटीर उद्योग की किस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिये'। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा कुटीर उद्योग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। अभी एक साथी ने जितने उद्योग बताये हैं उन सब में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं बताऊंगा कि आज राजस्थान में जितने उद्योग हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देकर उनका सर्वे नहीं कराया गया है। जैसा उन्होंने बताया चमड़ा उद्योग, मधुमक्खी पालन उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि; इस प्रकार के कितने ही उद्योग छोटे-छोटे गांवों में चला करते हैं। मैं थोड़ा सा सदन का समय लेता हुआ प्राचीन ग्राम्य अर्थ व्यवस्था की ओर सदन का ध्यान दिलाऊंगा। ग्राम में एक बढ़ई रहता है, लुहार रहता है, कुंभार रहता है, चटाई बुनने वाला रहता है, कपड़े बुननेवाला बुनकर रहता है। इस तरह से छोटा सा गांव है लेकिन आत्म निर्भर है और जो क्रम चलता है, वह इस प्रकार चलता है कि वे जो मजदूरी करते हैं, उत्पादन

(श्री दयाकृष्ण विजय)

करते हैं, वह जनता को देते हैं और जनता से बदले में कुछ लेकर अपना जीवनयापन करते हैं. इस प्रकार उनका जीवन चलता है। यदि किसान ने कपास पैदा किया है तो उससे वह कपास बुनकर के पास जाता है जिससे वह कपड़ा बुनता है और फिर वह कपड़ा समाज के पास आता है। इस प्रकार की अर्थ व्यवस्था गांवों में चलती है। लेकिन मैं कहूंगा कि कुटीर उद्योग की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

यदि मैं कोटा की ओर ध्यान दूं तो वहां पर बिजली आने वाली है। नहरों से कपास आदि की खेती होगी। मैं कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये, छोटे उद्योग जो एक व्यक्ति के द्वारा घर में चलाये जा सकते हैं। यदि बिजली आती है तो ऐसे छोटे-छोटे यान्त्रिक उद्योग लगाये जा सकते हैं जो व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन नहीं दें, लेकिन जो पारिवारिक उद्योग के हित में हों; तो यान्त्रिक उद्योग को लाना चाहिये।

मैं एक बात की ओर जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा जब कि यांत्रिक और बिजली की बात कहूं तो यह भी कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि औद्योगिक शिक्षणालय स्थापित करने चाहिये। हमारे राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने शोषण किया और लोगों के जीवन का विकास नहीं किया लेकिन आखिर हम अपने विकास की ओर चल रहे हैं तो हमें अपने विकास के लिये हरेक डिविज़न में, या डिस्ट्रिक्ट वाइज़ औद्योगिक शिक्षणालय स्थापित करने चाहिये ताकि गांवों के लोगों को शिक्षा दे सकें। जितने आधुनिक आविष्कार होंगे, वे मशीनों में होंगे। मैं आपके सामने उदाहरण दूंगा जापान के गृह उद्योग का। जापान एक ऐसा देश है जहां बड़े-बड़े उद्योग नहीं हैं। वहां पर परिवार की महिलाएं और पुरुष मिल कर छोटे-छोटे गृह उद्योग में काम करते हैं। हम जानते हैं कि राजस्थान में पैसा नही है, यहां के जनमानस की जेब खाली है। ऐसी अवस्था में हम यदि भारी कर्जा लेकर उद्योग का विकास करेंगे तो खराबी होगी और जितने लाभ का हमारा शेअर है, वह हमको नहीं मिलेगा। राजस्थान में जन-बल अधिक है और अर्थ-बल कम है, इसलिये यदि हम छोटे उद्योग का जापानी पद्धति पर प्रचार करें और गांव-गांव में इसका प्रचार करें तो अधिक लाभ हो सकता है और इसकी आवश्यकता है। इससे एक बार शुरू में कठिनाई आयगी, जैसा मैंने शुरू मे कहा था कि हम खादी उद्योग को प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन हमारे यहां के बुनकरों के लिये मार्केट नहीं है। कोटा की ओर ध्यान दिलाऊं, जैसा कि पूर्व वक्ता कह चुके हैं, उसका रिपीटिशन होगा। लेकिन मैं कहूंगा कि कोटा के जिन गांवों में बुनकर रहते हैं वहां पर उनके लिये मार्केट नहीं है। कोटा के घंटाघर के नीचे बैठ कर वे अपना काम चलाते हैं। आज आप खादी की बड़ी-बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता देते हैं लेकिन जो फुटपाथ पर बैठ कर बेचते हैं उनको कोई सहायता नहीं देते। आज आवश्यकता इस बात की है कि उनको राहत दें, यदि वे कोऑपरेटिव बेसिस पर चलाना चाहें तो उसके लिये उनको सहायता दें और शिक्षा दें जिससे वे कुछ अनुभव प्राप्त कर सकें। उनके लिये मार्केट की व्यवस्था भी करनी चाहिये। मान लीजिये बुनकरों ने संगठन किया लेकिन जो कपड़ा वे लेकर आते हैं, मोटा या खुरदरा होता है, उसके मुकाबले में मिल का कपड़ा सफाईदार और मुलायम होता है, उसके मुकाबिले में-

(श्री दयाकृष्ण विजय)

उनके कपड़े को कौन खरीदेगा क्योंकि मिल के कपड़े के अन्दर सफाई होगी और इस कपड़े में खुरदरापन हो सकता है ? हम चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर जो भूख से मरने वाले लोग हैं. बेकार लोग हैं, वे अपना जीवनयापन कर सकें, इसके लिए यह आवश्यक होगा कि एक सीमा निर्धारित करें, ऐसी सीमा कि इस सीमा के अन्दर मिल का कपड़ा बिकेगा और यह कपड़ा इस मार्केट में चलेगा। इसके साथ ही इस कपड़े की रेट्स भी निश्चित करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं, इस कपड़े पर अगर छूट दे दी गई बिक्री कर की, क्योंकि इस कपड़े का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा जीवकोपार्जन के लिए किया जाता है, किसी विशेष लाभ के लिए नहीं किया जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस कपड़े को बिक्री कर से माफ करना चाहिए और दूसरे जो टैक्स लगाये जाते हैं, उनको भी माफ करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर हर मनुष्य को संविधान के द्वारा अधिकार दिया गया है कि वह खर्च करे और उस खर्च से आजीविका का उपार्जन करे। हम देखते हैं कि हर आदमी खर्च करने के लिए बढ़ता है। मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्य के लिए उन्हें जो सहायता दी जाती है, उसके अन्दर पक्षपात नहीं होना चाहिए। आपको राजस्थान की औद्योगिक स्थिति और राजस्थान वित्तीय स्थिति का अनुभव करना पड़ेगा। आज जनता की आर्थिक स्थिति क्या है, उसके अनुसार ही आपको वित्तीय सहायता का वितरण करना पड़ेगा। एक तरफ अगर बड़े बड़े उद्योगों के लिए सरकारी सहायता दी जाय तो दूसरी तरफ कुटीर उद्योगों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि ट्रेज़री बेचेंज़ और विरोधी पक्ष से एक आवाज उठती है कि राजस्थान में चर्म उद्योग को, कपड़ा उद्योग को दूसरे दूसरे उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना है, उसकी तरफ ध्यान न दें। हमारे लिए यह आवश्यक है कि बजट के अन्दर जो गत वर्ष राशि रखी गई थी उससे भी कम इस बजट में रखें, हमें उस राशि को बढ़ाना चाहिए था। आवश्यकता यह थी कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नई योजना निकाले और उसके लिए अधिक से अधिक बजट रखे, अधिक से अधिक अधिकारी नियुक्त करे ताकि वे इस काम की तरफ देखें। इसलिए माननीय सभापति, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है; इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए और बजट में अधिक पैसा दिया जाना चाहिए और उस पैसे का समान वितरण किया जाना चाहिए। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ४ बजकर ५८ मिनट पर बृहस्पतिवार दिनांक २७-३-५८ के मध्याह्न पूर्व ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, २६ मार्च, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

बगड़ी में घटित आत्महत्या की घटना।

क्षय रोग अस्पताल, जयपुर।

कृषि अधिकारी भूतपूर्व अजमेर राज्य।

जन सम्पर्क कार्यालय।

जिला बोर्ड द्वारा संचालित-विद्यालय।

सार्वजनिक निर्माण विभाग व यातायात विभाग के कर्मचारियों की मांगों पर दिया गया निर्णय।

रसद विभाग, बारां के कर्मचारी द्वारा सरकारी रुपये का गबन।

सरकारी जीप द्वारा डिप्टी कलेक्टर जागीर विभाग, बाड़मेर के किसी लेखक का दुर्घटनाग्रस्त होना।

ग्राम पंचायत, अलीगढ़ (टोंक)।

पनरवा जंगल का ठेका।

चम्बल योजना।

हरिजन पंचों की नियुक्ति।

कृषि उन्नति हेतु किया गया प्रचार कार्य।

बीकानेर में बिजली का बन्द रहना।

मिलों और फैक्ट्रियों में घटित दुर्घटनायें।

श्री रफीअहमद किदवई के मकबरे के लिये संगमरमर पत्थर का दिया जाना।

स्कम्भ

५६७७ बांध निर्माण रूपनगढ़ (किशनगढ)।

राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक।

रायपुर (दीपावास) बांध-जिला पाली।

गंगानहर से दिया जाने वाला जल।

जालोर में बिजली लगाने की व्यवस्था।

सहकारी समितियां, पाली।

माही नदी (बांसवाड़ा) पर बांध बांधने की योजना।

टैक्सटाइल लेबर इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट।

मोटर स्टैन्ड, लालसोट।

कांस्टेबिलों व सब-इन्सपैक्टरों के लिये आवास की व्यवस्था।

चिकित्सालय कोटपुतली।

सिविल एसिस्टेन्ट सर्जन-प्रथम श्रेणी के चुनाव।

हनुमानगढ़-अबोहर सड़क।

लघु सिंचाई योजना।

चिकित्सालय अराई।

वृक्षारोपण आन्दोलन।

जैन मंदिर ग्राम सींदरी (किशनगढ़) में घटित चोरी की घटना।

नगरपालिकाओं हेतु मैन्युअल का का बनाया जाना।

कोटड़ा रेंज (उदयपुर)।

जोधपुरिया मांवसी बांध, निवाई तहसील धार्मिक प्रथा के अन्तर्गत पशुओं के छोड़े जाने पर प्रतिबंध।

स्तम्भ

राजस्थान विधान-सभा नियमावली २५३०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, ने राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन की नियमावली के संबंध में निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ :—

"That the House may proceed to make rules for regulating its procedure and the conduct of its business as contemplated by clause (1) of Article 208 of the Constitution of India and for that purpose may appoint a Select Committee of this House consisting of the following to examine the existing Rules of Procedure and suggest the Draft Rules for the consideration of the House. The Select Committee shall submit its report to the House by the first week of the commencement of the next session of the Assembly :—

1. Shri Badri Prasad Gupta.
2. „ Ram Kishore Vyas
3. „ Sajjan Singh.
4. „ Barkatulla Khan.
5. „ Hari Dev Joshi
6. „ Moti Lal Chaudhary.
7. „ Abid Ali.
8. „ Ram Prasad Ladha.
9. „ Laxmi Chand.
10. „ Bhairon Singh.
11. „ Raja Man Singh.
12. „ Raghubir Singh.
13. „ Narain Singh of Masuda.
14. „ Hari Shankar Sidhant Shastri.
15. Shrimati Sumitra Devi.

The general rules in respect of Select committees on Bills shall also apply to this Committee."

स्तम्भ

अनुदानों की मांगों पर मतदान

१. मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३८-चिकित्सा ५०३६

उपरोक्त मांग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों का उत्तर आज श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, द्वारा दिया गया। १६ कटौती प्रस्ताव वापिस ले लिये गये तथा शेष अस्वीकृत हुए। तत्पश्चात् मांग सदन द्वारा स्वीकार की गई।

२. मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय ५०७३

यह मांग श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित की गई, जिस पर निम्न सदस्यों द्वारा ३५ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

(१) डॉ० चन्द्रकला।
(२) रावराजा श्री सरदारसिंह।
(३) डॉ० बहादुरसिंह।
(४) श्री बालमुकुन्द।
(५) श्री भीमसेन।
(६) श्री पुरुषोत्तमलाल।

स्कम्भ

(७) श्री रामेश्वरदयाल ।

(८) श्री मुरलीधर व्यास ।

(९) श्री पी० के० चौधरी ।

(१०) श्री भैरवलाल कालाबादल ।

(११) श्री अनोपसिंह ।

(१२) श्री लच्छूराम ।

(१३) श्री मनरूपराम परिहार ।

(१४) श्री मोहरसिंह ।

स्कम्भ

(१५) श्री घन्नालाल हरित ।

(१६) श्री गिरधारीलाल ।

(१७) श्री दयाकृष्ण विजय ।

गुरुवार, दिनांक २७ मार्च. १९५८ की कार्य-सूची ।

अनुदान की मांगों पर मत-दान
(उद्योग, कृषि आदि) ।

———

परिशिष्ट '१

(कृपया प्रश्न संख्या ८८३ का उत्तर देखिये)

Local supply section Elec. & Mech. Department, Bikaner Interruptions in Elec. Supply during the month of Oct., 1957.

Date.	Effected Feeders of Area.	Off.	On	Total Hrs.	Duration Min.	Reasons.
1-10-57	H. T. Chotina Feeder	11-50 Hrs.	11-52 Hrs.	0	2	One Fuse blown off.
	-do-	12-00 ,,	12-02 ,,	0	2	-do-
	H. T. Ratangarh Feeder.	13-40 ,,	13-55 ,,	0	15	Chain broken of Boiler No. 4.
	H. T. Nokha Feeder.	14-25 ,,	14-27 ,,	0	2	One Fuse blown off.
	-do-	16-05 ,,	16-07 ,,	0	2	-do-
	-do-	17-08 ,,	17-10 ,,	0	2	-do-
2-10-57	H. T. Jasusar Feeder.	5-45 ,,	5-47 ,,	0	2	One Fuse blown off.
	H. T. Lalgarh ,,	9-10 ,,	9-12 ,,	0	2	-do-
	H. T. Jasusar ,,	19-15 ,,	19-16 ,	0	1	-do-
	-do-	20-05 ,,	20-06 ,,	0	1	-do-
3-10-57	H. T. Jasusar Feeder.	3-08 ,,	3-10 ,,	0	2	-do-
	L. T. Sudarshna College Feeder from Bhutta well S/S.	9-10 ,,	12-45 ,,	3	35	Line put off for providing Earth wire.

1	2	3	4	5 Hrs.	5 Min.	6
	H. T. Jasusar Feeder.	16-45 Hrs.	16-47 Hrs.	0	2	One Fuse blew off.
	H. T. Nokha Feeder.	17-53 „	17-55 „	0	2	-do-
	H. T. Jasusar Feeder.	23-35 „	23-37 „	0	2	-do-
4-10-57	H. T. Ratangarh Feeder.	8-35 „	16-50 „	8	15	Line Fault.
	L. T. Sudarahana College Feeder from Bhutta well S/S.	9-30 „	13-30 „	4	0	Line put off for providing earth wire.
	H. T. Nokha Feeder	10-36 „	10-39 „	0	3	One Fuse blew off.
	H. T. City Feeder H. T. Jasusar Feeder. H. T. Railway Feeder. H. T. Gajner Feeder. H. T. Chottina Feeder. H. T. Lalgarh Feeder. H. T. Nawalsagar Feeder.	10-36 „	10-37 „	0	1	Main Switch No. 1 and No. 2 at Main S/S tripped off.
	H. T. Nokha Feeder.	17-05 „	17-18 „	0	13	Insufficient Boiler steam.
	H. T. Nokha Feeder.	19-27 „	19-35 „	0	8	-do-
	H. T. Jasusar Feeder.	19-35 „	19-37 „	0	2	Changed over from Turbine to Diesel plant.
	H. T. Lalgarh Feeder.	19-45 „	19-47 „	0	2	One Fuse blew off.
	H. T. Jasusar Feeder.	21-37 „	21-40 „	0	3	Changed over from Diesel plant to Turbine.
5-10-57	H. T. Lalgarh Feeder.	4-30 „	4-32 „	0	2	One Fuse blew off.
	-do-	11-15 „	11-17 „	0	2	-do-

1	2	3	4	5 Hrs.	5 Min.	6
	H. T. Jasusar Feeder	17-50 Hrs,	17-52 Hrs.	0	2	Changed over from Turbine to-Diesel plant.
	-do-	21-45 ,,	21-47 ,,	0	2	Changed over from Diesel to Turbine.
6-10-57	H. T. Lalgarh Feeder.	8-05 ,,	8-07 ,,	0	2	One Fuse blew off.
	H. T. Jasusar Feeder.	9-23 ,,	9-25 ,,	0	2	Changed over from Turbine to Diesel plant.
	H. T. City Feeder.	10-03 ,,	10-50 ,,	0	47	Vaccum less and steam less in P.H.
	H. T. Ratangarh Feede.	10-10 ,,	10-25 ,,	0	15	Vaccum less and steam less in P.H.
	H. T. Lalgarh Feederr.	10-15 ,,	10-45 ,,	0	30	Vaccum less and steam less in P.H.
	H. T. Ratangarh Feeder.	10-28 ,,	10-40 ,,	0	12	Vaccum less and steam less in P.H.
	H. T. Jasusar Feeder.	10-20 ,,	10-22 ,,	0	2	Change over from Diesel plant to Turbine.
	H. T. Lalgarh Feeder.	16-05 ,,	16-08 ,,	0	3	One Fuse blew off.
	H. T. Ratangarh Feeder.	17-25 ,,	17-27 ,,	0	2	Switch Tripped.
	H. T. Ratangarh Feeder.	19-05 ,,	19-07 ,,	0	2	-do-
	H. T. Jasusar Feeder.	19-10 ,,	19-12 ,,	0	2	Change over from Turbine to Diesel plant.
	H. T. Gajner Feeder.	20-45 ,,	20-48 ,,	0	3	One Fuse blew off.
	H. T. Lalgarh Feeder.	21-25 ,,	21-27 ,,	0	2	-do-
	H. T. Lalgarh Feeder.	21-30 ,,	21-32 ,,	0	2	-do-
	H. T. Jasusar Feeder.	21-45 ,,	21-47 ,,	0	2	Change over from Diesel plant to Turbine.
7-10-57	H. T. Lalgarh Feeder.	8-00 ,,	8-02 ,,	0	2	One Fuse blew off.
	H. T. Lalgarh	8-02 ,,	8-2 ,,	0	2	-do-

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5 Hrs.	5 Min.	6
	H. T. Lalgarh	10-05 Hrs.	10-07 Hrs.	0	2	-do-
	H. T. Ratangarh Feeder.	13-35 ,,	13-40 ,,	0	5	Switch tripped.
	H. T. Nokha Feeder.	15-15 ,,	15-30 ,,	0	8]	Due to less steam in P.H.
	H. T. City Feeder.	15-15 ,,	15-23 ,,	0	8]	
	H. T. Jasusar Feeder.	15-28 ,,	15-30 ,,	0	2	Change over from Turbine to Diesel plant.
	-do-	18-28 ,,	18-30 ,,	0	2	One Fuse blew off.
	-do-	18-50 ,,	18-52 ,,	0	2	-do-
	H. T. Ratan garh Feeder.	19-05 ,,	19-06 ,,	0	1	Switch tripped off.
	H. T. Gajner Feeder.	20-08 ,,	20-10 ,,	0	2	One Fuse blew off.
	H. T. Jasusar Feeder.	23-03 ,,	23-05 ,,	0	2	Change over from Diesel plant to Turbine.
8-10-57	H. T. Ratangarh Feeder.	6-27 ,,	6-28 ,,	0	3	Switch tripped off.
	H. T. Jasusar Feeder.	9-20 ,,	9-22 ,,	0	2	Change from Turbine to Diesel plant
	-do-	11-48 ,,	11-50 ,,	0	2	Changed over from Diesel plant to Turbine
	-do-	13-25 ,,	13-27 ,,	0	2	Changed over from Turbine to Diesal plant
	H. T. Ratangarh Feeder.	13-30 ,,	13-31 ,,	0	1	Switch Tripped.
	-do-	15-40 ,,	15-42 ,,	0	2	-do-
	-do-	16-03 ,,	16-15 ,,	0	12	*Due to less steam in Boiler.*
	H. T. Gajner Feeder.	17-05 ,,	17-07 ,,	0	2	*One fuse blew off.*
	H. T. Ratangarh Feeder.	17-30 ,,	17-31 ,,	0	1	*Switch tripped.*
	-do-	17-50 ,,	17-51 ,,	0	1	-do-
	-do-	18-10 ,,	18-18 ,,	0	8	-do-

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5 Hrs.	5 Min.	6
	H. T. Ratangarh Feeder	18-34 Hrs.	18-37 Hrs.	0	3	Steam less due to low vaccum in P. H.
	-do-	18-43 ,,	18-57 ,,	0	14	
	-do-	19-00 ,,	19-15 ,,	0	15	
	-do-	19-18 ,,	19-30 ,,	0	12	
	-do-	19-33 ,,	19-50 ,,	0	17	
	-do-	20-05 ,,	20-15 ,,	0	10	
	-do-	21-30 ,,	21-40 ,,	0	10	
	H. T. Gajner Feeder.	21-55 ,,	21-57 ,,	0	2	One Fuse blew off.
9-10-57	H. T. Ratangarh Feeder.	5-10 ,,	5-12 ,,	0	2	Switch Tripped.
	-do-	6-15 ,,	6-30 ,,	0	15	Less steam in Power House.
	H. T. Jasusar Feeder.	7-58 ,,	8-00 ,,	0	2	Changed over from Turbine to Diesel plant.
	H. T. Ratangarh Feeder.	8-25 ,,	8-37 ,,	0	12	Less steam in Power House.
	-do-	9-00 ,,	9-10 ,,	0	10	
	-do-	9-20 ,,	9-30 ,,	0	10	
	-do-	9-45 ,,	9-55 ,,		10	
	-do-	10-10 ,,	10-25 ,,	0	15	
	-do-	10-30 ,,	10-43 ,,	0	13	
	-do-	10-45 ,,	10-47 ,,	0	12	
	H. T. Jasusar Feeder.	10-50 ,,	10-52 ,,	0	2	One fuse blew off.

Scanned by CamScanner

1.	2.	3.	4.	5 Hrs.	5 Min.	6
	H. T. Ratengarh Feeder.	11-05 Hrs.	11-20 Hrs.	0	15	Less steam in Power House
	-do-	12-07 ,,	12-22 ,,	0	15	
	-do-	12-35 ,,	12-50 ,,	0	15	
	-do-	13-01 ,,	13-15 ,,	0	14	
	-do-	13-20 ,,	13-35 ,,	0	15	
	-do-	13-40 ,,	13-55 ,,	0	15	
	-do-	14-01 ,,	14-15 ,,	0	14	
	-do-	14-20 ,,	14-30 ,,	0	10	
	-do-	14-35 ,,	14-40 ,,	0	5	
	-do-	14-45 ,,	14-57 ,,	0	12	
	-do-	15-02 ,,	15-15 ,,	0	13	
	-do-	15-20 ,,	15-35 ,,	0	15	
	-do-	15-40 ,,	15-55 ,,	0	15	
	-do-	16-05 ,,	16-20 ,,	0	15	
	-do-	16-35 ,,	16-40 ,,	0	5	
	-do-	16-45 ,,	16-58 ,,	0	13	
	-do-	17-07 ,,	17-20 ,,	0	13	
	-do-	17-25 ,,	17-40 ,,	0	15	
9-10-57	H. T. Nokha Feeder.	18-23 ,,	18-30 ,,	0	7	Less steam in Oower House
	H. T. City Feeder.	18-23 ,,	18-26 ,,	0	3	
	H. T. Nokha Feeder	18-35 ,,	18-50 ,,	0	15	
	H. T. Chowtina Feeder.	18-35 ,,	18-45 ,,	0	10	Changed over from 6.6 KV 2--2 KV supply.
	H. T. Nawal Sagar Feeder.	18-36 ,,	18-38 ,,	0	2	

1	2	3	4	5 Hrs.	5 Min.	6
	H. T. Nokha Feeder.	19-02 Hrs.	19-15 Hrs.	0	13	Less steam in Power House.
	H. T. Nokha Feeder.	19-22 ,,	19-32 ,,	0	10	
	H. T. Lalgarh Feeder.	19-40 ,,	19-50 ,,	0	10	
	H. T. Gajner Feeder.	19-40 ,,	19-50 ,,	0	10	
	H. T. Nokha Feeder.	19-50 ,,	20-05 ,,	0	15	
	H. T. Jasusar Feeder.	23-50 ,,	23-52 ,,	0	2	Changed over Diesel plant to Turbine.
	L. T. Sudarshna College Feeder from Bhutta well S/S.	9-30 ,,	12-40 ,,	3	10	It was put off in connection with providing earth conductor on the line.
10-10-57	H. T. Nokha Feeder.	1-50 ,,	2-20 ,,	0	30	Less steam in Power House.
	H. T. City Feeder.	1-50 ,,	2-20 ,,	0	30	-do-
	H. T. Jasusar Feeder.	1-55 ,,	2-20 ,,	0	25	Less steam in Power House.
	H. T. Ratangarh Feeder.	1-50 ,,	2-15 ,,	0	25	
	H. T. Jasusara Feeder.	4-55 ,,	4-57 ,,	0	2	Changed over Turbine to Diesel plant.
	H. T. City Feeder. H. T. Gajner Feeder. H. T. Nokha Feeder. H. T. Lalgarh Feeder. H. T. Chowtina Feeder.	7-40 ,,	7-45 ,,	0	5	Changing in the Turbine in Power House.
	H. T. Ratangarh Feeder.	8-00 ,,	8-05 ,,	0	5	Switch tripped.
	H. T. Chowtina Feeder.	8-05 ,,	10-40 ,,	2	35	Defect in H. T. Switch was remove
	H. T. City Feeder.	8-15 ,,	8-17 ,,	0	2	One fuse blew off.
	L. T. Sudarahna Feeder from Bhutta well S/S.	10-05 ,,	13-30 ,,	3	25	It was put off in connection with providing earth condnction in the line.

1	2	3	4	5 Hrs.	5 Min.	6
	H. T. Lalgarh Feeder.	16-43 Hrs.	16-45 Hrs.	0	2	One fuse blew off.
10-10-57	H. T. Nokha Feeder.	18-37 ,,	18-38 ,,	0	1	
	-do-	19-23 ,,	19-24 ,,	0	2	
	H. T. Ratangarh Feeder.	19-08 ,,	10-20 ,,	0	12	
	-do-	19-25 ,,	19-40 ,,	0	15	Less steam in Power House.
	-do-	19-45 ,,	19-57 ,,	0	12	
	-do-	20-03 ,,	20-25 ,,	0	22	
	H. T. Nokha Feeder.	20-15 ,,	20-40 ,,	0	25	
	H. T. City Feeder.	20-25 ,,	20-30 ,,	0	5	
	H. T. Lalgarh Feeder.	23-55 ,,	23-58 ,,	0	3	One fuse blew off.
11-10-57	H. T. Jasusar Feeder.	0-43 ,,	0-45 ,,	0	2	Changed over from Diesel plant to Turbine.
	-do-	5-02 ,,	5-04 ,,	0	2	Changed over from Turbine to Diesel plant.
	H. T. Ratangarh Feeder.	8-03 ,,	8-15 ,,	0	12	Three fuses blew off.
	H. T. Nawal Sagar Feeder.	8-03 ,,	8-07 ,,	0	4	
	H. T. Nokha Feeder.	8-03 ,,	8-07 ,,	0	4	Low vaccum in Power House.
	H. T. Ratangarh Feeder.	10-25 ,,	10-40 ,,	0	15	
	H. T. Lalgarh Feeder.	14-22 ,,	14-24 ,,	0	2	One fuse blew off.
	H. T. City Feeder.	15-39 ,,	15-45 ,,	0	17	Low vaccum in Power House.
	H. T. Nokha Feeder.	15-44 ,,	16-07 ,,	0	23	-do-
	H. T. Lalgarh Feeder.	16-20 ,,	16-22 ,,	0	2	One fuse blew off.
1	2	3	4	5 Hrs.	Min.	6

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5 Hrs.	5 Min.	6
	H. T. Ratangarh Feeder.	17-20 Hrs.	17-28 Hrs.	0	8	Less vaccum in Power House.
	H. T. City Feeder.	18-42 ,,	18-51 ,,	0	9	
	H, T. Ratangarh Feeder.	19-03 ,,	19-29 ,,	0	12	
	-do-	19-18 ,,	19-20 ,,	0	2	
	-do-	20-05 ,,	20-20 ,,	0	15	
	H. T. City Feeder.	20-25 ,,	20-34 ,,	0	9	
12-10-57	H. T. Ratangarh Feeder.	14-05 ,,	14-15 ,,	0	10	Less vaccum in Power House.
	-do-	14-20 ,,	14-35 ,,	0	15	
	-do-	14-43 ,,	14-58 ,,	0	15	
	-do-	15-04 ,,	,,	0	6	
	-do-	15-17 ,,	15-32 ,,	0	15	
	-do-	15-37 ,,	15-51 ,,	0	14	
	-do-	16-03 ,,	16-15 ,,	0	12	
	-do-	16-18 ,,	16-33 ,,	0	15	
	-do-	16-36 ,,	16-39 ,,	0	3	
	-do-	16-47 ,,	16-48 ,,	0	7	
19-10-57	H. T. Mokha Feeder	8-30 ,,	10-15 ,,	1	45	Line fault.
	H. T. Chowtina Feeder.	8-30 ,,	10-20 ,,	1	50	-do-
20-10-57	H. T. Ratangarh Feeder.	14-52 ,,	14-57 ,,	0	15	Chain of Boiler No. 1 & 2 Jammed
23-10-57	H. T. Gajner Feeder.	6-15 ,,	10-45 ,,	4	30	Line fault.

Scanned by CamScanner

1	2	3	4	5 Hrs.	5 Min.	6
	H. T. Gajner Feeder	10-48 Hrs.	11-20 Hrs.	0	32	Line fault
	-do-	11-25 "	12-50 "	1	25	-do-
24-10-57	L. T. Motor Garrage Feeder (Lallagarh Area from Bijoy Bahwan s/s.)	11-00 "	13-00 "	2	0	For over head line work.
	H. T. Ratangarh Feeder.	16-40 "	16-55 "	0	15	Less steam in Power House.
	H. T. Nokha Feeder.	17-05 "	17-25 "	0	20	-do-
	H. T. Ratangarh Feeder.	17-20 "	17-30 "	0	10	-do-
	-do-	18-45 "	18-57 "	0	12	-do-
26-10-57	H. T. City Feeder.	15-20 "	15-45 "	0	25	For line work.
	H. T. Jasusar.	15-20 "	15-45 "	0	25	-do-
27-10-57	H. T. Nokha Feeder.	9-11 "	9-50 "	0	39	Line fault.
28-10-57	H. T. Jasusar Feeder.	10-00 "	15-40 "	5	40	Reconstruc ion line work of Jasusar, of H.T. Jasusar feeder.
	H. T. City Feeder.	10-00 "	10-20 "	0	27	
29-10-57	H. T. Jasusar Feeder.	10-00 "	16-00 "	6	0	Reconstruction of Jasusar H. T. line.
	H. T. City Feeder.	10-00 "	18-20 "	0	20	
30-10-57	H. T. Jasusar Feeder.	8-20 "	15-00 "	6	40	Reconstruction of Jasusar H. T. Line.
	H. T. City Feeder.	8-20 "	8-45 "	0	25	
	H. T. Ratangarh. Feeder.	18-40 "	18-55 "	0	15	Low vaccum in Power House.
	-do-	19-01 "	19-15 "	0	14	-do-
	-do-	19-32 "	19-45 "	0	13	-do-
31-10-57	H. T. Jasusar Feeder.	9-10 "	15-10 "	6	10	Reconstruction of Jasusar H.T. line

1	3	3	4	5 Hrs	Min.	6
1-10-57	H. T. City Feeder.	9-00 Hrs	9-20 Hrs.	0	20	Reconstruction of Jasusar H.T. line.
	H. T. Gajner Feeder.	12-15 ,,	12-30 ,,	0	15	Line fault.
	H. T. Nokha Feeder.	18-32 ,,	18-45 ,,	0	13	Low vaccum in Power House.
	H. T. Ratangarh Feeder.	18-53 ,,	19-00 ,,	0	7	-do-
	H. T. Ratangarh Feeder.	19-05 ,,	19-15 ,,	0	10	-do-
	H. T. Nokha Feeder.	19-20 ,,	19-25 ,,	0	5	-do-
	H. T- City Feeder.	19-30 ,,	19-35 ,,	0	5	-do-
	H. T. Ratangarh Feeder.	19-35 ,,	19-50 ,,	0	15	-do-

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ८६२ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING DETAILS OF DISCHARGE AND INCOME OF MANDI OUTLETS.

Sl. No.	Name of outlet.	Discharge in Cs.	Annual Income.
1.	Sugar Factory outlet.	1.00	
2.	Textile mill outlet.	0.50	33500.00
3.	Ganganagar Mandi outlet.	1.57	
4.	Ganganagar Mandi outlet.	2.04	
5.	Hinddumalkote Mandi outlet.	0.66	224.37
6.	Keshrisinghpur Mandi outlet.	0.50	928.54
7.	Karanpur Mandi outlet.	1.16	1278.00
8.	Gajsinghpur Mandi outlet.	0.50	275.66
9.	Padampur mandi outlet.	0.50	275.00
10.	Raisinghnagar Mandi outlet.	0.84	1150.00
11.	Jetsar Mandi outlet.	0.25	81.19
12.	Birjaynagar Mandi outlet.	0.32	167.62
	Total.	9.84	37755.38
	Deduction on account of warer supply use for Rest houses BMK, KSP, SKR, GSP, JSR, & SBNR.	0 60	
	Maximum area which can be irrigated with 9.24 discharge Cs.	Net 9.24	3609 Acres.
	Income. 3609XB		B 21654.00
			Say Rs. 22,000

५२०७

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ८६४ का उत्तर देखिये)

परिशिष्ट "क"

सूची समितियों की जिनको ऋण मिल चुका है।

क. सं.	नाम सहकारी समितियां	ऋण जो दिया जा चुका है।
१.	जेतपुरा बचत व साख सहकारी समिति	३,२००)
२.	बाला बचत व साख सहकारी समिति	८००)
३.	मानपुरा कीरों की ढाणी बचत व साख सहकारी समिति	७२५)
४.	पाली उत्पादक सहकारी समिति	१६,६२५)
५.	पाली सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड	५,५०,०००)
६.	केन्दरा बहुधन्धी सहकारी समिति	६,३००)
७.	मंडली बहुधन्धी सहकारी समिति	४,४५०)
८.	खेरवा बहुधन्धी सहकारी समिति	८,५००)
९.	भांवरी व सेन्दरिया बहुधन्धी सहकारी समिति	२,८००)
१०.	डेन्डा बहुधन्धी सहकारी समिति	६,५६०)
११.	श्री महादेव बहुधन्धी सहकारी समिति	७,५००)
१२.	मालेलाव बहुधन्धी सहकारी समिति	१,७००)

परिशिष्ट "ख"

सूची समितियों की जिनको ऋण देना है।

क. सं.	नाम सहकारी समितियां	ऋण देने की राशि
१.	हेमावास बचत व साख सहकारी समिति	११,०००)
२.	पाली मोचियान बचत व सहकारी समिति	७,५००)
३.	मडीया बचत व साख सहकारी समिति	१०,०००)
४.	टेवाली उत्पादक सहकारी समिति	१,१००)
५.	खारड़ा शोरा उत्पादक सहकारी समिति	४,०००)
६.	गुड़ाई बहुधन्धी सहकारी समिति	८,४००)
७.	लाम्बिया बहुधन्धी सहकारी समिति	१२,७००)
८.	महादेव घाणी तेल उत्पादक सहकारी समिति	यह समिति १३-१२-५७ को पंजीबद्ध हुई है और ऋण आवेदन-पत्र भी प्राप्त हो चुका है जिसको जांच के बाद ऋण देने की व्यवस्था की जावेगी।

परिशिष्ट ४

(प्रश्न काल की समाप्ति के कारण सदन की मेज पर रखे गये शेष प्रश्नोत्तर)

प्रश्न

हनुमानगढ़ अबोहर सड़क

६०५. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) हनुमानगढ़-अबोहर सड़क कितने मील लम्बी है और इसका कार्य कितने सालों से चल रहा है ?

(ख) क्या यह सही है कि यह सड़क पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी ? अगर हां, तो इसके कब तक पूरी होने की आशा है ?

उत्तर

(क) २८३ मील । तीन साल से ।

(ख) सही है । आशा है सम्पूर्ण कार्य जून, १६५८ तक समाप्त हो जायेगा ।

प्रश्न

लघु सिंचाई योजना

६०६. श्री सोहनलाल (सलूम्बर) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सन् १६५७-५८ के बजट में लघु सिंचाई योजना के लिये कितनी रकम रखी गई थी तथा उसमें से कितनी प्रतिशत ३१ जनवरी, १६५८ तक खर्च कर दी गई और ३१ मार्च, १६५८ तक कितनी प्रतिशत और खर्च होने की संभावना है ?

उत्तर

सन् १६५७-५८ के बजट में लघु सिंचाई योजना के लिये ७०,०३,०००) रखा गया था । उक्त रकम में से ३४.३ प्रतिशत ३१ जनवरी ५८ तक खर्च कर दी गई और १६.६ प्रतिशत ३१ मार्च ५८ तक और खर्च होने की उम्मीद है ।

प्रश्न

चिकित्सालय, अराई

६०७. श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़) क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे : —

१. क्या अराई हॉस्पीटल में कोई डॉक्टर नियुक्त है ?

२. अगर नहीं, तो कब तक नियुक्ति की जावेगी ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. राजस्थान जन सेवा आयोग द्वारा प्राप्त होने पर डॉक्टर नियुक्त कर दिया जावेगा।

प्रश्न

वृक्षारोपण आंदोलन

९०८. श्री जयचन्द मोहिल (कपासन) क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सन् १९५६-५७ में पेड़ लगाओ आन्दोलन में सरकार द्वारा कितनी रकम खर्च की गई?

(ख) इस वर्ष कुल पेड़ कितने लगाये गये व उनमें से तथा इससे पूर्व लगाये गये पेड़ों में से कितने पेड़ मौजूद है?

(ग) चित्तौड़गढ़ जिला में राजस्थान निर्माण के बाद वन विभाग द्वारा लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या कितनी थी और उनमें से इस समय कितने पेड मौजूद हैं?

उत्तर

६,४९६) रु० ३८ नये पैसे

१८,६५,८०० पेड लगाए गए व ७,०५,४३८ मौजूद हैं।

२०,९१,१७३ पेड लगाए गए व ७,७८,२८६ मौजूद हैं।

१,७६,६८२ पेड लगाए गए उनमें से ९८,२२५ मौजूद हैं।

प्रश्न

जैन मन्दिर ग्राम बांधर सींदरी (किशनगढ़) में घटित चोरी की घटना

९०९. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा) क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या ग्राम बांधर सींदरी, तहसील किशनगढ़ के जैन मन्दिर में चोरी हुई? यदि हां, तो कब तथा कितनी धनराशि की?

(२) क्या उक्त चोरी की जांच के सिलसिले में किसी को गिरफ्तार भी किया गया था? यदि हां. तो किन २ को?

उत्तर

(१) ता० २५-१२-५५ की रात को चोरी हुई थी जिसमें ७५५) के मूल्य के चांदी के जेवर चोरी गये।

(२) रामनारायण मीना और बन्सी दरोगा को गिरफ्तार किया गया।

प्रश्न

नगरपालिकाओं हेतु मैन्युअल का बनाया जाना।

९१०. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) :—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

Page No.126

(१) क्या सरकार को मालूम है कि म्यू० बोर्ड में सुप्रबन्ध के लिये अभी तक मैन्युअल तैयार नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) मैन्युअल व कार्य करने का प्रोसीजर कब तक निर्धारित हो जावेगा ?

(३) क्या सरकार पंचों की तरह म्यू० बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों को ट्रेनिंग देने के लिये सेमीनार का आयोजन करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां । नए एक्ट के पास नहीं होने से किन्तु मैन्युअल के प्रारूप तैयार कराने की कार्यवाही जारी है ।

अभी सेमीनार के आयोजन का कोई विचार नहीं है ।

प्रश्न

कोटड़ा रेंज (उदयपुर)

६११. श्री लक्ष्मण हीरात (गोगुन्दा) :—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) जिला उदयपुर के कोटड़ा रेंज में सन् ५५, ५६ व ५७ में छोटी पैदावार के ठेके से कितनी आमद हुई ?

(ख) क्या यह सही है कि इस ठेके से कई लोगों को नुक्सान हुआ और ठेकेदार ने जबरन जागीर पानरवा से महुआ प्राप्त किया और महुए की कीमत तथा मजदूरों की मजदूरी अब तक नहीं दी है ?

(ग) सरकार द्वारा छोटी पैदावार का ठेका क्यों दिया जाता है जब कि रोयल्टी से अधिक फायदा होता है ?

उत्तर

	सन्	आमदनी
(१)	१६५४–५५	२,६२२)
	१६५५–५६	८,५५३)
	१६५६–५७	१५,२३८)

(२) विभाग को इसकी जानकारी नहीं है ।

(३) रायल्टी से सरकार को अधिक फायदा नहीं है ।

प्रश्न

जोधपुरिया मांवसी बांध निवाई तहसील ।

६१२. श्री लालूराम (टोंक) :—क्या सिंचाई मंत्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील निवाई, जिला टोंक में जो जोधपुरिया मांवसी बांध बनाया जा रहा है वह कब तक बन कर तैयार हो जावेगा व निर्धारित अवधि कब तक की है ?

(२) कितनी धन राशि इस बांध पर खर्च कर दी गई है और कितनी खर्च करना बाकी है ?

(३) जनता को पानी कब तक इस बांध से मिल सकेगा ?

उत्तर

(१) सन् १६५६ तक तैयार करने की कोशिश है और आशा है कि हो जायगा।

(२) दिसम्बर १६५७ तक करीब १०,४६,०००) रु. की धन राशि खर्च हो गई है और लगभग ११,८१,०००) रु० खर्च करना बाकी है।

(३) सन् १६५८ में आंशिक सिंचाई शुरु हो जावेगी।

प्रश्न

चिकित्सक की नियुक्ति मनोहर थाना (झालावाड़)

६१३. श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा)—क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

मनोहर थाना जिला झालावाड़ के शफाखाने से डाक्टर का तबादला किस तारीख को किया गया था तथा उसके स्थान पर दूसरा डाक्टर कब भेजा गया ?

उत्तर

डाक्टर तेज बहादुर का स्थानान्तरण मनोहर थाने से अन्ता दिनांक २२. ८. ५७ को किया गया था वे वहां से दिनांक २८.६.५७ की शाम को रिलीव हुये। उक्त डाक्टर के स्थान पर डा० बी. एन. सक्सेना कोटा से भेजे गये तथा उन्होंने २२.२.५८ को वहां कार्यभार संभाला था।

प्रश्न

धार्मिक प्रथा के अन्तर्गत पशुओं के छोड़े जाने पर प्रतिबन्ध।

६१४. श्री गिरधारीलाल (नोखा): क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि केवल धार्मिक प्रथा के नाम पर लोगों द्वारा ऐसे बेकार बछड़े व सांड़ छोड़ दिये जाते हैं जो गौवंश के लिये अभिशाप सिद्ध हो रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सांड़ों को छोड़े जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न करेगी ?

उत्तर

(१) बेकार बछड़े जो सांड़ छोड़े जाते हैं गौसम्वर्धन के लिये अभिशाप सिद्ध हो रहे हैं।

(२) हां। ये सांड़ गौ सम्वर्धन में बाधक है। सरकार इस कुप्रथा को रोकने के लिये पशु उन्नति कारक कानून (लाइव स्टाक इम्प्रूवमेन्ट एक्ट) बना रही है जो धारा सभा की मान्यता के लिये भेजा गया है।

———

शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २६ मार्च, १९५८)

कालम संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
४९८०	७-८	केमिकल एनेलाइड़र, जयपुर	केमिकल एनेलाइज़र, जयपुर
४९८४	शीर्ष पंक्ति	तारांकित प्रश्नोत	तारांकित प्रश्नोत्तर
४९८६	अन्तिम से २ री	सरकार अवश्य ध्यान देगी।	सरकार अवश्य ध्यान देगी।
४९९१	१७	श्री पी० के० चौध	श्री पी० के० चौधरी :
,,	१८	has corirmed all	has confirmed all
४९९३	१७	the man has been	the man has been
४९९४	४-५ के मध्य में		श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (अश्रव्य)
,,	५-६	रीइन्सटेटमेन्ट के ऑर्डर्स सिविल सप्लाइज़ विभाग द्वारा जारी हुए थे	रीइन्सटेटमेन्ट के ऑर्डर्स सिविल सप्लाइज़ विभाग द्वारा जारी हुए थे ?
४९९५			
४९९७	३	दफ्तर के ए क्लर्क	दफ्तर के एक क्लर्क
५००१	२४	I am soory	I am sorry
५००२	२६	वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा):	वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
,,	२	ड़ेढ़ लाग का कोई	डेढ़ लाख का कोई
५००३	अन्तिम से ४ थी	श्री मुरलीधर ध्यास :	श्री मुरलीधर व्यास :
,,	४	श्री नाथूराम लिर्धा :	श्री नाथूराम मिर्धा :
५०१५	अन्तिम से ३ री	झगडों को देखकर रह हैं	झगडों को देखकर कर रहे हैं
,,	३	यदा किया था।	वादा किया था।
५०१७	११-१२	(किशनगड़) :	(किशनगढ़) :
,,	५	(श्री नाथूराम मिर्धा) :	(श्री नाथूराम मिर्धा) :
५०१९	७	बैंक ने अपने पंजीपन से	बैंक ने अपने पंजीयन से
५०२१-५०२२	११	श्रीमति सतवन्तकौर	श्रीमती सतवन्तकौर
५०३१	शीर्ष पंक्ति	—२५ मार्च, ५८—	—२६ मार्च, ५८—
५०३१	,,	प्रकिया की नियनावली हेतु	प्रक्रिया की नियमावली हेतु
५०३५	१९	2.Shri Ram kishore Vays	2. Shri Ram kishore Vya
५०३८	शीर्ष पंक्ति	प्रकिया की नियमावली हेतु	प्रक्रिया की नियमावली हेतु
	शीर्ष पंक्ति	[४०३८	[५०३८
,,	२०	श्री दयाकृष्ण वियज	श्री दयाकृष्ण विजय
५०५०	२०	लेकिन अब	लेकिन जब
,,	२१	बात आती तो	बात आती है तो
५०७५	१	(श्री बहादुरसिंह)	(श्री बालमुकन्द)
५०७६	अन्तिम से ३ री	the failurl of the govt	the failure of the govt.
५०८८	अंतिम से ८ वीं	वे पहौलपुर में	वे पहले धौलपुर में
५०९३	१	(लक्ष्मण हीरात)	(श्री लक्ष्मण हीरात)

१	२	३	४
५१०३	१०	(२ म० प०)	२ म० प०
५१०७	४	औगिक दृष्टि से	औद्योगिक दृष्टि से
५१०८	१७	बहुत कमी है।	शिक्षा की बहुत कमी है।
५११३	१३	both the extarmes,	both the extremes
५११५-१६	शीर्ष पंक्ति	-२६ माच, ५८-	-२६ मार्च, ५८-
५११७	२२	प्राइवेट इन्टरप्राइज़	प्राइवेट एन्टरप्राइज़
५१२२	२	१६५२ की बात	१६५२ की बात है
५१२२	१०	राज थान	राजस्थान
५१२२	२५	सेन्ट्रल गत्रर्नमेंट	सेन्ट्रल गवर्नमेंट
५१५७	१६	क्या हिन्दुस्थान में	क्या हिन्दुस्तान में
५१६२	अन्तिम पंक्ति	और गरब	और गरीब
५१७०	४	प्रश्न मी पूछते	प्रश्न भी पूछते
५१८४	१	अदूरदर्शितापूण	अदूरदर्शितापूर्ण
५१८४	३	उस अ	उस ओर
५१८४	अन्तिम पंक्ति	पेटर्न को लानार	पेटर्न को लाना
५२००	आइटम नम्बर ६, पक्ति सं० २	Less steam in Oowre Howse	Less steam in Power House
५२०४	आइटम नम्बर ४, अन्तिम पंक्ति	9-10	9-00
५२०४	आइटम नम्बर ६, पंक्ति संख्या ११	Reconstruc ion line	Reconstruction line
५२०५	आइटम नम्बर १, प्रथम पंक्ति	1-10-5?	31-10-57